



VAJIRAM & RAVI
Institute for IAS Examination

UPSC करेंट अफेयर्स

PIB PRISM

मासिक रिवीजन मैगज़ीन

सितंबर 2026



अवधारणाएँ

खबरों से पहले
बुनियादी समझ



स्टैटिक + करेंट अफेयर्स

खबरों को
पाठ्यक्रम से जोड़ें



दृश्यात्मक अधिगम

फ्लोचार्ट और टेबल से
जटिल विषय सरल रूप में



मासिक PIB कवरेज

पूरे महीने का PIB एक स्थान पर



प्रीलिम्स + मेंस

उपयोगी तथ्य और विश्लेषण



37 लेख

GS पेपर I, II और III

विषय-सूची

01	भारत का GDP: नया आधार वर्ष 2022-23 भारतीय अर्थव्यवस्था • राष्ट्रीय आय	3	20	DDU-GKY 2.0: ग्रामीण युवाओं के लिए रोज़गार-संबद्ध कौशल सामाजिक न्याय • कौशल और रोज़गार	30
02	भारत में डेटा सेंटर अवसंरचना • डिजिटल अर्थव्यवस्था	4	21	घरों के लिए पाइप से गैस: PNG प्रोत्साहन योजना अवसंरचना • ऊर्जा	32
03	सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स: Semicon 2.0, ECMS और चिप मूल्य शृंखला उद्योग • इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर	6	22	PMKKKY और ज़िला खनिज फाउंडेशन अर्थव्यवस्था • खनन और समावेशी विकास	33
04	वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम: अंतिम नहीं, “प्रथम गाँव” सीमा प्रबंधन • सीमावर्ती क्षेत्र विकास	8	23	ECLGS 5.0: व्यवसायों के लिए आपातकालीन ऋण भारतीय अर्थव्यवस्था • बैंकिंग और MSME	34
05	विश्व पर्यटन दिवस 2026 और भारत की पर्यटन योजनाएँ सेवा क्षेत्र • पर्यटन	10	24	स्कूली शिक्षा और साक्षरता: PM SHRI, ULLAS और NIPUN भारत शिक्षा • विद्यालय और साक्षरता	36
06	निर्यात हब के रूप में ज़िले: हर ज़िला एक निर्यात इकाई बाह्य क्षेत्र • निर्यात	11	25	स्वच्छ वायु: NCAP, AQI, GRAP और संस्थाएँ पर्यावरण • वायु प्रदूषण	38
07	सामुदायिक संवर्ग: ग्रामीण सेवा वितरण का अंतिम छोर शासन • सेवा वितरण	12	26	जल सुरक्षा: जल संचय जन भागीदारी, जन गंगा और IIWW 2026 पर्यावरण • जल संसाधन	40
08	भारतीय सिनेमा: इंडिया सिने हब, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और WAVES कला एवं संस्कृति • सिनेमा और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था	13	27	फिनटेक: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026, UPI और नियम भारतीय अर्थव्यवस्था • डिजिटल वित्त	42
09	PM विश्वकर्मा: पारंपरिक कारीगरों को सहायता कल्याणकारी योजनाएँ • कारीगर और MSME	15	28	PMMSY के छह वर्ष: मत्स्य पालन और नीली अर्थव्यवस्था कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र • मत्स्य पालन	44
10	जूट: भारत का सुनहरा रेशा कृषि • रेशेदार फसलें और उद्योग	16	29	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0: अपशिष्ट से ऊर्जा, डंपसाइट, प्लास्टिक और उपयोग किया हुआ जल पर्यावरण • शहरी अपशिष्ट प्रबंधन	45
11	भारत समुद्री बीमा पूल: भारत के जहाज़ों का बीमा अब देश में भारतीय अर्थव्यवस्था • बीमा और नौवहन	17	30	PM-AJAY: अनुसूचित जातियों का विकास सामाजिक न्याय • अनुसूचित जातियों का कल्याण	47
12	हरित राजमार्ग और बायो-बिटुमेन अवसंरचना • सड़कें और पर्यावरण	19	31	PM किसान मानधन योजना: छोटे किसानों के लिए पेंशन सामाजिक सुरक्षा • किसान कल्याण	48
13	भूतापीय ऊर्जा: पुगा में भारत के पहले कुएँ ऊर्जा • नवीकरणीय ऊर्जा	20	32	सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण: PACS में गोदाम कृषि • खाद्य सुरक्षा और सहकारिता	50
14	पोषण माह 2026 और मिशन पोषण 2.0 स्वास्थ्य • पोषण	21	33	किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा: AB PM-JAY के आठ वर्ष और जन औषधि स्वास्थ्य • सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज	51
15	स्वच्छ भारत के 12 वर्ष: ODF प्लस, गोबरधन और स्वच्छता ही सेवा 2026 स्वच्छता • अपशिष्ट प्रबंधन	23	34	IMEI से छेड़छाड़ और दूरसंचार अधिनियम, 2023 आंतरिक सुरक्षा • दूरसंचार और साइबर सुरक्षा	53
16	PMAY-शहरी और PMAY-U 2.0: सबके लिए आवास कल्याणकारी योजनाएँ • शहरी आवास	25	35	बाँस: वनोपज से हरित उद्यम तक कृषि • ग्रामीण आजीविका	54
17	आयुर्वेद दिवस और आयुष को बढ़ावा स्वास्थ्य • पारंपरिक चिकित्सा	26	36	UPSC के 100 वर्ष: संवैधानिक भर्तीकर्ता राजव्यवस्था • संवैधानिक निकाय	55
18	मेक इन इंडिया के 12 वर्ष और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था • औद्योगिक नीति	27	37	बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 2026 कानून • बैंकिंग	56
19	BRICS और भारत की 2026 की अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय संबंध • समूह	29			

भारत का GDP: नया आधार वर्ष 2022-23

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था – संवृद्धि और राष्ट्रीय आय | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 9-33 (लेख 1 और 2)

चर्चा में क्यों? 31 अगस्त 2026 को सरकार ने GDP के नए आँकड़े जारी किए, जिनमें 2022-23 को नया आधार वर्ष माना गया है। इन आँकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी।

मूल शब्दावली

- GDP** (सकल घरेलू उत्पाद) किसी निश्चित अवधि, जैसे एक वर्ष या एक तिमाही, में भारत के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है।
- GVA** (सकल मूल्य वर्धन) अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं, द्वारा जोड़ा गया मूल्य है। GVA में उत्पाद कर जोड़ने और उत्पाद सब्सिडी घटाने पर GDP प्राप्त होता है।
- नॉमिनल (सांकेतिक) GDP** की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है। इसलिए उत्पादन न बढ़ने पर भी केवल कीमतों बढ़ जाने के कारण यह बढ़ सकता है।
- वास्तविक GDP** की गणना एक निश्चित वर्ष, जिसे आधार वर्ष कहते हैं, की कीमतों पर की जाती है। इसलिए यह केवल उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। 7.8% जैसी वृद्धि दरें वास्तविक GDP को संदर्भित करती हैं।
- GDP के आँकड़े **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** द्वारा जारी किए जाते हैं।

उदाहरण – वास्तविक बनाम नॉमिनल GDP

मान लीजिए कोई देश प्रत्येक वर्ष केवल 10 कमीज़ें बनाता है। पिछले वर्ष एक कमीज़ की कीमत ₹100 थी; इस वर्ष यह ₹110 है।

नॉमिनल GDP ₹1,000 से बढ़कर ₹1,100 हो जाता है, जो 10% वृद्धि जैसा दिखता है। किंतु पिछले वर्ष की कीमत पर गिना गया वास्तविक GDP ₹1,000 ही रहता है, क्योंकि देश अब भी केवल 10 कमीज़ें ही बनाता है। अतः कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई।

आधार वर्ष क्या है?

- आधार वर्ष वह वर्ष है जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है।
- इसे समय-समय पर बदला जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था निरंतर बदलती रहती है। नए उत्पाद और सेवाएँ सामने आती हैं, और अलग-अलग वस्तुओं की कीमतें अलग-अलग गति से बदलती हैं। इसलिए पुराना आधार वर्ष सही तस्वीर देना बंद कर देता है।
- भारत ने अब आधार वर्ष **2011-12 से बदलकर 2022-23** कर दिया है। नई श्रृंखला का पहली बार उपयोग फरवरी 2026 में किया गया।

नई पद्धति: डबल डिफ्लेशन

डबल डिफ्लेशन (दोहरा अपस्फीतिकरण) का अर्थ है मूल्य वृद्धि के प्रभाव को दो बार हटाना: एक बार उत्पादन (आउटपुट) के मूल्य से और एक बार आगतों (कच्चा माल, ईंधन) के मूल्य से। इसके बाद वास्तविक उत्पादन में से वास्तविक आगतों को घटाकर वास्तविक मूल्य वर्धन प्राप्त किया जाता है। (डिफ्लेशन का अर्थ है किसी आँकड़े से मूल्य वृद्धि का प्रभाव हटाना, ताकि केवल मात्रा में हुआ वास्तविक परिवर्तन शेष रहे।)

उदाहरण – एक कमीज़ कारखाना

एक कारखाना ₹1,000 की कमीज़ें बेचता है और ₹800 का कपड़ा खरीदता है। अतः उसके द्वारा जोड़ा गया मूल्य ₹200 है।

डबल डिफ्लेशन के तहत मूल्य वृद्धि का प्रभाव कमीज़ों (उत्पादन) और कपड़े (आगत) से अलग-अलग हटाया जाता है। फिर वास्तविक कमीज़ मूल्य में से वास्तविक कपड़ा मूल्य घटाकर वास्तविक मूल्य वर्धन प्राप्त किया जाता है।

यह अधिक सटीक है। यदि कपड़े की कीमतें कमीज़ की कीमतों से अधिक तेज़ी से बढ़ें, तो कारखाने के लिए एक ही मूल्य समायोजन का उपयोग उसकी वास्तविक वृद्धि की गलत तस्वीर देगा।

- नई श्रृंखला में विनिर्माण के लिए डबल डिफ्लेशन का उपयोग किया जाता है।
- IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) मात्रा (वास्तविक) के रूप में GDP की गणना के लिए डबल डिफ्लेशन को वरीय पद्धति मानता है।

मूल्य वृद्धि के तीन सामान्य मापक

मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फीति) को कई तरीकों से मापा जा सकता है। नीचे तीन सामान्य मापकों की तुलना की गई है। प्रत्येक अलग-अलग चीज़ों को शामिल करता है, इसलिए प्रत्येक मुद्रास्फीति की अलग दर दिखा सकता है।

मापक	क्या शामिल करता है	किस स्तर पर मापा जाता है
CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)	परिवारों द्वारा खरीदी गई वस्तुएँ और सेवाएँ	खुदरा (दुकान) स्तर
WPI (थोक मूल्य सूचकांक)	कच्चा माल और वस्तुएँ; इसमें सेवाएँ शामिल नहीं हैं	थोक स्तर
GDP डिफ्लेटर	सेवाओं सहित संपूर्ण अर्थव्यवस्था	(नॉमिनल GDP ÷ वास्तविक GDP) × 100

संवृद्धि के लिए सरकार के कदम

उद्योग

- Semicon 2.0** (जुलाई 2026) सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का दूसरा चरण है। इसका उद्देश्य चिप डिज़ाइन से लेकर विनिर्माण और पैकेजिंग तक भारत के चिप उद्योग का निर्माण करना है।
- मोबाइल फोन विनिर्माण योजना** (जुलाई 2026) का उद्देश्य भारत में मोबाइल फोन और उनके पुर्जों का निर्माण बढ़ाना है। यह 2030-31 तक चलेगी।
- BHAVYA रसायन** (जुलाई 2026) 2026-27 से 2030-31 तक की पाँच वर्षीय योजना है। यह देश भर में तीन समर्पित रसायन पार्कों की स्थापना में सहायता करेगी।
- ECLGS 5.0** (आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) पश्चिम एशिया की स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को अतिरिक्त ऋण पर सरकारी गारंटी देती है। यह गारंटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए 100% और अन्य व्यवसायों के लिए 90% है।

- **MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026** अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित किया गया। यह MSMEs के लिए अनुपालन को सरल बनाता है।

ऊर्जा

- **समुद्र मंथन** राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना है। यह समुद्र के नीचे ऊर्जा संसाधनों की खोज में सहायता करती है।
- **कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना** (मई 2026) कोयले को गैस में बदलने में सहायता करती है। यह 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के भारत के लक्ष्य को समर्थन देती है।
- **GOBARdhan – राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना** (अगस्त 2026) का उद्देश्य फसल अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट और शहरों के जैविक अपशिष्ट से अधिक संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन करना है।
- **PM सूर्य सरोवर योजना** (जुलाई 2026) ऊर्जा भंडारण सहित 5,000 MW के तैरते (फ्लोटिंग) सौर ऊर्जा संयंत्रों को सहायता देती है।

व्यापार और निवेश

- **भारत-UK CETA** (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता) 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ। अब UK को भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य आयात शुल्क लगता है।

- **भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता** 4 जुलाई 2026 को लागू हुआ। यह दोनों देशों के निवेशकों को अधिक सुरक्षित और अधिक पूर्वानुमेय ढाँचा प्रदान करता है।
- **FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) सुधारों** की घोषणा जून 2026 में की गई। इनका उद्देश्य भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (सरकारी बॉन्ड) में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है।
- **भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल** (मई 2026) भारत को जहाजों के लिए अपना स्वयं का बीमा कवर देता है, ताकि विदेशी बीमाकर्ताओं पर भारत की निर्भरता कम हो।

कृषि

- **PM-KISAN**, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसान परिवारों को आय सहायता देती है, 2030-31 तक जारी रखी गई है।
- सरकार ने 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों का **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** बढ़ाया।
- **कपास क्रांति** (मई 2026), कपास उत्पादकता मिशन, कपास किसानों को नए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से जोड़ती है।
- **NIPU-2026** (यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति) नए गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों को प्रोत्साहित करती है, ताकि भारत यूरिया में आत्मनिर्भर बन सके।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Mains 2021, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): वर्ष 2015 से पहले और वर्ष 2015 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

UPSC Prelims 2020: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य का भारांश थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की तुलना में अधिक है।
2. WPI सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल नहीं करता, जबकि CPI करता है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख मापक के रूप में तथा प्रमुख नीतिगत दरों में परिवर्तन का निर्णय लेने के लिए WPI को अपनाया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

Answer: (a). कथन 3 गलत है क्योंकि RBI WPI का नहीं, CPI का उपयोग करता है।

UPSC Prelims 2015: भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है।
2. पिछले दशक में बाज़ार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (रुपयों में) में लगातार वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Answer: (b). बाज़ार कीमतों पर GDP (नॉमिनल) हर वर्ष बढ़ा, किंतु वास्तविक वृद्धि दर में लगातार वृद्धि नहीं हुई।

02 अवसंरचना • डिजिटल अर्थव्यवस्था

भारत में डेटा सेंटर

GS पेपर III: अवसंरचना; IT; ऊर्जा और पर्यावरण | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 35-45

चर्चा में क्यों? UPI, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के कारण भारत की डेटा-सेंटर क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है। PIB ने बताया है कि डेटा सेंटर क्या हैं और सरकार उन्हें कैसे सपोर्ट कर रही है।

डेटा सेंटर क्या है?

- डेटा सेंटर कंप्यूटरों से भरा एक सुरक्षित भवन है, जो डिजिटल डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और प्रेषण करता है।
- सरल शब्दों में, यह एक “डिजिटल गोदाम” है। जब भी आप UPI भुगतान करते हैं, अपना बैंक बैलेंस देखते हैं या ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, तो डेटा सेंटर के कंप्यूटर पृष्ठभूमि में यह काम करते हैं।

- डेटा सेंटर को हर समय बिजली चाहिए, क्योंकि इसके कंप्यूटर कभी बंद नहीं किए जा सकते। इसे सशक्त शीतलन (कूलिंग) की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं।

भारत के लिए डेटा सेंटर क्यों महत्वपूर्ण हैं

- बैंकिंग, UPI, ई-शासन, क्लाउड सेवाएँ और AI सभी डेटा सेंटरों पर चलते हैं। इसलिए ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

- ये डेटा संप्रभुता को समर्थन देते हैं, जिसका अर्थ है कि डेटा उसी देश के कानूनों द्वारा शासित होता है जहाँ उसे एकत्र और संग्रहीत किया जाता है।
- AI को विशाल कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए, जो नए डेटा सेंटर बनाने का एक प्रमुख कारण है।

भारत की स्थिति

- 2020 में भारत की डेटा-सेंटर क्षमता लगभग 375 MW थी। अगस्त 2026 में यह 1.57 GW तक पहुँच गई और 2030 तक इसके लगभग 8 GW तक पहुँचने की संभावना है।
- मुंबई-नवी मुंबई देश का सबसे बड़ा डेटा-सेंटर हब है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) सरकार के अपने डेटा सेंटर चलाता है। इसके राष्ट्रीय डेटा सेंटर दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर में हैं, तथा राज्यों की राजधानियों में 37 छोटे डेटा सेंटर हैं।

सरकारी सहायता

- अवसंरचना का दर्जा: केंद्रीय बजट 2022-23 में डेटा सेंटरों को अवसंरचना की समन्वित सूची (Harmonized List of Infrastructure) में जोड़ा गया। यह उन क्षेत्रों की आधिकारिक सूची है जिन्हें सड़क और बिजली की तरह अवसंरचना माना जाता है। इस सूची में शामिल क्षेत्रों को सस्ते दीर्घकालिक ऋण अधिक आसानी से मिलते हैं।
- कर अवकाश: केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में स्थित डेटा सेंटरों का उपयोग करके विश्व भर के ग्राहकों को सेवा देने वाली पात्र विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर अवकाश दिया गया। यह कर वर्ष 2026-27 से 2046-47 तक लागू है।
- IndiaAI मिशन भारत के AI पारितंत्र का निर्माण कर रहा है, जिससे डेटा सेंटरों की माँग उत्पन्न होती है।
- IT हार्डवेयर के लिए PLI (उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन) 2.0 भारत में सर्वर, लैपटॉप और अन्य IT हार्डवेयर बनाने के लिए प्रोत्साहन देती है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) भारत में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण को सहायता देती है।

चुनौती: बिजली और पानी

- डेटा सेंटर बहुत अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, 2031-32 तक इनकी माँग 17 GW तक पहुँच सकती है।
- ये शीतलन के लिए बहुत अधिक पानी का भी उपयोग करते हैं।

आगे की राह: स्वच्छ बिजली और जल बचत

- डेटा सेंटरों सहित उद्योगों द्वारा भूजल का उपयोग जल शक्ति मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार होता है।
- स्वच्छ बिजली की आपूर्ति के लिए सरकार हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम, हरित ऊर्जा गलियारा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और सौर पार्क योजना का उपयोग कर रही है।
- SHANTI अधिनियम (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming

India) AI और डेटा सेंटरों के लिए परमाणु ऊर्जा को समर्थन देता है। यह भविष्य में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के उपयोग की भी अनुमति देता है, जो ऐसे छोटे परमाणु रिएक्टर हैं जिनके पुर्जे कारखानों में बनाए जा सकते हैं।

- क्लोड-लूप लिक्विड कूलिंग जैसी नई शीतलन विधियाँ कम पानी और बिजली का उपयोग करती हैं।

दक्षता रेटिंग

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने यह मापने के लिए मानक प्रकाशित किए हैं कि कोई डेटा सेंटर कितना दक्ष है। इन्हें BIS की समिति LITD 31 तैयार करती है। PIB, PUE और WUE को कार की माइलेज रेटिंग की तरह “ग्रीन माइलेज रेटिंग” कहता है।

रेटिंग	क्या मापती है
PUE – विद्युत उपयोग प्रभावशीलता (Power Usage Effectiveness)	बिजली का उपयोग कितनी दक्षता से होता है
WUE – जल उपयोग प्रभावशीलता (Water Usage Effectiveness)	पानी का उपयोग कितनी दक्षता से होता है
CUE – कार्बन उपयोग प्रभावशीलता (Carbon Usage Effectiveness)	इसके कंप्यूटरों द्वारा उपयोग की गई प्रत्येक इकाई बिजली पर कितना कार्बन उत्सर्जित होता है
CER – शीतलन दक्षता अनुपात (Cooling Efficiency Ratio)	ऊष्मा कितनी दक्षता से हटाई जाती है

उदाहरण – PUE

PUE किसी डेटा सेंटर द्वारा उपयोग की गई कुल बिजली की तुलना केवल उसके कंप्यूटरों द्वारा उपयोग की गई बिजली से करता है। यदि कोई डेटा सेंटर कुल 150 यूनिट का उपयोग करता है और उसके कंप्यूटर 100 यूनिट का, तो उसका PUE 1.5 है। 1 के निकट PUE का अर्थ है कि कम बिजली बर्बाद हो रही है।

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने दो भवन संहिताएँ, ECBC 2017 और ECSBC 2024, जारी की हैं, जो डेटा सेंटरों सहित भवनों के लिए ऊर्जा और जल मानदंड निर्धारित करती हैं।

आगे की राह

- भारत को सशक्त मानकों, अच्छी साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जल-बचत वाले शीतलन की आवश्यकता है।
- भारत को अपने स्वयं के चिप, सर्वर और कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण करना चाहिए, ताकि डेटा सेंटर विकसित भारत 2047 का सशक्त आधार बन सके।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2017: भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है?

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा सेंटर
3. निगमित निकाय (बॉडी कॉरपोरेट)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

Answer: (d). सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) सेवा प्रदाताओं, डेटा सेंटरों और निगमित निकायों से साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने की अपेक्षा करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (जारी)

UPSC Prelims 2018: निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार की “डिजिटल इंडिया” योजना का/के उद्देश्य है/हैं?

1. चीन की तरह भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन।
2. बिग डेटा एकत्र करने वाले विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने बड़े डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक नीतिगत ढाँचा स्थापित करना।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे अनेक स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाई-फाई उपलब्ध कराना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 (c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Answer: (b). केवल गाँवों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों को जोड़ना ही डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है; कथन 1 और 2 इसके उद्देश्य नहीं हैं।

UPSC Mains 2024, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ और प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

03 उद्योग • इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स: Semicon 2.0, ECMS और चिप मूल्य शृंखला

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था – औद्योगिक नीति; विज्ञान और प्रौद्योगिकी – प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 47-59, 449-453, 475-481, 549-553 और 573-577 (लेख 4, 37, 40, 48 और 51)

चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2026 को यशोभूमि, नई दिल्ली में **SEMICON India 2026** का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी “Silicon to Systems: Building the Ecosystem”। इससे पहले, 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के चिप कार्यक्रम के दूसरे चरण Semicon 2.0 को मंजूरी दी थी।

मूल शब्दावली

- **सेमीकंडक्टर** एक ऐसा पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता को नियंत्रित किया जा सकता है। ताँबे जैसा चालक धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है, जबकि कुचालक (इंसुलेटर) उसका प्रबल प्रतिरोध करता है। सेमीकंडक्टर की चालकता इन दोनों के बीच होती है।
- **ट्रांजिस्टर** एक अत्यंत छोटा इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जो धारा के प्रवाह को चालू या बंद करता है। एक चिप (एकीकृत परिपथ) सिलिकॉन के एक छोटे टुकड़े पर लाखों या अरबों ट्रांजिस्टर समाहित करती है।
- **सिलिकॉन**, सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला सेमीकंडक्टर पदार्थ, सिलिका से प्राप्त होता है, जो रेत में पाई जाती है।
- **फैब** (फैब्रिकेशन प्लांट) सिलिकॉन वेफ़रों पर परिपथ मुद्रित करता है। फोटोलिथोग्राफी में प्रकाश का उपयोग करके परिपथ के पैटर्न वेफ़र पर उतारे जाते हैं।
- **ATMP** (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग) तथा **OSAT** (आउटसोर्सिड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) अंतिम चरण हैं। पैकेजिंग चिप की सुरक्षा करती है, और टेस्टिंग उसकी गुणवत्ता की जाँच करती है।

वेफ़र

शुद्ध सिलिकॉन को एक ब्लॉक (इनगॉट) में ढाला जाता है और पतले वेफ़रों में काटा जाता है



फैब

वेफ़र पर परत-दर-परत परिपथ मुद्रित किए जाते हैं



ATMP/OSAT

चिपों को काटा, जोड़ा (असेंबल), जाँचा, चिह्नित और पैक किया जाता है

- **सेमीकंडक्टर नोड** (जैसे 28 नैनोमीटर (nm) या 3 nm) चिप-निर्माण प्रौद्योगिकी की एक पीढ़ी को दर्शाता है। एक नैनोमीटर एक मीटर का एक अरबवाँ भाग होता है। छोटा नोड उसी स्थान में अधिक ट्रांजिस्टर समा सकता है, जिससे अधिक गति या कम बिजली खपत मिलती है।

- **उन्नत नोड** शीर्ष प्रोसेसरों में उपयोग होते हैं, जबकि परिपक्व नोड अब भी कारों, दूरसंचार, विद्युत प्रणालियों और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए आवश्यक हैं।

भारत के लिए चिप क्यों महत्वपूर्ण हैं

- चिप कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा, 5G/6G और डेटा सेंटरों को शक्ति देती हैं।
- चिप-निर्माण कुछ ही देशों में केंद्रित है: ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। **अकेला ताइवान विश्व की 60% से अधिक चिप और लगभग 90% उन्नत चिप बनाता है।**
- ऐसा संकेंद्रण जोखिमपूर्ण है। COVID-19 के दौरान कार कारखाने बंद हो गए क्योंकि उन्हें चिप नहीं मिल पा रही थीं।
- NITI Aayog घरेलू चिप उद्योग के लिए चार कारण बताता है: भारी आयात निर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन और क़िफ़ायती 5G और 6G।
- इसलिए भारत की नीति घरेलू क्षमता को सुदृढ़ करने के साथ विदेशों में विश्वसनीय साझेदारियों को जोड़ती है।

प्रारंभिक आधार: SCL मोहाली

- **सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (SCL), मोहाली** फ़्लाइंट-ग्रेड चिप बनाती है, जो अंतरिक्ष की चरम परिस्थितियों में टिकी रहती हैं। इसका विक्रम प्रोसेसर प्रक्षेपण यानों और रॉकेटों में उपयोग होता है।
- सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का मिशन **आदित्य-L1** SCL द्वारा निर्मित विकिरण-प्रतिरोधी (radiation-hardened) ADC (एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर) चिपों का उपयोग करता है। विकिरण-प्रतिरोधी का अर्थ है कि चिप अंतरिक्ष के प्रबल विकिरण के बावजूद काम करते रहने के लिए बनाई गई हैं। चंद्रयान-3 लैंडर में भारत में बनी कैमरा चिप लगी थी।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम: दो चरण

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2021 में शुरू किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन है, और इसकी योजनाएँ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) द्वारा चलाई जाती हैं।

बिंदु	Semicon 1.0	Semicon 2.0
मंजूरी	दिसंबर 2021	15 जुलाई 2026 (केंद्रीय मंत्रिमंडल)
मुख्य फोकस	फैब और ATMP/OSAT संयंत्र	कच्चे माल से लेकर तैयार चिप तक संपूर्ण मूल्य शृंखला
घटक	सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, तथा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर और ATMP/OSAT के लिए योजनाएँ; डिज़ाइन-संबद्ध प्रोत्साहन (DLI) योजना	छह स्तंभ: डिज़ाइन; मशीनें और सामग्री; फैब; पैकेजिंग (ATMP/OSAT); अनुसंधान; प्रतिभा

- Semicon 1.0 के तहत 12 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इनमें एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक गैलियम नाइट्राइड माइक्रो-LED (लाइट-एमिटिंग डायोड) डिस्प्ले फैब और नौ ATMP/OSAT इकाइयाँ हैं।
- ये इकाइयाँ गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में हैं। 12 में से छह गुजरात में हैं, और धोलेरा में चिप क्लस्टर के चारों ओर एक पूरी टाउनशिप बनाई जा रही है।
- सितंबर 2026 तक पाँच इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। 2021 में भारत में कोई वाणिज्यिक चिप संयंत्र नहीं था।
- DLI योजना भारत में चिप-डिज़ाइन परियोजनाओं को सहायता देती है, जिनमें स्टार्ट-अप और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की परियोजनाएँ भी शामिल हैं।
- Semicon 2.0 का लक्ष्य केवल अंतिम चरणों तक सीमित न रहकर संपूर्ण चिप मूल्य शृंखला को भारत के भीतर विकसित करना है। इसकी अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना पात्र अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है।
- SEMICON India 2026 में उद्योग निकायों ने “समग्र-उद्योग” (whole-of-industry) दृष्टिकोण का आह्वान किया, अर्थात् एक ऐसा साझा मंच जहाँ सभी उद्योग संघ एक राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए मिलकर कार्य करें।

प्रतिभा और चिप डिज़ाइन

- भारत का लक्ष्य इस दशक के भीतर 85,000 कुशल सेमीकंडक्टर इंजीनियरों का समूह तैयार करना है।
- चिप्स टू स्टार्टअप (C2S) कार्यक्रम महाविद्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (EDA) उपकरण उपलब्ध कराता है, जो चिप डिज़ाइन करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर हैं।
- C-DAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) स्थित ChipIN केंद्र C2S और DLI योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सुविधा है। यह महाविद्यालयों और स्टार्ट-अप्स को चिप-डिज़ाइन उपकरण, चिप-निर्माण सेवाएँ और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

वैश्विक साझेदारियाँ

- भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, सिंगापुर और नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग है।

- 12-13 जनवरी 2026 को जर्मन चांसलर की यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने सेमीकंडक्टर साझेदारी पर एक संयुक्त आशय घोषणा (Joint Declaration of Intent) पर हस्ताक्षर किए।
- फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और साझेदार देशों के गठबंधन Pax Silica में शामिल हुआ। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर AI प्रणालियों तक संपूर्ण “सिलिकॉन स्टैक” को सुरक्षित करना तथा आपूर्ति शृंखलाओं को कुछ गिने-चुने हाथों में केंद्रित होने से रोकना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स: असेंबली से कंपोनेंट तक

- 2014-15 से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। मात्रा की दृष्टि से भारत अब मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है।
- 2025-26 में स्मार्टफोन भारत की सबसे बड़ी एकल निर्यात वस्तु बन गए, जो पेट्रोलियम उत्पादों तथा रत्न एवं आभूषणों से भी आगे निकल गए।
- अगला कदम उपकरणों को केवल असेंबल करना नहीं, बल्कि उनके भीतर लगने वाले कंपोनेंट (पुर्जे) बनाना है।

उदाहरण – घरेलू मूल्यवर्धन

मान लीजिए कोई कंपनी ₹9,000 के आयातित पुर्जों से भारत में एक फोन असेंबल करती है और उसे ₹10,000 में बेचती है। इसमें केवल ₹1,000, अर्थात् 10% मूल्य ही भारत में जुड़ता है।

यदि बैटरी, कैमरा मॉड्यूल और सर्किट बोर्ड भी भारत में बनें, तो ₹10,000 का कहीं अधिक हिस्सा भारत में रहेगा। इसे उच्च घरेलू मूल्यवर्धन कहा जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना (ECMS)

- ECMS को MeitY द्वारा 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को असेंबली से कंपोनेंट विनिर्माण की ओर ले जाना है।
- यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा और डिस्प्ले मॉड्यूल, कनेक्टर, कैपेसिटर, लिथियम-आयन सेल और दुर्लभ-मृदा चुंबक जैसे कंपोनेंट को सहायता देती है।
- यह योजना छह वर्ष की है, साथ ही एक वर्ष की वैकल्पिक स्थापना (गेस्टेशन) अवधि का प्रावधान है। इसका पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन पाँच वर्षों के लिए उपलब्ध है।
- इसके लक्ष्य हैं – उच्च घरेलू मूल्यवर्धन, आयात पर कम निर्भरता और अधिक सुदृढ़ आपूर्ति शृंखलाएँ।

इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सरकारी कदम

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE) 2019 का लक्ष्य भारत को चिपसेट जैसे कोर कंपोनेंट सहित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण (ESDM) का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- SPECS (2020), अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं सेमीकंडक्टर विनिर्माण संवर्धन योजना, पूंजीगत व्यय पर 25% प्रोत्साहन देती है। इसका अर्थ है कि यह संयंत्र और मशीनरी की लागत का एक हिस्सा वहन करती है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना परियोजना लागत का आधे तक हिस्सा वहन करके ग्रीनफील्ड (नए) इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बनाने में सहायता करती है।

- **EMC 2.0 (2020)**, अर्थात संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना, विश्वस्तरीय अवसंरचना, साझा सुविधाओं और तैयार “प्लग-एंड-प्ले” फैक्ट्री स्थान को सहायता देती है।
- **बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (2020)** मोबाइल फोन और कंपोनेंट की अतिरिक्त बिक्री पर 4%-6% का प्रोत्साहन देती है। अर्थात किसी कंपनी को अधिक सहायता तभी मिलती है जब वह अधिक उत्पादन और बिक्री करती है।
- **IT (सूचना प्रौद्योगिकी) हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0 (2023)** भारत में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के निर्माण को सहायता देती है।

- **मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (2026)** का लक्ष्य मोबाइल आपूर्ति श्रृंखला को गहरा करना, घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाना और भारतीय मोबाइल ब्रांडों को सहायता देना है।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP)** चरणों में आयात शुल्क (टैरिफ) का उपयोग करता है, ताकि कंपनियाँ मोबाइल फोन के अधिक पुर्जे भारत में बनाने के लिए प्रेरित हों।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (EDF)** एक “फंड ऑफ फंड्स” है। यह उद्यम पूंजी कोषों (वेंचर फंड) में निवेश करता है, जो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के स्टार्ट-अप्स को जोखिम पूंजी देते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100% FDI** (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की अनुमति है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2026: भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्रों और उनके स्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?

- (a) सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स की साझेदारी : गुजरात
(b) टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड : असम
(c) एचसीएल-फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम, इंडिया चिप लिमिटेड : मध्य प्रदेश

(d) सिकसेम प्राइवेट लिमिटेड : ओडिशा

Answer: (c). एचसीएल-फॉक्सकॉन इकाई उत्तर प्रदेश (जेवर के निकट) में है, मध्य प्रदेश में नहीं।

UPSC Mains 2025, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

04 सीमा प्रबंधन • सीमावर्ती क्षेत्र विकास

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम: अंतिम नहीं, “प्रथम गाँव”

GS पेपर III: सुरक्षा – सीमा प्रबंधन; **GS पेपर II:** सरकारी योजनाएँ | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 61-75

चर्चा में क्यों? 20 फरवरी 2026 को असम के नाथनपुर में **वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण (VVP-II)** का औपचारिक शुभारंभ किया गया। PIB ने बताया है कि दोनों चरण भारत की स्थल सीमाओं के किनारे बसे गाँवों का विकास किस प्रकार कर रहे हैं।

सीमावर्ती गाँव क्यों महत्वपूर्ण हैं

- भारत सात पड़ोसी देशों के साथ **15,000 किमी** से अधिक लंबी स्थल सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश (4,096.7 किमी) के साथ है, उसके बाद चीन और पाकिस्तान का स्थान है।
- दुर्गम भूभाग, खराब सड़कों और रोजगार की कमी के कारण अनेक सीमावर्ती गाँव अलग-थलग बने रहे। परिणामस्वरूप लोग वहाँ से पलायन कर गए और कुछ सीमांत क्षेत्रों की आबादी विरल हो गई।
- सीमावर्ती निवासी सीमा सुरक्षा बलों की **“आँख और कान”** का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, 3 मई 1999 को कारगिल सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि की सूचना सबसे पहले स्थानीय निवासियों ने ही दी थी।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम क्या है?

- VVP की शुरुआत 2023 में भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमाओं के किनारे स्थित चयनित गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए की गई थी।
- **गृह मंत्रालय (MHA)** इसका नोडल मंत्रालय है। यह राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- VVP सीमावर्ती बस्तियों को देश के अंतिम गाँव नहीं, बल्कि उसके **“प्रथम गाँव”** मानता है।
- इसमें सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार शामिल हैं। इसका उद्देश्य जीवन-स्थितियों में सुधार करना, लोगों को अपने गाँवों में बने रहने में सहायता देना और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

- यह **सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)** पर आधारित है, जिसे 1986-87 में पश्चिमी सीमा पर शुरू किया गया था। बाद में BADP ने 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) के 111 जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किमी तक (पहली बस्ती से गिनते हुए) के गाँवों को शामिल किया। BADP अब अपने समापन (सनसेट) चरण में है।

दो चरण

बिंदु	VVP-I	VVP-II
सम्मिलित सीमा	उत्तरी सीमा	अन्य सभी स्थल सीमाएँ
प्रकार	केंद्र प्रायोजित योजना, राज्यों के साथ मिलकर संचालित	केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित
अनुमोदन	केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित; 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित	2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित
शुभारंभ	10 अप्रैल 2023, किबिथू (अंजाव ज़िला, अरुणाचल प्रदेश) में	20 फरवरी 2026, नाथनपुर (कछार ज़िला, असम) में
गाँव	19 ज़िलों के 46 ब्लॉकों में 662 रणनीतिक गाँव प्राथमिकता के आधार पर चयनित	334 ब्लॉकों में 1,954 गाँव
अवधि	2022-23 से 2026-27	2028-29 तक

उदाहरण – केंद्रीय योजनाओं के दो प्रकार

मान लीजिए किसी गाँव की सड़क की लागत ₹100 है। VVP-I जैसी **केंद्र प्रायोजित योजना** के अंतर्गत केंद्र और राज्य लागत साझा करते हैं, और कार्य राज्य द्वारा कराया जाता है।

VVP-II जैसी **केंद्रीय क्षेत्र योजना** के अंतर्गत केंद्र पूरे ₹100 का भुगतान करता है, और योजना का संचालन एक केंद्रीय मंत्रालय (यहाँ MHA) करता है।

- **VVP-I** में 4 राज्य और 1 UT शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख।
- **VVP-II** में 15 राज्य और 2 UTs शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, तथा लद्दाख।
- दोहराव से बचने के लिए उत्तरी सीमा के जो ब्लॉक पहले से VVP-I के अंतर्गत हैं, उन्हें VVP-II से बाहर रखा गया है। दोनों चरण मिलकर 2,616 से अधिक गाँवों (662 + 1,954) को शामिल करने का लक्ष्य रखते हैं।
- **किबिथू** भारत के सबसे पूर्वी बसे हुए गाँवों में से एक है। 1962 के भारत-चीन युद्ध में इस क्षेत्र में भीषण लड़ाई हुई थी।

कार्यक्रम क्या प्रदान करता है

- VVP-I बारहमासी सड़कों, पेयजल, बिजली, मोबाइल और इंटरनेट संपर्क, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, पर्यटन सुविधाओं और सामुदायिक केंद्रों को सहायता देता है।
- इसकी आजीविका सहायता **हब-एंड-स्पोक मॉडल** पर आधारित है, जिसमें एक केंद्रीय स्थान आसपास के अनेक गाँवों को सेवा देता है। यह युवाओं और महिलाओं, पर्यटन, स्थानीय संस्कृति तथा एक ब्लॉक-एक उत्पाद उद्यमों को बढ़ावा देता है, जो एक स्थानीय उत्पाद के इर्द-गिर्द स्थानीय व्यवसाय खड़े करते हैं। VVP-I के 2023 के मंत्रिमंडलीय अनुमोदन में इसे “एक गाँव-एक उत्पाद” कहा गया है।
- VVP-II सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं, SMART कक्षाओं, पर्यटन सर्किटों, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को भी सहायता देता है।
- VVP-II के अंतर्गत सीमावर्ती ब्लॉकों के प्रत्येक गाँव को चार बुनियादी सेवाएँ मिलनी हैं: बारहमासी सड़कें, दूरसंचार, टेलीविज़न और ऑन-ग्रिड बिजली।

- VVP-II सुदृढ़ सीमावर्ती समुदायों के माध्यम से **सीमा-पार अपराध**, अर्थात् अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले अपराध, की रोकथाम और नियंत्रण पर विशेष बल देता है।

क्रियान्वयन कैसे होता है

- कार्य **ग्राम कार्य योजनाओं** (Village Action Plans) द्वारा निर्देशित होता है। इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक सीमा, राज्य और गाँव के अनुरूप विशिष्ट कदमों के माध्यम से लागू किया जाता है।
- **VVP अभिसरण और संतृप्ति** (convergence and saturation) का दृष्टिकोण अपनाता है। इसका अर्थ है कि मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं को एक साथ लाया जाता है, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को वह हर योजना मिले जिसके लिए वह पात्र है।
- बारहमासी सड़कें ग्रामीण विकास मंत्रालय की **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-IV** के अंतर्गत बनाई जाती हैं।
- **मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति** सीमावर्ती गाँवों की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप योजना नियमों में छूट की सिफ़ारिश कर सकती है।

अवसंरचना से परे प्रभाव

- **सुरक्षा:** आबाद और आत्मविश्वासी सीमा पट्टी सीमा सुरक्षा बलों के कार्य में सहायक होती है।
- **रिवर्स माइग्रेशन:** अरुणाचल प्रदेश में कुरुंग कुमे, दिबांग घाटी और शि-योमी ज़िलों के सीमावर्ती गाँवों में लोग लौट रहे हैं।
- **अर्थव्यवस्था:** सीमा पर्यटन, सहकारी समितियाँ, SHGs और किसान उत्पादक संगठन (FPOs), जो मिलकर खरीद-बिक्री करने वाले किसानों के समूह हैं, स्थानीय आय सृजित कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) इन गाँवों से सीधे दूध, सब्जियाँ, अंडे और अनाज खरीदती है।
- **शासन:** ग्राम कार्य योजनाएँ ज़िला प्रशासन को अनेक विभागों के कार्यों की योजना बनाने का एक साझा साधन देती हैं।
- मूल विचार यह है कि सीमांत पर विकास और सुरक्षा एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Mains 2026, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): लद्दाख रणनीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान के बीच स्थित है। स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतने के उपाय के रूप में, केंद्र सरकार के सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) और सेना की नागरिक कार्रवाइयों पर चर्चा कीजिए। लद्दाख के लिए संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान को लागू करने की माँग पर भी चर्चा कीजिए।

UPSC Mains 2024, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ लंबी और अशांत सीमा है, जो विवादास्पद मुद्दों से भरी है। सीमा पर परस्पर विरोधी मुद्दों और सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) और सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (BIM) योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख कीजिए।

विश्व पर्यटन दिवस 2026 और भारत की पर्यटन योजनाएँ

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था – सेवाएँ, अवसंरचना; GS पेपर I: भारतीय संस्कृति और विरासत | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 77-93

चर्चा में क्यों? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2026 को “पर्यटन को नया स्वरूप देने हेतु डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता” विषय के साथ मनाया गया। अल सल्वाडोर वैश्विक मेज़बान था, और भारत का मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

विश्व पर्यटन दिवस के बारे में

- विश्व पर्यटन दिवस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) की पहल है, जिसे अब UN Tourism भी कहा जाता है।
- यह 1970 में UNWTO की संविधि (statutes) को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है, और पहली बार इसे 1980 में मनाया गया था।
- भारत के कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन स्टैक और देखो अपना देश 2.0 के शुभारंभ की योजना बनाई। यह स्टैक एक खुली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, अर्थात एक साझा डिजिटल प्रणाली जिस पर अन्य लोग अपने समाधान बना सकते हैं। इसका उद्देश्य पर्यटन सेवाओं को खोजना, उन तक पहुँचना और उन पर भरोसा करना आसान बनाना है। देखो अपना देश 2.0 कम-ज्ञात गंतव्यों को बढ़ावा देता है।

पर्यटन का मापन: TSA

- अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी पर्यटन उपग्रह लेखा (TSA) के माध्यम से मापी जाती है। यह वह आधिकारिक लेखांकन ढाँचा है जो पर्यटन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान को मापता है।
- इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि “पर्यटन” कोई एक उद्योग नहीं है। एक पर्यटक का खर्च होटलों, परिवहन, रेस्तराँ और दुकानों में बँटा होता है, इसलिए TSA इनमें से प्रत्येक के पर्यटन-अंश को जोड़ता है।
- नवीनतम TSA अनुमानों के अनुसार, पर्यटन का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.22% है।

डिजिटल कदम

- ई-वीज़ा सुविधा 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू हुई थी। अब यह 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
- नया रूप दिया गया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आगंतुक की यात्रा को व्यक्तिगत रूप देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरण का उपयोग करता है। यह यात्रियों को उड़ान, होटल, टैक्सी और स्मारक टिकट बुक करने की सेवाओं से भी जोड़ता है।
- NIDHI+ (नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) होटलों और अन्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण, मान्यता और वर्गीकरण का एकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है।
- पर्यटन मंत्रालय 24x7 टोल-फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन (1363) चलाता है, जो संकट में फँसे पर्यटकों की भी सहायता करती है।

लाइटहाउस और MICE पर्यटन

- समुद्री नौवहन सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 23 के अंतर्गत सरकार लाइटहाउसों (प्रकाश स्तंभों) के शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के लिए उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

- मंत्रालय ने MICE (बैठकें, प्रोत्साहन यात्राएँ, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ) पर्यटन, अर्थात व्यावसायिक आयोजनों के लिए यात्रा, हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है। भारत दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि तथा मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर जैसे बड़े MICE स्थल बना रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- भारत की BRICS अध्यक्षता के अंतर्गत जयपुर में आयोजित BRICS पर्यटन मंत्रियों की बैठक (अगस्त 2026) में जयपुर घोषणापत्र अपनाया गया।
- इसकी चार प्राथमिकताएँ हैं – AI और पर्यटन, सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन, पर्यटन कौशल, तथा सुगम यात्रा के साथ पर्यटन आदान-प्रदान।

पर्यटन के लिए सरकारी कदम

- स्वदेश दर्शन (2014-15) बौद्ध, रामायण और जनजातीय सर्किट जैसे थीम-आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करती है।
- स्वदेश दर्शन 2.0 गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है, जो सतत और उत्तरदायी पर्यटन पर केंद्रित है। चुनौती आधारित गंतव्य विकास (CBDD) चयनित गंतव्यों के समग्र विकास के लिए इसकी उप-योजना है।
- संशोधित UDAN (उड़ें देश का आम नागरिक) योजना (2026-27 से 2035-36) के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करने की योजना है।
- PRASHAD (2014-15), अर्थात तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive), तीर्थ और विरासत स्थलों पर सुविधाओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) को धनराशि देती है।
- पर्यटन के लिए SASCI (पूँजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता) 100% केंद्रीय वित्तपोषण के साथ प्रतिष्ठित (आइकॉनिक) गंतव्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करती है।
- सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (CBSP), जिसमें हुनर से रोज़गार तक शामिल है, पर्यटन और आतिथ्य से जुड़े रोज़गारों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण देती है।
- पर्यटन मित्र / पर्यटन दीदी (2024) चालकों, गाइडों और विक्रेताओं जैसे स्थानीय लोगों को आतिथ्य, स्वच्छता और सुरक्षा का प्रशिक्षण देती है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक विश्व पर्यटन दिवस या पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2015, GS पेपर I (12.5 अंक, 200 शब्द): जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य पर्यटन के कारण अपनी पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमा तक पहुँच रहे हैं। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

06 बाह्य क्षेत्र • निर्यात

निर्यात हब के रूप में ज़िले: हर ज़िला एक निर्यात इकाई

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था – बाह्य क्षेत्र, MSMEs, समावेशी विकास | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 95-103

चर्चा में क्यों? 1 जून 2026 से सरकार ने निर्यात हब के रूप में ज़िले (DEH) पहल के अंतर्गत एक केंद्रित, चरणबद्ध और परिणाम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2025-26 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात अनुमानित US\$863.11 बिलियन तक पहुँच गया।

DEH क्या है?

- दशकों तक निर्यात मुख्यतः कुछ औद्योगिक क्लस्टरों और बंदरगाह शहरों से ही होता रहा। बस्तर के लौह शिल्प या जलगाँव के केले जैसे उत्पाद विदेशी खरीदारों तक शायद ही कभी पहुँच पाते थे।
- DEH प्रत्येक ज़िले को निर्यात नियोजन की इकाई मानता है, न कि केवल उत्पादन की इकाई। यह वैश्विक माँग वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करता है और स्थानीय उत्पादकों को विदेशी बाज़ारों से जोड़ता है।
- DEH एक अभिसरण ढाँचा है, वित्तपोषण योजना नहीं। इसका कोई अलग बजट नहीं है; यह विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत पहले से उपलब्ध धनराशि का उपयोग करता है।
- इसका उद्देश्य रोज़गार सृजित करना, MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को सुदृढ़ करना और निर्यात वृद्धि को अधिक समावेशी बनाना है। यह आत्मनिर्भर भारत और वोक्ल फॉर लोकल को समर्थन देता है।
- जनवरी 2026 तक DEH 770 से अधिक ज़िलों में लागू है।

ODOP से DEH तक

एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) प्रत्येक ज़िले से एक विशेष उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करता है। इसकी शुरुआत मुरादाबाद के पीतल उद्योग को केंद्र में रखकर 2018 में उत्तर प्रदेश की पहल के रूप में हुई थी, और बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया गया। 2019 में शुरू किया गया DEH, ODOP पर आधारित है। दोनों को विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के अंतर्गत एक साथ लाया गया।

ODOP	DEH
उत्पाद पर केंद्रित	निर्यात पर केंद्रित
ब्रांडिंग और स्थानीय प्रचार	बाज़ार पहुँच और वैश्विक प्रचार
उत्पाद की पहचान करता है	संपूर्ण निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है

कौन क्या करता है

केंद्र वाणिज्य विभाग नीति बनाता है; DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय) इसका संचालन करता है	→	राज्य राज्य निर्यात संवर्धन समिति (SEPC)	→	ज़िला ज़िला निर्यात संवर्धन समिति (DEPC)
--	---	--	---	--

- DGFT क्रियान्वयन का आधार है, हितधारकों में समन्वय करता है और प्रगति की निगरानी करता है।
- SEPC प्रत्येक राज्य में कार्य का मार्गदर्शन करती हैं और विभिन्न विभागों को एक साथ लाती हैं।
- DEPC का प्रमुख कार्य ज़िला निर्यात कार्य योजना (DEAP) तैयार करना है। यह निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं का मानचित्रण करती है, अवसररचना और लॉजिस्टिक्स का आकलन करती है, तथा निर्यात की बाधाओं की पहचान करती है। यह प्रतिस्पर्धात्मकता और बाज़ार पहुँच सुधारने के लिए कदमों (हस्तक्षेपों) की सिफ़ारिश भी करती है।

उदाहरण – एक ज़िला निर्यात योजना

मान लीजिए जलगाँव (महाराष्ट्र) की DEPC अपनी योजना तैयार करती है। PIB वहाँ जलगाँव केला और जलगाँव भरीत बैंगन को निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के रूप में सूचीबद्ध करता है। इसके बाद योजना व्यावहारिक प्रश्न पूछती है। क्या वहाँ शीत भंडारण और परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं? क्या किसान विदेशी खरीदारों के गुणवत्ता नियमों से परिचित हैं? इन उत्तरों से तय होता है कि ज़िले को किन योजनाओं का उपयोग करना चाहिए।

निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

- DEH प्रत्येक ज़िले में उत्पादों का मानचित्रण करता है, जैसे कृषि क्लस्टर, खिलौना क्लस्टर, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और GI-टैग प्राप्त उत्पाद। भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दर्शाता है कि कोई उत्पाद किसी विशेष स्थान से आता है और उसमें उस स्थान से जुड़े गुण हैं।
- यह निर्यातकों को गुणवत्ता, परीक्षण, पैकेजिंग और प्रमाणन के वैश्विक मानक पूरे करने में सहायता करता है।
- ई-कॉमर्स और कूरियर कंपनियों के साथ साझेदारी से छोटी फर्मों को सस्ती शिपिंग मिलती है। डाक घर निर्यात केंद्र कागज़ी कार्रवाई, पैकिंग और छोटे पार्सलों के लिए कम लागत वाले डाकघर-आधारित निर्यात केंद्र हैं।
- DGFT के क्षेत्रीय कार्यालय ज़िला प्रशासनों के साथ मिलकर निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स, निर्यात प्रक्रियाओं, पैकेजिंग मानदंडों और नियमों का प्रशिक्षण देते हैं।

- निर्यात-आयात (EXIM) बैंक के **ग्रासरूट्स इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट (GRID)** कार्यक्रम के अंतर्गत छह ज़िले चुने गए: अनंतपुर, रायपुर, सोलन, तिरुपुर, कानपुर और कोल्हापुर।
- जून 2026 से लागू चरणबद्ध दृष्टिकोण के अंतर्गत सफलता का मापन नए निर्यातक पंजीकरणों और उच्च निर्यात मूल्य से किया जाता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक निर्यात हब के रूप में ज़िले या ODOP पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2017, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): श्रम-प्रधान निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारण बताइए। पूंजी-प्रधान के बजाय अधिक श्रम-प्रधान निर्यात के लिए उपाय सुझाइए।

07 शासन • सेवा वितरण

सामुदायिक संवर्ग: ग्रामीण सेवा वितरण का अंतिम छोर

GS पेपर II: शासन – SHGs और समुदाय-आधारित संगठनों की भूमिका; कल्याणकारी योजनाएँ | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 105–119

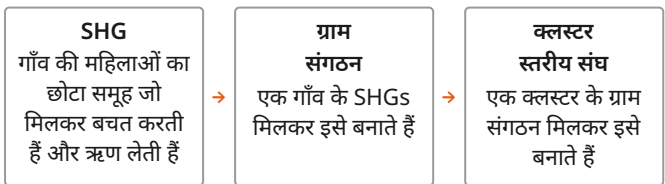
चर्चा में क्यों? PIB ने बताया है कि **9 लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति**, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHAs), आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, सरकारी योजनाओं को ग्रामीण परिवारों तक किस प्रकार पहुँचाते हैं। तीन मंत्रालयों का एक संयुक्त परामर्श इन संवर्गों को “अभिसरण के अंतिम-छोर के सक्षमकर्ता” कहता है।

सामुदायिक संवर्ग दृष्टिकोण

- सामुदायिक संवर्ग** समुदाय से ही चुना गया एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है, जो लोगों को सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में सहायता करता है। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) ऐसा ही एक संवर्ग है।
- यह **अंतिम-छोर वितरण** का एक विकेंद्रीकृत तरीका है। इसका अर्थ है कि दूरस्थ कार्यालय नहीं, बल्कि स्थानीय लोग सेवाओं को अंतिम चरण पार कराकर प्रत्येक परिवार तक पहुँचाते हैं।
- संवर्ग चार भूमिकाएँ निभाते हैं। वे **प्रशिक्षक**, सेवा प्रदाता, व्यवहार परिवर्तन एजेंट और योजना सुगमकर्ता हैं, जो दस्तावेज़ों और संपर्कों (लिंकेज) में सहायता करते हैं।
- उन्हें प्रायः गतिविधि के आधार पर भुगतान किया जाता है, और प्रोत्साहन उनके द्वारा दी गई सेवाओं से जुड़े होते हैं।

DAY-NRLM: आधार

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जोड़ा है, जिनमें अधिकांश महिलाओं के समूह हैं।



आजीविका और वित्त संवर्ग

संवर्ग	क्या करता है
कृषि सखी	कृषि परामर्श और सतत खेती
पशु सखी	पशु स्वास्थ्य और पशुधन
मत्स्य सखी / वन सखी	मत्स्य पालन / इमारती लकड़ी के अलावा अन्य वन उपज
उद्यम CRP (CRP-EP) / उद्योग सखी	छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता

संवर्ग	क्या करता है
बैंक सखी	SHGs को शाखा में बैंक ऋण से जोड़ती है
BC (बिज़नेस कॉरिस्पोंडेंट) सखी	घर-द्वारा बैंकिंग सेवाएँ
वित्तीय साक्षरता CRP / बीमा सखी	धन संबंधी मामलों / बीमा के प्रति जागरूकता

- बिज़नेस कॉरिस्पोंडेंट (BC)** एक ऐसा एजेंट है जो बैंक की ओर से खाता खोलने, जमा और निकासी जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ देता है।
- CRP-EP** (उद्यम संवर्धन हेतु CRP) DAY-NRLM के स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो ग्रामीण लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता करता है।
- राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान** का लक्ष्य 50,000 CRPs को उद्यम संवर्धन में प्रशिक्षित करना और 50 लाख SHG सदस्यों को उद्यम प्रशिक्षण देना है।
- जेंडर CRPs** DAY-NRLM के तहत लैंगिक हिंसा, बहिष्करण और असमानता के विरुद्ध कार्य करती हैं।

स्वास्थ्य एवं पोषण

- आशा (ASHA) कार्यकर्ता** स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क का पहला बिंदु हैं। वे सामुदायिक स्वयंसेविकाएँ हैं, जिन्हें प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन मिलता है।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ता ICDS** (एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) और पोषण 2.0 के तहत पोषण तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का संचालन करती हैं। वे गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की पहचान करती हैं।
- पोषण भी पढ़ाई भी** का उद्देश्य आँगनवाड़ियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) में सुधार करना है। यह आँगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर अवसंरचना, खेल-आधारित शिक्षण सामग्री और सुप्रशिक्षित कार्यकर्ता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

स्वच्छता, जल एवं आवास

- **स्वच्छाग्रही** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के “पैदल सैनिक” हैं। वे लोगों को अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आदर्श रूप से प्रत्येक गाँव में कम से कम एक स्वच्छाग्रही होता है, और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- **73वें संविधान संशोधन** ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसी के अनुरूप, जल जीवन मिशन ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (पानी समितियों) को, जो ग्राम पंचायत की उप-समितियाँ हैं, गाँव की जलापूर्ति की योजना बनाने, उसे चलाने और उसका रखरखाव करने का अधिकार देता है।
- पानी समिति के सदस्यों का चयन **ग्राम सभा** द्वारा किया जाता है, जो गाँव के सभी वयस्क मतदाताओं की बैठक है। इसके कम से कम 50% सदस्य महिलाएँ होती हैं।
- **नल जल मित्र कार्यक्रम** गाँव के लोगों को प्लंबिंग, बिजली के काम और पंप संचालन का प्रशिक्षण देता है, ताकि वे जल प्रणालियों की छोटी-मोटी मरम्मत स्वयं कर सकें।

- **आवास मित्र** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत क्षेत्रीय सहायक हैं। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घर बनाना है। प्रत्येक स्वीकृत घर को उसके पूरा होने तक एक ग्राम-स्तरीय सहायक से जोड़ा जाता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

- कैडर किसी परिवार को चरणबद्ध ढंग से पहुँच से जागरूकता, फिर क्षमता निर्माण और अंत में सेवा वितरण तक ले जाते हैं।
- कैडर एक परिवार को एक साथ कई योजनाओं से जोड़ते हैं, जैसे आजीविका, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बैंकिंग। यही परिवार-स्तर पर अभिसरण है।
- कैडरों को “अभिसरण के अंतिम-छोर के सक्षमकर्ता” कहने वाली संयुक्त परामर्शिका ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी।
- उदाहरण के लिए, बस्ती (उत्तर प्रदेश) की आरती 2016 में एक SHG से जुड़ीं और आगे चलकर कन्वर्जेंस CRP बनीं। उन्होंने पंचायत, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और परिवारों को आपस में जोड़ा।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक सखी या स्वच्छाग्रही जैसे सामुदायिक कैडरों पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2015, GS पेपर II (12.5 अंक, 200 शब्द): स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP), जो भारत का अपना नवाचार है, निर्धनता उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण के सबसे प्रभावी कार्यक्रमों में से एक सिद्ध हुआ है। स्पष्ट कीजिए।

08 कला एवं संस्कृति • सिनेमा और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था

भारतीय सिनेमा: इंडिया सिने हब, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और WAVES

GS पेपर I: भारतीय संस्कृति – आधुनिक कलाएँ (सिनेमा); **GS पेपर III:** मीडिया एवं मनोरंजन अर्थव्यवस्था | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 121–131, 279–291 और 387–395 (लेख 9, 21 और 31)

चर्चा में क्यों? राष्ट्रपति द्वारा 22 सितंबर 2026 को एकता नगर, गुजरात में **72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार** प्रदान किए जाने थे। PIB ने फिल्म-शूटिंग अनुमतियों की एकल खिड़की इंडिया सिने हब और प्रसार भारती के WAVES OTT प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी दी।

इंडिया सिने हब (ICH)

- **इंडिया सिने हब** फिल्म शूटिंग के लिए एक एकल-खिड़की डिजिटल पोर्टल है, जिसका संचालन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) करता है। एकल खिड़की वह एक स्थान है, जहाँ सभी अनुमतियाँ माँगी जा सकती हैं।
- यह राज्य अनुमोदनों, पुलिस मंजूरीयों और सह-निर्माण आवेदनों को एक केंद्रीय प्रणाली में लाता है। विदेशी फिल्म निर्माता भी आवेदन कर सकते हैं, और ICH उन्हें **फिल्म वीज़ा** दिलाने में सहायता करता है।
- यह फिल्मांकन दिशानिर्देश, शूटिंग स्थलों का डिजिटल मानचित्र, स्थानीय विक्रेताओं की सूची तथा केंद्रीय और राज्य फिल्म प्रोत्साहनों का विवरण भी उपलब्ध कराता है।
- अब ICH का विस्तार लाइव आयोजनों की अनुमति देने के लिए किया जा रहा है। यह **लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (LEDC)** का डिजिटल आधार होगा।

उदाहरण – एक फिल्म सह-निर्माण

एक भारतीय निर्माता और एक फ्रांसीसी निर्माता मिलकर एक फिल्म बनाते हैं। वे लागत और जोखिम साझा करते हैं, और फिल्म दोनों देशों के दर्शकों तक

पहुँचती है। ऑल वी इमैजिन ऐज़ लाइट (2024) ऐसी ही एक भारत-फ्रांस फिल्म है। भारत की 17 देशों के साथ आधिकारिक सह-निर्माण संधियाँ हैं।

NFDC

- NFDC की स्थापना सरकार द्वारा **1975** में भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। बाद में इसमें फिल्म वित्त निगम और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का विलय कर दिया गया।
- 2020 के एक सरकारी अधिदेश के तहत इसमें फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल चलचित्र समिति, भारत का भी विलय कर दिया गया।
- NFDC **फिल्म बाज़ार इंडिया** का आयोजन करता है, जो फिल्मों के सह-निर्माण और बिक्री का एक दक्षिण एशियाई बाज़ार है। यह गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के साथ-साथ आयोजित होता है।

फिल्म पर्यटन

- **फिल्म पर्यटन** का अर्थ है लोगों का उन स्थानों की यात्रा करना, जिन्हें उन्होंने फिल्मों में देखा है। इससे स्थानीय रोज़गार सृजित होते हैं और विरासत के संरक्षण में सहायता मिलती है। उदाहरण के

लिए, फिल्म 3 इंडियट्स के बाद लद्दाख में पर्यटकों का आगमन 2.4 गुना बढ़ गया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के लिए भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। ये प्रतिवर्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, और NFDC इनकी कार्यान्वयन संस्था है।
- इनकी शुरुआत 1954 में फिल्म जाँच समिति (1949) की सिफारिश पर 'राज्य फिल्म पुरस्कार' (State Awards for Films) के रूप में हुई। पहले संस्करण में 1953 की फिल्मों को सम्मानित किया गया।
- इनका उद्देश्य कलात्मक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करना तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है।
- इनके तीन खंड हैं: फीचर फिल्मों, गैर-फीचर फिल्मों (वृत्तचित्र, लघु फिल्मों, एनीमेशन) और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार अलग से दिया जाता है।
- विजेताओं को स्वर्ण कमल (Golden Lotus) या रजत कमल (Silver Lotus) पदक मिलता है।
- संविधान की आठवीं अनुसूची की प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। अन्य भाषाओं की फिल्मों को अलग पुरस्कार मिलते हैं।
- फिल्म का केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित होना और उसमें अंग्रेज़ी उपशीर्षक होना आवश्यक है। फीचर फिल्म की अवधि 72 मिनट से अधिक होनी चाहिए।
- पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1968 में उत्तम कुमार और नरगिस को मिले। उस समय इन पुरस्कारों को भरत और उर्वशी कहा जाता था।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (2024 की फिल्मों)

- समारोह गुजरात के एकता नगर (पूर्व में केवड़िया) में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित किया जाना था। यह पहली बार है, जब इसका आयोजन दिल्ली से बाहर हो रहा है। भविष्य के संस्करण भी एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप अन्य राज्यों में आयोजित होंगे।
- आर्टिकल 370 (हिंदी) ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ममूटी और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से मिला, और यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।
- पहली बार गैर-फीचर खंड में एक संधाली फिल्म को सम्मानित किया गया। अंगेन ने निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म (गैर-फीचर) का पुरस्कार जीता।

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

- यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना 1969 में हुई, और इसकी पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी थीं।
- इसका नाम "भारतीय सिनेमा के जनक" धुंडिराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। उन्होंने भारत की पहली पूर्ण-लंबाई की फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (1913) बनाई।

- इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित नहीं की जातीं। प्रतिष्ठित फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति प्राप्तकर्ता की सिफारिश करती है।
- 2024 का पुरस्कार कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दिया जाएगा।

सिनेमा क्यों महत्वपूर्ण है

- भारत का मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारतीय फिल्मों में भारत की सॉफ्ट पावर की वाहक भी हैं, जो बल के बजाय संस्कृति के माध्यम से विदेशों में प्रभाव अर्जित करने की क्षमता है।

WAVES OTT और MyWAVES

- OTT (ओवर-द-टॉप) का अर्थ है केबल या सैटेलाइट टीवी के बिना, इंटरनेट के माध्यम से सीधे दर्शकों तक स्ट्रीम किया जाने वाला वीडियो या ऑडियो।
- WAVES OTT प्रसार भारती का सार्वजनिक-सेवा OTT प्लेटफॉर्म है। प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन करती है। इसे 20 नवंबर 2024 को गोवा में 55वें IFFI में लॉन्च किया गया था।
- वाणिज्यिक प्लेटफॉर्मों के विपरीत, यह सूचना, शिक्षा, संस्कृति और समाचार पर केंद्रित है। इसके तीन लक्ष्य हैं: व्यापक डिजिटल पहुँच, सांस्कृतिक संरक्षण और भाषाई विविधता।
- इस पर दूरदर्शन के सभी सैटेलाइट चैनल, आकाशवाणी रेडियो, PM eVidya शिक्षण चैनल तथा योजना और कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं।
- इसकी पे-पर-व्यू (PPV) कंटेंट सोर्सिंग नीति के तहत बाहरी निर्माता और अधिकार-धारक अपनी सामग्री इस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के माध्यम से खरीदारी की सुविधा भी देता है।
- WAVES OTT के भीतर 23 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया MyWAVES नागरिकों को अपने स्वयं के लघु, वर्टिकल और एपिसोडिक वीडियो बनाने और अपलोड करने की सुविधा देता है। यह उन्हें क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर भी देता है।
- इसका जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज (21 जुलाई 2026 से छह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पायलट) प्रत्येक जिले की विरासत, शिल्प, भोजन और त्योहारों पर लघु वीडियो आमंत्रित करता है।

WAVES शिखर सम्मेलन

- WAVES का पूरा नाम वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है। इसका पहला संस्करण 1-4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ।
- इसमें प्रसारण, फिल्म, डिजिटल मीडिया और AVGC-XR (एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) को शामिल किया गया। एक्सटेंडेड रियलिटी का अर्थ है वर्चुअल रियलिटी जैसी वे प्रौद्योगिकियाँ, जो डिजिटल और वास्तविक दुनिया को मिलाती हैं।
- वहाँ 77 देशों द्वारा WAVES घोषणापत्र अपनाया गया।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक इंडिया सिने हब, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या WAVES पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2014, GS पेपर III (12.5 अंक, 200 शब्द): वैश्वीकृत विश्व में बौद्धिक संपदा अधिकार महत्त्व प्राप्त कर लेते हैं और मुकदमेबाज़ी का एक स्रोत बन जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों (ट्रेड सीक्रेट्स) के बीच मोटे तौर पर अंतर स्पष्ट कीजिए।

09 कल्याणकारी योजनाएँ • कारीगर और MSME

PM विश्वकर्मा: पारंपरिक कारीगरों को सहायता

GS पेपर II: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; GS पेपर III: MSME, ऋण और कौशल विकास | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 133-141 (लेख 10)

चर्चा में क्यों? PM विश्वकर्मा 17 सितंबर 2026 को तीन वर्ष पूरे कर रही है। योजना 30 लाख कारीगरों और शिल्पकारों के पंजीकरण का अपना लक्ष्य पहले ही पूरा कर चुकी है।

PM विश्वकर्मा क्या है?

- PM विश्वकर्मा 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। यह पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण से लेकर औज़ारों, ऋण और बाज़ार तक, शुरू से अंत तक सहायता देती है।
- इसका संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) करता है।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात् इसका पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार करती है। इसकी अवधि 2023-24 से 2027-28 तक है।
- इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं, जैसे बढ़ई, नाव बनाने वाला, सुनार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, दर्जी, धोबी, गुड़िया और खिलौना बनाने वाला, तथा मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला।
- यह तीन स्तंभों पर आधारित है: सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि।
- इसका उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा को सुदृढ़ करना है, जो परिवार-आधारित वह पद्धति है, जिसमें पारंपरिक कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं।
- इसका लक्ष्य कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करना तथा उन्हें घरेलू और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ना है।

कारीगर को क्या मिलता है?

लाभ	क्या मिलता है
मान्यता	PM विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र
कौशल प्रशिक्षण	5-7 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण; 15 दिन या अधिक का उन्नत प्रशिक्षण; ₹500 प्रतिदिन की वृत्तिका
टूलकिट	₹15,000 तक की आधुनिक टूलकिट
ऋण	दो किस्तों में, 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण
डिजिटल प्रोत्साहन	किए या प्राप्त किए गए प्रत्येक डिजिटल भुगतान पर ₹1, प्रति माह अधिकतम 100 लेनदेन तक
विपणन सहायता	व्यापार मेले, ब्रांडिंग, विज्ञापन, और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

- संपार्श्विक-मुक्त ऋण वह ऋण है, जिसके लिए उधारकर्ता को प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति या सोना गिरवी नहीं रखना पड़ता।
- ₹1 लाख तक का पहला ऋण 18 महीने के लिए होता है। कारीगर बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इसके लिए पात्र हो जाता है।
- ₹2 लाख तक का दूसरा ऋण 30 महीने के लिए होता है। यह पहले ऋण के चुकाए जाने तथा कारीगर द्वारा डिजिटल भुगतान अपनाने या उन्नत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही दिया जाता है।
- ब्याज दर रियायती 5% पर निर्धारित है। सरकार 8% तक की ब्याज सहायता वहन करती है, अर्थात् ब्याज का यह हिस्सा वह बैंक को चुकाती है।

उदाहरण - ब्याज सहायता

मान लीजिए एक बढ़ई ₹1 लाख का ऋण लेता है, और उस पर बैंक की सामान्य ब्याज दर 13% वार्षिक होती।

बढ़ई केवल 5%, यानी ₹5,000 प्रतिवर्ष चुकाता है। शेष 8%, यानी ₹8,000, सरकार बैंक को देती है। इस प्रकार बैंक को उसका पूरा ब्याज मिल जाता है, और कारीगर को सस्ता ऋण।

कौन आवेदन कर सकता है?

- कारीगर की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और वह 18 अधिसूचित परिवार-आधारित व्यवसायों में से किसी एक में हाथों और औज़ारों से काम करता हो।
- कारीगर असंगठित क्षेत्र में स्वरोज़गार में लगा होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र से मोटे तौर पर आशय संगठित क्षेत्र से बाहर के अनौपचारिक व्यवसायों और श्रमिकों से है।
- कारीगर ने पिछले पाँच वर्षों में स्वरोज़गार के लिए किसी समान सरकारी ऋण योजना के तहत ऋण न लिया हो। किंतु जिन्होंने MUDRA (सूक्ष्म व्यवसायों के लिए छोटे ऋण) या PM SVANidhi (रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए छोटे ऋण) के तहत ऋण पूरी तरह चुका दिए हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।
- परिवार का केवल एक सदस्य पंजीकरण करा सकता है। परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे।
- सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य आवेदन नहीं कर सकते।

पंजीकरण कैसे होता है

- आवेदन केवल सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम से ही किए जा सकते हैं।
- प्रत्येक आवेदन त्रि-स्तरीय सत्यापन से गुज़रता है। पहले इसका सत्यापन ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय करता है, फिर जिला कार्यान्वयन समिति इसकी जाँच करती है। अंतिम अनुमोदन स्क्रीनिंग समिति देती है।
- लाभार्थियों का पंजीकरण उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। यह ऑनलाइन प्रणाली अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का पंजीकरण करती है और उन्हें उद्यम पंजीकरण संख्या देती है। यह कारीगरों को औपचारिक MSME प्रणाली में लाती है।

बाज़ार पहुँच के लिए कदम

- कारीगरों को GeM और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जोड़ा जा रहा है।

- एक स्टेशन एक उत्पाद (OSOP) रेलवे की एक योजना है, जो व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर खुदरा बिक्री केंद्र उपलब्ध कराती है। इसका उपयोग दिव्यांग कारीगरों (दिव्यांगजन विश्वकर्माओं) को स्टॉल देने के लिए किया गया है।
- AVSAR (एयरपोर्ट ऐज़ वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिज़न्स ऑफ द रीजन) नागर विमानन मंत्रालय की एक योजना है, जो कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए हवाई अड्डों पर स्थान देती है। इसकी सहायता से हवाई अड्डों पर PM विश्वकर्मा स्टॉल लगाए गए हैं।

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) के साथ आयोजित जनजातीय कारीगर मेले जनजातीय कारीगरों को ट्राइब्स इंडिया जैसे प्लेटफॉर्मों से जोड़ते हैं।

प्रभाव

- भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) मुंबई द्वारा किए गए एक समवर्ती मूल्यांकन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 93% लाभार्थियों ने प्रशिक्षण के बाद आय में मध्यम से उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक PM विश्वकर्मा पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2023, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए GDP में विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर MSME, की हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए।

10 कृषि • रेशेदार फसलें और उद्योग

जूट: भारत का सुनहरा रेशा

GS पेपर III: कृषि - MSP, फसलें और कृषि-उद्योग; **GS पेपर I:** भूगोल - फसलों और उद्योगों का वितरण | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 143-157 (लेख 11)

चर्चा में क्यों? 2026-27 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹5,925 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जूट-विस्कोस परिधान भी पहने।

जूट क्या है?

- जूट एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। अपने सुनहरे रंग और रेशमी चमक के कारण इसे “सुनहरा रेशा” कहा जाता है।
- व्यापार में जूट और मेस्ता को मिलाकर कच्चा जूट कहा जाता है, क्योंकि दोनों का उपयोग समान कार्यों में होता है। मेस्ता एक बास्ट रेशा फसल है (इसका रेशा तने से प्राप्त होता है), जिसे शुष्क क्षेत्रों में जूट के सस्ते विकल्प के रूप में उगाया जाता है।
- भारत कच्चे जूट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह विश्व के लगभग 75% जूट उत्पाद बनाता है (जुलाई 2026 तक)।
- भारत जूट उत्पादों में पूर्णतः आत्मनिर्भर है।
- जूट जैव-निम्नीकरणीय और पुनर्चक्रण योग्य है। यह सबसे सस्ता प्राकृतिक वनस्पति रेशा है और दूसरा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है। इसका उपयोग पैकेजिंग, निर्माण, कृषि और उद्योग में होता है।

इतिहास

- भारत में जूट का इतिहास तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। औपनिवेशिक काल में यह एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल बन गया, जब बंगाल में अनेक जूट मिलें स्थापित की गईं।
- 1947 के विभाजन के समय जूट उगाने वाला लगभग 80% क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में चला गया, किंतु अधिकांश जूट मिलें भारत में ही रहीं। इससे कच्चे जूट की भारी कमी हो गई।
- इसलिए सरकार ने सितंबर 1949 में “अधिक जूट उगाओ” अभियान शुरू किया। किसानों को धान से जूट की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

यह कहाँ उगता है

- जूट को गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, जिसमें इसकी वृद्धि अवधि के दौरान 700-1,500 मिमी वर्षा हो।
- इसकी बुवाई मार्च-अप्रैल में होती है और 100-110 दिनों के भीतर कटाई हो जाती है। यह अधिकतर वर्षा-आधारित है और मुख्यतः छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाया जाता है।
- पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट उगाता है, इसके बाद बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड का स्थान है।
- जूट उद्योग भी पूर्व में ही केंद्रित है। भारत में सबसे अधिक जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हैं।

नए उपयोग: जूट जियोटेक्सटाइल

- जूट जियोटेक्सटाइल (JGT) जूट से बना एक तकनीकी वस्त्र है। तकनीकी वस्त्र मुख्यतः अपने कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मिट्टी को थामे रखना, न कि रूप-सज्जा के लिए।
- JGT का उपयोग मृदा अपरदन को नियंत्रित करने, नदी तटों और ढलानों की रक्षा करने तथा सड़कों और रेल पटरियों को मज़बूत करने में होता है। यह पूर्णतः जैव-निम्नीकरणीय है, इसलिए विघटित होते समय यह मिट्टी को बेहतर बनाता है।
- 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB) ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए जूट-विस्कोस परिधान विकसित किए। इन्हें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), नई दिल्ली ने डिज़ाइन किया था।

MSP और पैकेजिंग कानून

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है, जिस पर सरकार फसल खरीदने के लिए तैयार रहती है। बाज़ार मूल्य गिरने पर यह किसानों की रक्षा करता है।
- 2026-27 के लिए कच्चे जूट का MSP ₹5,925 प्रति क्विंटल है।

- **भारतीय जूट निगम (JCI)** कच्चे जूट में MSP संचालन की एकमात्र नोडल एजेंसी है। जब भी बाज़ार मूल्य MSP से नीचे गिरता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से सीधे खरीद करता है।
- **जूट पैकेजिंग अधिनियम, 1987** कुछ वस्तुओं को जूट में पैक करना अनिवार्य बनाता है। इसका पूरा नाम जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम है।
- इसके तहत **100% खाद्यान्न** और 20% चीनी को जूट के बोरो में पैक करना अनिवार्य है। इससे जूट किसानों को एक स्थिर बाज़ार मिलता है।

उदाहरण - MSP किसान की रक्षा कैसे करता है

मान लीजिए किसी किसान के पास 10 क्विंटल कच्चा जूट है। बाज़ार मूल्य गिरकर ₹5,000 प्रति क्विंटल हो जाता है, इसलिए व्यापारी केवल ₹50,000 ही देगा।

इसके बजाय किसान JCI को ₹5,925 प्रति क्विंटल के MSP पर बेचता है और ₹59,250 प्राप्त करता है।

संस्थाएँ और योजनाएँ

- वस्त्र मंत्रालय के अधीन **राष्ट्रीय जूट बोर्ड** जूट क्षेत्र के विकास और संवर्धन की नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 में जूट श्रमिकों के कल्याण का भी प्रावधान है।
- **राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम (NJDP)** इस क्षेत्र की व्यापक योजना (Umbrella Scheme) है, जिसे NJB चलाता है। इसमें JUTE-ICARE, जूट विविधीकरण योजना, बाज़ार संवर्धन और जूट श्रमिकों की बेटियों के लिए छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं। यह प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जूट को भी बढ़ावा देता है।
- 2015-16 में शुरू किया गया **JUTE-ICARE** (इम्पूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज़) उपज और रेशे की गुणवत्ता बढ़ाता है। यह किसानों को सब्सिडी-युक्त प्रमाणित बीज, क्षेत्र प्रदर्शन, मशीनीकरण सहायता और बेहतर रेटिंग विधियाँ उपलब्ध कराता है। इसे केंद्रीय जूट एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान (CRIJAF) और JCI के साथ मिलकर चलाया जाता है।
- **रेटिंग** का अर्थ है कटे हुए जूट के तनों को पानी में भिगोना, ताकि रेशा ढीला होकर निकाला जा सके। रेटिंग तालाब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एक सिंचाई योजना) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एक कृषि विकास योजना) की सहायता से बनाए जाते हैं।
- **जूट विविधीकरण योजना** जूट मिलों, MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) और कारीगरों को नए जूट उत्पाद बनाने में सहायता देती है, उदाहरण के लिए जूट मिलों और MSME के लिए मशीनरी पर 30% सब्सिडी के माध्यम से।
- **जूट मार्क इंडिया** लोगो जूट उत्पादों की गुणवत्ता और मिश्रित उत्पादों में जूट की मात्रा को प्रमाणित करता है।
- **JUTE-SMART** (2016) जूट आयुक्त कार्यालय का एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह खाद्यान्न के लिए जूट बोरो की खरीद और आपूर्ति का प्रबंधन करता है।
- **जूट फसल सूचना प्रणाली** उपग्रह आँकड़ों के माध्यम से जूट के खेतों पर नज़र रखती है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने विकसित किया है। इसके उपकरण हैं BHUVAN JUMP मोबाइल ऐप और PATSAN (प्रॉस्पेक्टिव असेसमेंट ऑफ जूट यूज़िंग मोबाइल ऐप-बेस्ड फ़िल्ड ऑब्ज़र्वेशन) वेब प्लेटफॉर्म।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक जूट पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2018, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आप क्या समझते हैं? MSP किसानों को निम्न आय के जाल से कैसे बचाएगा?

11 भारतीय अर्थव्यवस्था • बीमा और नौवहन

भारत समुद्री बीमा पूल: भारत के जहाज़ों का बीमा अब देश में

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था - बीमा, अवसंरचना (बंदरगाह और नौवहन); समुद्री व्यापार की सुरक्षा | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 159-167 (लेख 12)

चर्चा में क्यों? भारत का पहला घरेलू समुद्री बीमा पूल, **भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP)**, अब पूर्ण वाणिज्यिक स्तर पर कार्य कर रहा है। PIB के अनुसार भारतीय नौवहन के लिए युद्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान के अपने शिखर से लगभग 35-40% घट गए हैं। उस समय लाल सागर और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के निकट व्यवधानों के कारण विदेशी बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम बढ़ा दिए थे या कवर देना बंद कर दिया था।

मूल शब्दावली: समुद्री बीमा

वैश्विक व्यापार में भाग लेने के लिए प्रत्येक जहाज़ और उसके माल का बीमा होना आवश्यक है। समुद्री बीमा के चार मुख्य प्रकार हैं।

प्रकार	यह क्या कवर करता है
हल एवं मशीनरी (H&M)	स्वयं जहाज़: उसका हल (मुख्य ढाँचा), उसे चलाने वाली मशीनरी और उसके उपकरण
काग़ों	जहाज़ द्वारा ढोया जाने वाला माल

प्रकार	यह क्या कवर करता है
संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (P&I)	दूसरों के प्रति जहाज़-स्वामी का दायित्व, जैसे तेल प्रदूषण, मलबा हटाने, चालक दल की चोट या माल की क्षति के लिए
युद्ध जोखिम	युद्ध, समुद्री डकैती, आतंकवाद या जहाज़ की ज़ब्ती से होने वाली हानि

- **दूसरों के प्रति दायित्व** (तृतीय-पक्ष दायित्व) वह धनराशि है, जो जहाज़-स्वामी को जहाज़ से हुई हानि, जैसे तेल रिसाव, के लिए अन्य लोगों को चुकानी पड़ती है।

- **अंडरराइटिंग** वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बीमाकर्ता किसी जोखिम का अध्ययन करता है और तय करता है कि उसे कवर करना है या नहीं, और किस प्रीमियम पर।
- **बीमा पूल** बीमा कंपनियों का ऐसा समूह है, जो बड़े जोखिमों को मिलकर कवर करने और हानियों को साझा करने के लिए एकजुट होती हैं।

उदाहरण - पूल कैसे काम करता है

कोई एक भारतीय बीमाकर्ता अकेले किसी बहुत महँगे जहाज़ को सुरक्षित रूप से कवर नहीं कर सकता। इसलिए मान लीजिए पाँच भारतीय बीमाकर्ता एक पूल बनाते हैं, और प्रत्येक क्षमता का एक हिस्सा देने की प्रतिबद्धता जताता है। एक सदस्य पॉलिसी जारी करता है। यदि जहाज़ क्षतिग्रस्त होता है, तो पाँचों सदस्य अपनी-अपनी प्रतिबद्ध क्षमता के अनुपात में दावे को साझा करते हैं। कोई एक कंपनी पूरी हानि नहीं उठाती।

भारत को इसकी आवश्यकता क्यों थी

- मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। इसलिए स्थिर और किफायती समुद्री बीमा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- भारतीय जहाज़-स्वामी लगभग पूरी तरह **अंतरराष्ट्रीय P&I क्लबों** पर निर्भर थे, जो अधिकतर पश्चिमी देशों में स्थित हैं। P&I क्लब जहाज़-स्वामियों का ऐसा संघ है, जिसके सदस्य दायित्वों के विरुद्ध एक-दूसरे का बीमा करते हैं।
- ये क्लब **इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब्स** के सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य क्लब हैं और जो विश्व के अधिकांश बड़े जहाज़ों का बीमा करता है।
- ऐसी निर्भरता में जोखिम है: विदेशी बीमाकर्ता अचानक कवर वापस ले सकते हैं, या उनके निर्णय राजनीति से प्रभावित हो सकते हैं।
- **लाल सागर** में संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के निकट तनाव ने प्रमुख समुद्री मार्गों को बाधित कर दिया। विदेशी बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम बढ़ा दिए या कवर देना बंद कर दिया, और जहाज़-स्वामियों की लागत तेज़ी से बढ़ गई।
- भारत प्रतिवर्ष विदेशों में भारी प्रीमियम भी चुकाता था, जिसका अर्थ था विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह।
- भारत के पास समुद्री अंडरराइटिंग और दावों में अपनी विशेषज्ञता का अभाव था, और वह लंदन तथा स्विट्ज़रलैंड जैसे विदेशी केंद्रों पर निर्भर था।

BMIP की प्रमुख विशेषताएँ

- BMIP को **18 अप्रैल 2026** को मंजूरी दी गई और 12 मई 2026 को लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला घरेलू समुद्री बीमा पूल है।
- पहली बार भारतीय कंपनियाँ उच्च मूल्य के भारतीय जहाज़ों का बीमा स्वयं कर रही हैं।
- यह चारों जोखिमों को कवर करता है: **हल एवं मशीनरी, कार्गो, P&I और युद्ध जोखिम**।

- इसे **संप्रभु गारंटी** का समर्थन प्राप्त है, जो सरकार का यह वचन है कि यदि पूल स्वयं अपने दायित्व पूरे न कर सके तो वह भुगतान करेगी। इससे भारतीय बीमाकर्ता उच्च मूल्य के जहाज़ों और माल को कवर कर पाते हैं।
- **आकार:** पूल **USD 1.5 बिलियन** (लगभग ₹13,906 करोड़) तक का कवर देता है, जिसे USD 1.4 बिलियन (लगभग ₹12,980 करोड़) की संप्रभु गारंटी का समर्थन प्राप्त है।
- **पात्र पोत:** भारतीय ध्वज वाले जहाज़, भारतीय संस्थाओं के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण वाले जहाज़, तथा भारत आने या भारत से जाने वाले मालवाहक जहाज़ पात्र हैं।
- **अवधि:** पूल 10 वर्ष तक चलेगा, जिसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है।
- **पॉलिसियाँ कैसे काम करती हैं:** पॉलिसियाँ पूल के सदस्य घरेलू बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की जाती हैं। सभी सदस्य **पुनर्बीमा** के माध्यम से, अपनी प्रतिबद्ध क्षमता के अनुपात में, प्रत्येक जोखिम को साझा करते हैं।
- पुनर्बीमा का अर्थ है बीमाकर्ताओं का बीमा। एक बीमाकर्ता अपने जोखिम का एक हिस्सा अन्य बीमाकर्ताओं को हस्तांतरित कर देता है।
- **दावे:** **USD 100 मिलियन** तक के दावे पूल के अपने आरक्षित कोष और पुनर्बीमा से चुकाए जाते हैं। संप्रभु गारंटी का उपयोग केवल इससे बड़े दावों के लिए, पूल के आरक्षित कोष के पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद ही किया जाता है।

प्रशासन: **भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC Re)** पूल प्रशासक है। एक शासी निकाय (Governing Body) इस पूल की निगरानी करता है तथा एक बीमा-जोखिम निर्धारण समिति (Underwriting Committee) यह सुनिश्चित करती है कि जोखिमों का आकलन उचित तरीके से किया जाए।

- यह पूल केवल पोत-स्वामियों के लिए नहीं है; निर्यातक और आयातक भी इसके माध्यम से अपने माल (कार्गो) का बीमा करा सकते हैं।

महत्त्व

- BMIP विदेशी बीमाकर्ताओं पर भारत की निर्भरता कम करता है। यह वैश्विक व्यवधानों के दौरान भी किफायती और निर्बाध बीमा कवर सुनिश्चित करता है।
- इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है और समुद्री बीमा में भारतीय विशेषज्ञता विकसित होती है। यह भारत को अंतरराष्ट्रीय समूह (International Group) से बाहर के P&I क्लबों से पारस्परिक कवर प्राप्त करने में भी सहायक हो सकता है।

आगे की राह

- मध्यम अवधि में भारत को कुशल मानव संसाधन, सुदृढ़ विधिक ढाँचे और पुनर्बीमा साझेदारियाँ विकसित करनी चाहिए। संप्रभु गारंटी पर निर्भरता न्यूनतम रखी जानी चाहिए।
- दीर्घ अवधि में BMIP **हिंद महासागर क्षेत्र** में समुद्री बीमा का क्षेत्रीय आधार-स्तंभ बन सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने समुद्री बीमा पर अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2025, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): भारत के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? समुद्री एवं तटीय सुरक्षा की चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए।

12 अवसंरचना • सड़कें और पर्यावरण

हरित राजमार्ग और बायो-बिटुमेन

GS पेपर III: अवसंरचना – सड़कें, संरक्षण; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 169-177 (लेख 13)

चर्चा में क्यों? सितंबर 2026 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक की पहली वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई है।

हरित राजमार्ग नीति, 2015

- हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव) नीति, 2015 राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण का मार्गदर्शन करती है।
- इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण और धूल को कम करना, ढलानों पर मृदा अपरदन रोकना तथा स्थानीय रोजगार सृजित करना है।
- मियावाकी पद्धति, जिसे 'पॉट प्लांटेशन पद्धति' भी कहा जाता है, में वृक्ष और झाड़ियाँ एक-दूसरे के बहुत निकट लगाई जाती हैं। ऐसा सघन रोपण उपयुक्त परिस्थितियों में प्रारंभिक वृद्धि को तेज़ कर सकता है तथा सघन नगरीय वनों की स्थापना में सहायक हो सकता है।
- जहाँ राजमार्ग के लिए वृक्ष काटने आवश्यक हों, वहाँ प्रतिपूरक वनीकरण (काटे गए वृक्षों की भरपाई के लिए नए वृक्ष लगाना) और वृक्ष प्रत्यारोपण किया जाता है।

नए दिशानिर्देश और निगरानी

- मार्गाधिकार (Right of Way, RoW) वह भूमि है जो राजमार्ग के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए विधिक रूप से आवश्यक होती है।
- NHAI के सितंबर 2026 के दिशानिर्देशों के तहत, वृक्षारोपण कार्य को अनंतिम पूर्णता प्रमाणन (एक अंतरिम प्रमाणपत्र कि राजमार्ग का कार्य पूरा हो गया है) के लिए अनुपालक तभी माना जाएगा जब रोपण के लिए निर्धारित RoW का कम से कम 80% भाग आच्छादित हो।
- निरीक्षण के समय कम से कम 90% पौधे जीवित रहने चाहिए। यही मानक रखरखाव के दौरान भी लागू होता है और मृत पौधों को बदलना अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (NH-GCI) राष्ट्रीय राजमार्गों के RoW के भीतर हरित आवरण का देश का पहला वैज्ञानिक मापक है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) के साथ मिलकर उपग्रह आँकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है।
- इसकी पहली वार्षिक रिपोर्ट (2025-26) में मानसून से पहले और बाद के प्रेक्षणों का उपयोग किया गया है। यह विभिन्न खंडों की तुलना करने और सड़क किनारे के वृक्षारोपण में सुधार के लिए एक आधार-रेखा निर्धारित करती है।

धान की पराली से बायो-बिटुमेन

- बिटुमेन हाइड्रोकार्बनों का काला, चिपचिपा मिश्रण है जिसका उपयोग सड़कें बनाने में किया जाता है। सड़क-निर्माण उद्योग में इसे "काला सोना" कहा जाता है। भारत अपने बिटुमेन का लगभग 50% आयात करता है।
- बायो-बिटुमेन को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की दो प्रयोगशालाओं ने विकसित किया है। ये हैं – केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRRI), नई दिल्ली और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (IIP), देहरादून।
- इसकी प्रौद्योगिकी जनवरी 2026 में उद्योग को हस्तांतरित की गई।
- पायरोलिसिस का अर्थ है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करना, जिससे वह तेल, गैस और कार्बन में विघटित हो जाता है।

धान की पराली
कटाई के बाद बची हुई

पायरोलिसिस
इसे बायो-ऑयल में
बदलता है

सम्मिश्रण
सामान्य बिटुमेन के
साथ

- बायो-ऑयल पेट्रोलियम-आधारित बाइंडर के 20-30% भाग का स्थान लेता है। इस प्रकार बायो-बिटुमेन आयात कम कर सकता है और कृषि अवशेषों का उपयोग संभव बनाता है।
- मेघालय में जोराबाट-शिलांग एक्सप्रेसवे (NH-40) पर 100 मीटर का एक परीक्षण खंड बिछाया गया है। PIB के अनुसार, भारत एक ही वर्ष के भीतर बायो-बिटुमेन प्रौद्योगिकी को औद्योगिक और वाणिज्यिक स्तर तक ले जाने वाला पहला देश है।

अन्य हरित कदम

- राजमार्गों के निर्माण में प्लाई ऐश (तापीय विद्युत संयंत्रों का उप-उत्पाद), निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और स्लैग (धातु निर्माण के बाद बचा अपशिष्ट) का उपयोग किया जाता है।
- "ट्रीज़ फॉर बीज़" अभियान के तहत दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के चिह्नित खंडों पर फूल देने वाली, स्थानीय रूप से उपयुक्त प्रजातियाँ लगाई जाती हैं, ताकि मधुमक्खियों जैसे परागणकों के लिए गलियारे बनाए जा सकें।
- एक पेड़ माँ के नाम एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसमें लोग अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर इसके तहत आंध्र प्रदेश भर में पौधे लगाए गए।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने हरित राजमार्गों या बायो-बिटुमेन पर अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2026, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 'तीव्र अवसंरचना विकास' और 'आपदा-जोखिम न्यूनीकरण' के बीच के अंतर्विरोध का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

13 ऊर्जा • नवीकरणीय ऊर्जा

भूतापीय ऊर्जा: पुगा में भारत के पहले कुएँ

GS पेपर III: ऊर्जा – नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा सुरक्षा; GS पेपर I: पृथ्वी की आंतरिक संरचना | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 179–189

चर्चा में क्यों? जुलाई 2026 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ऊर्जा केंद्र ने पुगा घाटी, लद्दाख में भारत के पहले दो भूतापीय कुएँ चालू किए, जिनमें से प्रत्येक 1,000 मीटर गहरा है। ये भारत की पहली 1-मेगावाट प्रदर्शन भूतापीय विद्युत परियोजना का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

भूतापीय ऊर्जा क्या है?

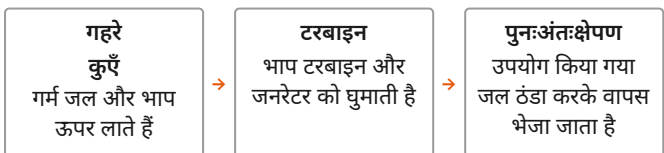
- भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए या सीधे ऊष्मा के रूप में किया जा सकता है।
- सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, यह चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। यह स्थिर, निम्न-कार्बन है और मौसम पर निर्भर नहीं करती।

यह ऊष्मा कहाँ से आती है?

परत	प्रकृति	प्रमुख तथ्य
भूपर्पटी	ठोस, सबसे बाहरी	महासागरों के नीचे 5–8 किमी मोटी; महाद्वीपों के नीचे 24–56 किमी
मेंटल	अर्ध-ठोस गर्म चट्टान	सबसे बड़ी परत, लगभग 2,900 किमी मोटी
बाह्य क्रोड	तरल लोहा और निकल	आंतरिक क्रोड को घेरे हुए
आंतरिक क्रोड	ठोस लोहा और निकल	लगभग 2,400 किमी चौड़ी

- यह ऊष्मा यूरैनियम, थोरियम और पोटैशियम के रेडियोधर्मी क्षय से तथा पृथ्वी के निर्माण के समय से बची हुई ऊष्मा से आती है।
- यह ऊष्मा मेंटल में संवहन धाराओं को संचालित करती है: गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा पदार्थ नीचे बैठता है। ये धाराएँ भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत-निर्माण का कारण बनती हैं।
- सक्रिय क्षेत्रों में भ्रंश और दरारें गर्म पदार्थ को सतह के निकट ऊपर आने देती हैं। इससे सरंघ चट्टानों में गर्म जल और भाप के भूमिगत भंडार (रिज़र्वायर) बनते हैं।

भूतापीय विद्युत कैसे बनती है



उदाहरण – कोयला संयंत्र बनाम भूतापीय संयंत्र

कोयला संयंत्र जल को उबालने के लिए कोयला जलाता है और भाप टरबाइन को घुमाती है। भूतापीय संयंत्र उसी प्रकार काम करता है, किंतु कोई ईंधन नहीं जलाता, क्योंकि भाप पृथ्वी स्वयं उपलब्ध कराती है। अपने पंपों और अन्य उपकरणों को चलाने के लिए यह कुछ बिजली अवश्य उपयोग करता है, इसलिए यह ईंधन-मुक्त है, ऊर्जा-मुक्त नहीं। उपयोग किए गए जल को वापस भेजने से भंडार की पुनःपूर्ति में सहायता मिलती है।

भूतापीय ऊष्मा का उपयोग विद्युत बनाए बिना सीधे भी किया जाता है। यह एक केंद्रीय स्रोत से अनेक भवनों को गर्म रख सकती है (डिस्ट्रिक्ट हीटिंग), तथा इसका उपयोग कृषि, मत्स्य पालन और भवनों को गर्म या ठंडा रखने में किया जाता है।

भारत के भूतापीय संसाधन

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने 381 गर्म जल-स्रोतों का मानचित्रण किया है और 10 भूतापीय प्रांतों की पहचान की है: हिमालयी, नागा-लुसाई, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, सोन-नर्मदा-तापी (SONATA), पश्चिमी तट, खंभात ग्राबेन, अरावली, महानदी, गोदावरी और दक्षिण भारतीय क्रेटॉनिक।
- भारत की सैद्धांतिक क्षमता लगभग 10.6 गीगावाट (GW) है और 42 स्थलों को आशाजनक माना गया है।
- GSI ने देश भर में भूतापीय स्थलों की पहचान की है। प्रमुख स्थल नीचे सूचीबद्ध हैं।

राज्य / संघ	राज्य क्षेत्र	GSI द्वारा चिह्नित भूतापीय स्थल
लद्दाख	पुगा, चुमाथांग, गाइक, डेमचोक, नुब्रा, पनामिक, गलहर	
जम्मू और कश्मीर	सिद्धू	
हिमाचल प्रदेश	मणिकर्ण, कसोल, तत्तापानी, तापरी	
उत्तराखंड	तपोवन, गरी, जोशीमठ, जुमा, यमुनोत्री, गंगनानी, बेड़ा, जोती, न्यू डार, भेटी	
हरियाणा	सोहना	
गुजरात	तुलसीश्याम, धोलेरा, तुवा	
मध्य प्रदेश	अनहोनी	
महाराष्ट्र	उन्हवरे (खेड़), सातिवली, तुरल	
छत्तीसगढ़	तत्तापानी	
तेलंगाना	मणुगुरु	
ओडिशा	देउलझारी (आठमल्लिक), अत्री	
झारखंड	सूरजकुंड, तांतलोई	
बिहार	भीमबांध (मुंगेर)	
पश्चिम बंगाल	बक्रेश्वर	
सिक्किम	पोलोक, युमसेमसादोंग	
अरुणाचल प्रदेश	त्साचू (तवांग), तकसिंग	

- उन्नत भूतापीय प्रणालियाँ (Enhanced Geothermal Systems, EGS) गर्म शुष्क चट्टानों में दरारें बनाती हैं, ताकि जल उनमें प्रवाहित होकर ऊष्मा ग्रहण कर सके। प्रगत भूतापीय प्रणालियाँ (Advanced Geothermal Systems, AGS) बंद भूमिगत पाइपों के माध्यम से एक तरल का परिसंचरण करती हैं। दोनों से अन्वेषण का दायरा बढ़ेगा।
- परित्यक्त तेल और गैस कुओं का, जहाँ तकनीकी रूप से संभव हो, भूतापीय ऊर्जा के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति, 2025

- सरकार ने यह नीति सितंबर 2025 में अधिसूचित की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) इसका नोडल मंत्रालय है।
- इसका उद्देश्य भूतापीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्तंभ बनाना है, जैसे-जैसे भारत 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर बढ़ रहा है।
- यह अनुसंधान, ड्रिलिंग, भूमिगत भंडारों के प्रबंधन और ऊष्मा के प्रत्यक्ष उपयोग को प्राथमिकता देती है।
- यह ग्राउंड सोर्स हीट पंपों (GSHPs) को समर्थन देती है, जो उथली भूमि के स्थिर तापमान का उपयोग करके सर्दियों में भवनों को गर्म और गर्मियों में ठंडा रखते हैं।
- यह विद्युत से परे के उपयोगों को सूचीबद्ध करती है: तापन एवं शीतलन, कृषि और विलवणीकरण (समुद्री जल से नमक हटाना)।
- यह नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देती है: भूतापीय और सौर ऊर्जा का एक साथ उपयोग करने वाले संयंत्र (जियो-सोलर हाइब्रिड), EGS, AGS तथा पुराने तेल कुओं को भूतापीय उपयोग के लिए पुनःसज्जित करना।
- यह स्पष्ट नियम निर्धारित करती है, ताकि सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की कंपनियाँ भाग ले सकें। यह एक राष्ट्रीय भूतापीय डेटा रिपॉजिटरी (आँकड़ों का एक केंद्रीय भंडार), प्रायोगिक परियोजनाओं और उत्कृष्टता केंद्रों को भी समर्थन देती है।

स्वच्छ ऊर्जा के लिए सरकारी कदम

- जुलाई-अगस्त 2025 में MNRE ने पाँच अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इनमें अंकलेश्वर (गुजरात) में पुराने तेल और गैस कुओं का पुनः उपयोग, गांधीनगर (गुजरात) में एक सौर-भूतापीय परियोजना, तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में स्थल अध्ययन तथा हैदराबाद (तेलंगाना) में वातानुकूलन के लिए भूतापीय शीतलन शामिल हैं।
- MNRE के नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD) का उद्देश्य भूतापीय सहित स्वदेशी, किफायती नवीकरणीय प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना है।
- भूतापीय ऊर्जा ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड के साथ सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। सऊदी अरब के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) में भी इसे एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है।

भारत की स्थिति

- भारत में वाणिज्यिक स्तर की भूतापीय विद्युत अभी स्थापित होनी बाकी है। प्रायोगिक परियोजनाएँ इसके लिए आवश्यक आँकड़े और अनुभव तैयार कर रही हैं।
- भूतापीय क्षमता में इंडोनेशिया, अमेरिका, फिलीपींस, तुर्किये और न्यूजीलैंड विश्व में अग्रणी हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने भूतापीय विद्युत या राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति पर अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Prelims 2013: निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

- विद्युत-चुंबकीय विकिरण
- भूतापीय ऊर्जा
- गुरुत्वाकर्षण बल
- प्लेट संचलन
- पृथ्वी का घूर्णन
- पृथ्वी का परिक्रमण

उपर्युक्त में से कौन-से पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हैं?

- (a) केवल 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 1, 3, 5 और 6 (c) केवल 2, 4, 5 और 6 (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

Answer: (d). सभी छह सतह में परिवर्तन लाते हैं; भूतापीय ऊष्मा मेंटल की उन धाराओं को संचालित करती है जो प्लेट संचलन और ज्वालामुखियों के पीछे होती हैं।

14 स्वास्थ्य • पोषण

पोषण माह 2026 और मिशन पोषण 2.0

GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएँ; स्वास्थ्य; महिलाएँ एवं बच्चे | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 191-201

चर्चा में क्यों? 9 सितंबर 2026 को 9वाँ राष्ट्रीय पोषण माह (National Nutrition Month) वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाना निर्धारित था। इसकी थीम “हमारी आंगनवाड़ी, हमारी ज़िम्मेदारी” है, जो प्रत्येक नागरिक से आंगनवाड़ी केंद्रों का साझा स्वामित्व लेने का आह्वान करती है।

मूल शब्दावली

- राष्ट्रीय पोषण माह 2018** से POSHAN अभियान (नीचे समझाया गया है) के तहत प्रत्येक सितंबर में मनाया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोरों में अच्छे पोषण के प्रति जागरूकता फैलाता है।
- कुपोषण** का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का ऊर्जा और पोषक तत्वों का सेवन बहुत कम, बहुत अधिक या असंतुलित है। इसमें अल्पपोषण (जैसे ठिगनापन, दुर्बलता और कम वज़न), सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (जैसे रक्ताल्पता) तथा अधिक वज़न और मोटापा शामिल हैं।

- आंगनवाड़ी केंद्र (AWC)** गाँव या वार्ड स्तर का एक केंद्र है, जो छोटे बच्चों और माताओं को भोजन, स्वास्थ्य और शाला-पूर्व देखभाल उपलब्ध कराता है। PIB इस नेटवर्क को विश्व का सबसे बड़ा शिशु-देखभाल नेटवर्क कहता है।
- पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP)** AWCs के माध्यम से दिया जाने वाला अतिरिक्त भोजन है। इसकी दो वितरण विधियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग समूह के लिए है। टेक होम राशन (THR) छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया जाने वाला पैक किया हुआ राशन है। गर्म पका

भोजन (HCM) सुबह के नाश्ते के साथ केंद्र पर तीन से छह वर्ष के बच्चों को परोसा जाता है।

- **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)** का अर्थ है छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल, खेल और सीखना।

उदाहरण - पहले 1,000 दिन

पहले 1,000 दिन गर्भावस्था की शुरुआत से बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक चलते हैं: गर्भ में लगभग 270 दिन और जन्म के बाद 730 दिन।

मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास छह वर्ष की आयु तक हो जाता है और सबसे तेज़ वृद्धि इन्हीं 1,000 दिनों में होती है। इस अवधि में जिस बच्चे को उचित पोषण नहीं मिलता, उसकी सीखने, गति और व्यवहार की क्षमता को स्थायी क्षति पहुँच सकती है। इसलिए इस अवधि में माँ और शिशु का समुचित पोषण सबसे अधिक महत्व रखता है।

मिशन पोषण 2.0

- **POSHAN अभियान मार्च 2018** में एक ऐसे मिशन के रूप में शुरू किया गया था, जो कुपोषण से लड़ने के लिए अनेक मंत्रालयों को एक साथ लाता है।
- **केंद्रीय बजट 2021-22** में पोषण योजनाओं को मिशन पोषण 2.0, भारत के एकीकृत राष्ट्रीय पोषण मिशन, के तहत समेकित किया गया। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) करता है।

पोषण 2.0 में विलीन योजना	यह क्या करती है
POSHAN अभियान	प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी, जन-लामबंदी (जन आंदोलन) और व्यवहार परिवर्तन
आंगनवाड़ी सेवाएँ / एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	पूरक पोषण, गर्म पका भोजन और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल
किशोरियों के लिए योजना	स्कूल से बाहर की बालिकाओं और किशोरियों के लिए पोषण सहायता

पोषण माह 2026 की पाँच प्रस्तावित प्राथमिकताएँ

- **आहार विविधता और प्रोटीन:** परिवारों को अनाज और मिलेट, दालें, फल, सब्ज़ियाँ, मेवे, दूध और अंडे खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रस्तावित गतिविधियों में **पोषण वाटिकाओं** (पोषण उद्यानों) की उपज का प्रदर्शन शामिल है।
- **ताज़ा गर्म पका भोजन:** प्रस्तावित गतिविधियों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को AWCs में साप्ताहिक मेनू बदलते रहने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इनमें **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** के साथ गर्म पके भोजन का देशव्यापी परीक्षण भी शामिल है।

- **सामुदायिक स्वामित्व:** 23 जून 2026 के दिशानिर्देशों के तहत गठित और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की अध्यक्षता वाली नई **आंगनवाड़ी प्रबंधन समितियों (AMCs)** को सेवाओं की देखरेख करनी है। प्रस्तावित गतिविधियों में दैनिक मेनू दर्शाने के लिए सभी AWCs पर SNP मेनू बोर्ड प्रदर्शित करना शामिल है।
- **पोषण और प्रारंभिक उद्दीपन:** प्रारंभिक उद्दीपन का अर्थ है छोटे बच्चे से बात करना, उसके साथ खेलना और पढ़ना, ताकि मस्तिष्क का समुचित विकास हो। संशोधित **गृह भ्रमण अनुसूचक (Home Visit Scheduler)** में 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए 34 विकासात्मक पड़ाव सूचीबद्ध हैं। प्रस्तावित गतिविधियों में विकासात्मक विलंब वाले बच्चों को स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की टीमों के पास भेजना शामिल है, जो बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं की जाँच करता है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) का दसवाँ वर्ष:** प्रस्तावित गतिविधियों में प्रत्येक पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला का पंजीकरण करने के लिए विशेष नामांकन अभियान शामिल हैं।

जन आंदोलन और पोषण पखवाड़ा

- **पोषण पखवाड़ा** प्रत्येक अप्रैल में आयोजित होने वाला दो सप्ताह का अभियान है। इसके 8वें संस्करण (9-23 अप्रैल 2026) की थीम “जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना” थी।
- पोषण माह और पोषण पखवाड़ा पोषण को एक **जन आंदोलन** मानते हैं, अर्थात केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोगों का आंदोलन।

पोषण के लिए सरकारी कदम

- **PMMVY 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुई।** यह भारत की मातृत्व लाभ योजना है और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रति पात्र गर्भावस्था ₹6,000 तक देती है: पहले बच्चे के लिए ₹5,000 और दूसरे बच्चे के लिए ₹6,000, यदि वह बालिका हो (PMMVY 2.0)।
- 1 मार्च 2021 को शुरू किया गया **पोषण ट्रैकर AWCs** की निगरानी का मुख्य डिजिटल साधन है। यह AWC के खुलने, बच्चों की उपस्थिति, शाला-पूर्व गतिविधियों और वृद्धि को लगभग वास्तविक समय में दर्ज करता है।
- **नवचेतना** और आधारशिला AWCs में आयु-उपयुक्त शिक्षण और विद्यालय-तत्परता के लिए प्रयुक्त ECCE पाठ्यक्रम हैं।
- **8वाँ पोषण माह 17 सितंबर 2025 को धार (मध्य प्रदेश) से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के साथ शुरू किया गया था, जो MWCD और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित एक अभियान है।** 8वें पोषण माह में मोटापे से लड़ने के लिए कम चीनी और तेल खाने पर भी बल दिया गया।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2017: निम्नलिखित में से कौन-से ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ के उद्देश्य हैं?

1. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना।
2. छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्ताल्पता की घटनाओं को कम करना।
3. मिलेट, मोटे अनाज और बिना पॉलिश किए चावल के उपभोग को बढ़ावा देना।
4. मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ावा देना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3 (c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 3 और 4

Answer: (a). राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN अभियान) का लक्ष्य जागरूकता और रक्ताल्पता में कमी है; विशेष खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं था।

UPSC Mains 2026, GS पेपर II (10 अंक, 150 शब्द): भारत में कुपोषण केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं है; यह सामाजिक समता, मानव विकास और प्रभावी कल्याणकारी शासन की चुनौती भी है। चर्चा कीजिए।

15 स्वच्छता • अपशिष्ट प्रबंधन

स्वच्छ भारत के 12 वर्ष: ODF प्लस, गोबरधन और स्वच्छता ही सेवा 2026

GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएँ, जन-भागीदारी; GS पेपर III: अपशिष्ट प्रबंधन | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 203–221, 365–375, 555–563, 579–585, 613–619 (लेख 16, 29, 49, 52 और 55)

चर्चा में क्यों? स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2026 17 सितंबर को शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसकी थीम “स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत” है। यह अभियान नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

- स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। यह सरकार के नेतृत्व वाले सबसे बड़े स्वच्छता आंदोलनों में से एक है।
- इसके प्रतीक-चिह्न में महात्मा गांधी का चश्मा दर्शाया गया है, जो स्वच्छता को “ईश्वर-भक्ति के समकक्ष” मानते थे।
- 2014 में जब SBM शुरू हुआ, तब ग्रामीण स्वच्छता कवरेज केवल 39% था। 2019 तक यह 100% हो गया और तब ग्रामीण भारत को **खुले में शौच से मुक्त (ODF)** घोषित किया गया। ODF का अर्थ है कि खुले में कोई मल दिखाई नहीं देता तथा प्रत्येक परिवार और सार्वजनिक संस्थान मल के निपटान के लिए सुरक्षित शौचालय का उपयोग करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अध्ययन का अनुमान है कि 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से होने वाली लगभग 3 लाख मौतें टाली गईं। ODF क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण में भी स्पष्ट गिरावट देखी गई।

घटक	केंद्र-बिंदु
SBM-ग्रामीण (SBM-G)	ग्रामीण स्वच्छता: शौचालय तक पहुँच और उपयोग, तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
SBM-शहरी (SBM-U)	शहरी स्वच्छता: अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थल और स्वच्छता अवसंरचना

SBM-G चरण II: ODF से ODF प्लस तक

2019 के बाद ध्यान शौचालय बनाने से हटकर गाँवों को ODF बनाए रखने और उनके अपशिष्ट के प्रबंधन पर केंद्रित हो गया। यही **SBM-G चरण II** का उद्देश्य है।

- ODF प्लस गाँव** अपनी ODF स्थिति बनाए रखता है, अपने ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करता है तथा दृश्य रूप से स्वच्छ रहता है।
- ODF प्लस गाँव तीन चरणों से गुज़रते हैं: **आकांक्षी (Aspiring)**, **उदीयमान (Rising)** और **आदर्श (Model)**।

उदाहरण – ODF प्लस के तीन चरण

गाँव A में रसोई के कचरे के लिए कंपोस्ट गड्ढे हैं, किंतु उसकी नालियाँ उफनती हैं। यह एक प्रकार के अपशिष्ट का प्रबंधन करता है, इसलिए यह **आकांक्षी** है। गाँव B में उपयोग किए गए जल के लिए सोखता गड्ढे भी हैं। यह ठोस और तरल दोनों अपशिष्टों का प्रबंधन करता है, इसलिए यह **उदीयमान** है। गाँव C दोनों काम करता है, उसकी गलियाँ दृश्य रूप से स्वच्छ हैं और वह दीवारों पर ODF प्लस संदेश प्रदर्शित करता है। यह एक **आदर्श** गाँव है।

गोबरधन

- गोबरधन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan – GOBARdhan)** SBM-G चरण II के तहत एक प्रमुख छत्र पहल है।

- यह पशुओं के गोबर, फसल अवशेषों और अन्य जैविक अपशिष्ट को बायोगैस, **संपीड़ित बायोगैस (CBG)** और जैविक खाद (बायो-स्लरी) में बदलता है। CBG ऐसी बायोगैस है जिसे शुद्ध और संपीड़ित किया गया है, ताकि इसका उपयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) की तरह किया जा सके।
- इससे अलग, **गोबरधन – राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना** को अगस्त 2026 में स्वीकृति दी गई। इसे 2026–27 से 2035–36 तक कार्यान्वित किया जाएगा और इसका उद्देश्य कृषि, पशु और नगरीय जैविक अपशिष्ट से CBG उत्पादन बढ़ाना है।

केंद्र में लोग

- व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC)** SBM-G के केंद्र में है। यह परिवारों को शौचालयों का उपयोग और रखरखाव करने, हाथ धोने, कूड़ा न फैलाने और गीले कचरे की खाद बनाने के लिए प्रेरित करता है।
- स्वच्छाग्रही** ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित और प्रोत्साहन-प्राप्त स्वच्छता प्रेरक हैं। SBM-G के दिशानिर्देश स्वच्छाग्रही के रूप में महिलाओं को विशेष वरीयता देते हैं।
- SBM-G के दिशानिर्देश दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के **स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को व्यवहार परिवर्तन के प्रमुख मंच मानते हैं।
- ग्राम पंचायतें** गाँव में स्वच्छता कार्यों की योजना बनाती हैं और उन्हें क्रियान्वित करती हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSC) योजना-निर्माण, पर्यवेक्षण और व्यवहार परिवर्तन में सहायता करती हैं।
- SBM-G चरण II में **विद्यालयों** को मान्यता दी गई है, क्योंकि बच्चे स्वच्छता की आदतें विद्यालय में सीखते हैं और उन्हें घर तक ले जाते हैं।

स्वच्छता ही सेवा (SHS)

- SHS एक स्वच्छता अभियान है, जो 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है; केवल 2020 में (COVID-19 महामारी के कारण) इसका आयोजन नहीं हुआ। यह 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस से ठीक पहले आयोजित होता है और SBM के जन भागीदारी (लोगों की सहभागिता) दृष्टिकोण से विकसित हुआ है।
- SHS 2026 **संपूर्ण सरकार** और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका अर्थ है कि अनेक मंत्रालय और विभाग नागरिकों, समुदायों और संस्थाओं के साथ मिलकर इस पर कार्य करते हैं। इसमें युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

SHS 2026 के पाँच स्तंभ

- स्वच्छता लक्षित इकाइयों (CTU) का कार्याकल्प और स्वच्छ सार्वजनिक स्थल:** CTU अत्यधिक उपेक्षित स्थल हैं, जैसे कचरा बिंदु और डंपसाइट। इन्हें साफ, सुंदर और अनुरक्षित किया जाएगा।

सार्वजनिक शौचालयों की जाँच **FACES** (क्रियाशील, सुलभ, स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल और सुरक्षित) मानकों पर की जाएगी।

- **स्वच्छ पाठशाला - युवा फॉर स्वच्छता:** कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी स्वच्छता ज्ञान यात्राओं के अंतर्गत अपशिष्ट एवं स्वच्छता सुविधाओं का भ्रमण करेंगे।
- **सफाईमित्र सुरक्षा सेवा एवं सम्मान शिविर:** स्वच्छता कर्मियों के लिए लगाए जाने वाले इन शिविरों में स्वास्थ्य सेवाएँ, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव उपलब्ध कराया जाता है।
- **स्वच्छता के लिए जन भागीदारी:** नागरिकों को चार धाराओं में पृथक्करण और घरेलू कम्पोस्टिंग के प्रदर्शनों तथा गंदगी फैलाने और एकल-उपयोग प्लास्टिक के विरुद्ध अभियानों के माध्यम से SWM नियम, 2026 के बारे में जागरूक किया जाएगा।
- **स्वच्छता से समृद्धि:** अपशिष्ट को रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल के माध्यम से संसाधन पुनर्प्राप्ति से जोड़ा जाता है। कबाड़ से जुगाड़ के तहत कबाड़ से उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं और कबाड़ से कला के तहत अपशिष्ट से कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं।

SHS 2026 की अन्य गतिविधियाँ

- 1 अक्टूबर को लोग **एक दिन, एक घंटा, एक साथ** में भाग लेते हैं, जिसमें पूरे देश में एक ही समय पर एक घंटे की सफाई की जाती है। 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाओं में SHS और SWM नियमों पर चर्चा होती है, तथा शहरी स्थानीय निकाय विशेष परिषद बैठकें आयोजित करते हैं।
- जन भागीदारी स्तंभ के अंतर्गत SHS 2026 **स्वच्छ पर्व, हरित पर्व** अर्थात् स्वच्छ एवं हरित त्योहारों को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, उज्जैन (मध्य प्रदेश) के महाकालेश्वर मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से कम्पोस्ट, ईंधन और अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के SWM नियम, 2026 के अनुसार अपशिष्ट को स्रोत पर ही चार धाराओं में पृथक् करना अनिवार्य

है: **गीला अपशिष्ट**, सूखा अपशिष्ट, सैनिटरी अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट।

- पहले के SWM नियम, 2016 में केवल तीन धाराएँ अपेक्षित थीं: जैव-निम्नीकरणीय (गीला), गैर-जैव-निम्नीकरणीय (सूखा) और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट।

भारत के अतीत में स्वच्छता

हड़प्पाकालीन नगर **लोथल** (वर्तमान गुजरात में) में नियोजित जल-निकासी व्यवस्था थी और अनेक घरों में नालियों से जुड़े निजी शौचालय थे।

वैदिक परंपरा ने स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और स्वच्छ परिवेश को आध्यात्मिक साधना से जोड़ा, और प्राचीन निर्देशों में लोगों को नदियों तथा अन्य जल निकायों के पास शौच न करने की सलाह दी गई थी। बौद्ध परंपराओं में भी यही विचार आगे बढ़ा: भिक्षुओं को जल में मल-मूत्र त्याग न करने का निर्देश था और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अगले व्यक्ति के लिए शौचालय क्षेत्र को स्वच्छ करें। बिहार के एक गुप्तकालीन विहार में एक समर्पित शौचालय कक्ष था।

समावेशन: स्वच्छता में ट्रांसजेंडर व्यक्ति

ओडिशा में शहरी स्थानीय निकाय **मल-कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM)** अर्थात् सेप्टिक टैंकों और गड्ढा शौचालयों के अपशिष्ट की सुरक्षित निकासी एवं उपचार के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समूहों सहित स्वयं सहायता समूहों के साथ साझेदारी करते हैं। भुवनेश्वर में ट्रांसजेंडर स्वीकृति SHG एक मल-कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP) का संचालन करता है।

स्वच्छता के लिए सरकारी कदम

- SBM-G को सरकारी आवंटनों, **वित्त आयोग अनुदानों** और ग्रामीण रोजगार मिशन विकसित भारत-रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) से धनराशि प्राप्त होती है।
- **जल जीवन मिशन**, जो ग्रामीण घरों को नल-जल कनेक्शन उपलब्ध कराता है, ग्रेवॉटर अर्थात् रसोई और स्नानघर से निकले उपयोग किए गए जल के प्रबंधन में भी सहायता करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2019: भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?

- अपशिष्ट उत्पादक को अपशिष्ट को पाँच श्रेणियों में पृथक् करना होता है।
- ये नियम केवल अधिसूचित शहरी स्थानीय निकायों, अधिसूचित कस्बों और सभी औद्योगिक टाउनशिपों पर लागू हैं।
- इन नियमों में लैंडफिल और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के स्थलों की पहचान के लिए सटीक और विस्तृत मानदंडों का प्रावधान है।
- अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह अनिवार्य है कि एक ज़िले में उत्पन्न अपशिष्ट को दूसरे ज़िले में नहीं ले जाया जा सकता।

Answer: (c). 2016 के नियमों में पाँच नहीं, बल्कि तीन अपशिष्ट धाराएँ थीं, और उनमें लैंडफिल तथा प्रसंस्करण स्थलों के चयन के मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

16 कल्याणकारी योजनाएँ • शहरी आवास

PMAY-शहरी और PMAY-U 2.0: सबके लिए आवास

GS पेपर II: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; GS पेपर I: नगरीकरण | स्रोत: PIB PRISM, Sept 2026, pp. 223-231

चर्चा में क्यों? 9 अगस्त 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) और PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 1.25 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके थे। मूल PMAY-U की विस्तारित अवधि 30 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही है।

PMAY-U क्या है?

- PMAY-U जून 2015 में शुरू की गई थी। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) का शहरी क्षेत्रों में “सबके लिए आवास” हेतु प्रमुख मिशन है।
- यह पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित पक्का घर अर्थात हर मौसम में टिकने वाला घर उपलब्ध कराती है।
- यह झुग्गीवासियों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों पर केंद्रित है।
- केंद्र सरकार किफायती घर बनाने और उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है।
- मिशन को मार्च 2022 में समाप्त होना था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर इसे 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया, ताकि पहले से स्वीकृत घरों को पूरा किया जा सके।

लाभार्थी परिवार कौन है?

- लाभार्थी परिवार का अर्थ है पति, पत्नी तथा अविवाहित पुत्र और/या अविवाहित पुत्रियाँ।
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- कोई वयस्क कमाऊ सदस्य, विवाहित हो या नहीं, यदि भारत में कहीं भी पक्के घर का स्वामी नहीं है, तो उसे एक अलग परिवार माना जाता है।
- कोई परिवार चार घटकों में से केवल एक के अंतर्गत ही लाभ ले सकता है।
- जिस व्यक्ति का पक्का घर 21 वर्ग मीटर से छोटा है, उस पर 30 वर्ग मीटर तक विस्तार के साथ उन्नयन के लिए विचार किया जा सकता है।

PMAY-U 2.0

- PMAY-U 2.0 को PMAY-U के अनुभवों और आवास की बढ़ती माँग को देखते हुए सितंबर 2024 में शुरू किया गया। इसकी अवधि 2024 से 2029 तक है।
- इसका लक्ष्य 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों की सहायता करना है।
- पात्र परिवारों को किफायती घर बनाने या खरीदने के लिए प्रति घर ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है। योजना किफायती किराये के आवास को भी सहायता देती है।

श्रेणी	वार्षिक पारिवारिक आय
EWS	₹3 लाख तक
LIG	₹3 लाख से ₹6 लाख
MIG	₹6 लाख से ₹9 लाख

PMAY-U 2.0 के चार घटक

घटक	किसके लिए	क्या मिलता है
लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC)	EWS	अपनी भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया (दीवारों के भीतर उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र) वाला नया पक्का घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक
साझेदारी में किफायती आवास (AHP)	EWS	किसी सार्वजनिक या निजी एजेंसी द्वारा निर्मित 30-45 वर्ग मीटर का घर खरीदने के लिए केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से ₹2.5 लाख तक
किफायती किराया आवास (ARH)	EWS और LIG	प्रवासियों, औद्योगिक एवं निर्माण श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और बेघरों के लिए कम लागत वाले स्वच्छ किराये के घर
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)	EWS, LIG और MIG	घर खरीदने, पुनः खरीदने या बनाने के लिए 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत और वितरित पात्र गृह ऋणों के ब्याज पर सब्सिडी

उदाहरण - किस परिवार के लिए कौन-सा घटक उपयुक्त है?

मान लीजिए रमेश प्रतिवर्ष ₹2.5 लाख कमाता है और उसके पास अपने कस्बे में एक छोटा भूखंड है। वह EWS है, इसलिए वह अपने भूखंड पर घर बनाने के लिए BLC का उपयोग कर सकता है।

मान लीजिए सुनीता किसी कारखाने में काम करने के लिए शहर आई है और उसे कुछ वर्षों के लिए घर चाहिए। ARH उसे कम किराये का घर उपलब्ध कराता है।

मान लीजिए अनिल प्रतिवर्ष ₹8 लाख कमाता है और फ्लैट खरीदने के लिए गृह ऋण लेता है। वह MIG है, इसलिए वह कम ब्याज चुकाने के लिए ISS का उपयोग कर सकता है।

समावेशन

- PMAY-U में यह अनिवार्य है कि घर परिवार की किसी महिला के स्वामित्व या सह-स्वामित्व में हो। इससे महिलाओं को अधिक वित्तीय सुरक्षा और पारिवारिक निर्णयों में बड़ी भूमिका मिलती है।
- मिशन में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC), अल्पसंख्यकों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

मिशन में प्रौद्योगिकी

- PMAY-U 2.0 का एकीकृत वेब पोर्टल परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करने तथा अधिकारियों को आवेदनों पर नज़र रखने और धनराशि जारी

करने की सुविधा देता है। PMAY-U डैशबोर्ड प्रगति को वास्तविक समय में दर्शाता है।

- घरों की **जियो-टैगिंग** की जाती है, अर्थात निर्माण के प्रत्येक चरण में, नींव से लेकर पूर्णता तक, स्थान-डेटा सहित फोटो लिए जाते हैं।
- **प्रौद्योगिकी उप-मिशन (TSM)** के अंतर्गत ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (GHTC-India) ने विश्व भर से 54 सिद्ध, आपदा-प्रतिरोधी भवन-निर्माण प्रौद्योगिकियों को चुना।

- इनमें से छह प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर छह स्थानों पर छह **लाइट हाउस परियोजनाएँ (LHP)** बनाई गईं, जो आदर्श आवास परियोजनाएँ हैं।
- PMAY-U 2.0 के अंतर्गत **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उप-मिशन (TISM)** हरित, जलवायु-अनुकूल डिज़ाइनों को बढ़ावा देता है। प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (TIG) इन नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली AHP परियोजनाओं को अतिरिक्त धनराशि देता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक PMAY-शहरी पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2025, GS पेपर I (10 अंक, 150 शब्द): भारत में स्मार्ट सिटी शहरी निर्धनता और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों का समाधान किस प्रकार करती है?

17 स्वास्थ्य • पारंपरिक चिकित्सा

आयुर्वेद दिवस और आयुष को बढ़ावा

GS पेपर II: स्वास्थ्य; GS पेपर I: भारतीय विरासत | स्रोत: PIB PRISM, Sept 2026, pp. 233-245

चर्चा में क्यों? भारत ने 23 सितंबर 2026 को **11वाँ आयुर्वेद दिवस** मनाया। इसकी थीम थी “स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद”। यह दिवस आयुर्वेद को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में लाने के एक दशक का प्रतीक है।

आयुर्वेद क्या है?

- आयुर्वेद शब्द आयु (जीवन) और वेद (विज्ञान) से बना है। यह 5,000 वर्ष से भी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसकी जड़ें **ऋग्वेद** में हैं।
- इसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोगमुक्त करना है। इसमें वनस्पतियों, पशु-उत्पादों और खनिजों का उपयोग किया जाता है, जिनका वर्णन **चरक संहिता** और **सुश्रुत संहिता** में भी मिलता है।
- **आयुर्वेद दिवस** प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शरद विषुव के आसपास मनाया जाता है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यह तिथि आयुर्वेद के प्राकृतिक संतुलन के विचार को दर्शाती है।
- **आयुष** का अर्थ है आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इन पद्धतियों की देखरेख आयुष मंत्रालय करता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में आयुष

- आयुष मंत्रालय का **राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM)** और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** आयुष को सार्वजनिक अस्पतालों और क्लीनिकों में लाते हैं।
- आयुष औषधालयों को **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष)** नामक आरोग्य केंद्रों में उन्नत किया जा रहा है। NHM इनके कर्मचारियों का व्यय वहन करता है और उन्हें प्रशिक्षित करता है, जबकि NAM भवन, उपकरण और औषधियाँ उपलब्ध कराता है।
- **eSanjeevani** सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन (ऑनलाइन चिकित्सक परामर्श) सेवा है। इस पर मरीज़ आयुर्वेद चिकित्सकों से भी परामर्श ले सकते हैं।
- 2024 में **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए आयुर्वेद सहित सभी चिकित्सा पद्धतियों को कवर करने वाले उत्पाद या ऐड-ऑन देना अनिवार्य कर दिया।

- फरवरी 2026 में **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA)**, नई दिल्ली, कैशलेस उपचार के लिए भारत की सभी साधारण बीमा कंपनियों में सूचीबद्ध होने वाला पहला आयुष संस्थान बना।

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने आयुर्वेद को रोगों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, 11वें संशोधन (ICD-11) में शामिल किया है। अब कहीं भी चिकित्सक आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (ASU) निदानों को मानक कोड के साथ दर्ज कर सकते हैं, जिससे बीमा और अनुसंधान में सहायता मिलती है।

अनुसंधान और विनियमन

- आयुष मंत्रालय द्वारा 2021-22 में शुरू की गई **आयुर्ज्ञान (AYURGYAN) योजना** आयुष में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है।
- **आयुष स्वास्थ्य योजना (2021-2026)** सरकारी और गैर-लाभकारी आयुष संस्थाओं को अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों में सहायता देती है। यह उनकी सुविधाओं को उत्कृष्टता केंद्रों में भी उन्नत करती है।
- **केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS)** आयुष मंत्रालय के अधीन पाँच स्वायत्त अनुसंधान निकायों में से एक है। इसका SPARK कार्यक्रम स्नातक आयुर्वेद विद्यार्थियों की लघु अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देता है।
- आयुर्वेदिक औषधियों का विनियमन **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** और औषधि नियम, 1945 के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का एक विशेष आयुष प्रभाग औषधि परीक्षण में सहायता करता है, और e-Aushadhi पोर्टल औषधि-निर्माण लाइसेंस के आवेदनों को ऑनलाइन संभालता है।

- **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर आयुर्वेद आहार (आयुर्वेदिक भोजन) के लिए एक मानकीकृत विनियमन लागू किया। इसमें शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित प्रामाणिक आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की उत्पाद-सूची दी गई है।

वैश्विक पहुँच

- **WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जामनगर, गुजरात** में स्थित है। यह पारंपरिक चिकित्सा पर अनुसंधान और नीति का प्रमुख केंद्र है।
- दिसंबर 2025 में नई दिल्ली ने **पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन** की मेज़बानी की। इसमें दिल्ली घोषणापत्र अपनाया गया, जो देशों से सिद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से

पारंपरिक चिकित्सा को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने का आह्वान करता है।

- चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में **पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर विशेषज्ञ कार्य समूह** गठित किया गया।
- भारत को चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए **आयुष वीज़ा** में मरीज़ों के लिए M-3 श्रेणी और उनके देखभालकर्ताओं के लिए M-4 श्रेणी है।
- **केंद्रीय बजट 2026-27** में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों और जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन की घोषणा की गई।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक आयुर्वेद दिवस या आयुष योजनाओं पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2019, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): भारत सरकार औषधि के पारंपरिक ज्ञान को औषधि कंपनियों द्वारा पेटेंट कराए जाने से किस प्रकार संरक्षित कर रही है?

18 भारतीय अर्थव्यवस्था • औद्योगिक नीति

मेक इन इंडिया के 12 वर्ष और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था – औद्योगिक नीति, निवेश और व्यापार सुगमता | **स्रोत:** PIB PRISM, Sept 2026, pp. 247-261 और 431-437 (लेख 19 और 35)

चर्चा में क्यों? मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2026 को 12 वर्ष पूरे किए। इसके प्रमुख सुधारों में से एक, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS), ने 22 सितंबर 2026 को पाँच वर्ष पूरे किए।

मेक इन इंडिया क्या है?

- मेक इन इंडिया **25 सितंबर 2014** को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिज़ाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- यह सुगम निवेश, नवाचार और विश्वस्तरीय अवसंरचना पर केंद्रित है। यह **“न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन”** के विचार से निर्देशित है। इसका अर्थ है नागरिकों और व्यवसायों के लिए कम नियम और कम कागज़ी कार्रवाई, किंतु सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति।
- **मेक इन इंडिया 2.0** के अंतर्गत यह पहल अब 27 क्षेत्रों: विनिर्माण के 15 और सेवाओं के 12 को कवर करती है।

12 वर्षों में क्या बदला?

- 2014-15 और 2025-26 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग **सात गुना** बढ़ा। भारत अब मात्रा के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है।
- मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय चूर्ण धातुकर्म एवं नवीन पदार्थ उन्नत अनुसंधान केंद्र (ARCI), हैदराबाद में **Nd-Fe-B (नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन) दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों** का एक पायलट संयंत्र स्थापित किया गया। ये शक्तिशाली चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (SCL) द्वारा विकसित **VIKRAM3201** पहला पूर्णतः मेक-इन-इंडिया माइक्रोप्रोसेसर है, जो प्रक्षेपण यान के भीतर की कठोर परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है।

मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रमुख सुधार

- भारत कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति स्वचालित मार्ग से देता है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेशक को सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।
- **भारत औद्योगिक भूमि बैंक (IILB)** एक केंद्रीय ऑनलाइन मंच है, जो डिजिटल मानचित्रों (GIS अर्थात् भौगोलिक सूचना प्रणाली) पर पूरे भारत की औद्योगिक भूमि की जानकारी दर्शाता है।
- **PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों को भू-स्थानिक डेटा, उपग्रह चित्रों और परस्पर जुड़े सॉफ्टवेयर का उपयोग कर मिलकर अवसंरचना की योजना बनाने में सक्षम बनाता है।
- गतिशक्ति के अंतर्गत **नेटवर्क योजना समूह (NPG)** प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की योजना-चरण में ही जाँच करता है।
- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)** योजनाएँ 14 क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि, ऑटोमोबाइल, सौर PV (फोटोवोल्टिक) मॉड्यूल, विशिष्ट इस्पात और वस्त्र शामिल हैं।
- **स्टार्टअप इंडिया** जनवरी 2016 में शुरू किया गया। यह स्टार्टअप्स को सहायता देता है और उनमें निवेश को प्रोत्साहित करता है।

उदाहरण – PLI कैसे काम करती है

मान लीजिए किसी कंपनी ने आधार वर्ष में भारत में बने ₹100 करोड़ के फोन बेचे। इस वर्ष वह ₹150 करोड़ के फोन बेचती है।

PLI के अंतर्गत सरकार केवल अतिरिक्त ₹50 करोड़ पर ही एक छोटा प्रतिशत भुगतान करती है। इस प्रकार कंपनी को लाभ तभी होता है, जब वह वास्तव में भारत में अधिक उत्पादन और बिक्री करे।

विनिर्माण के लिए हाल की योजनाएँ

- **विशेष इस्पात के लिए PLI** का तीसरा चरण नवंबर 2025 में शुरू हुआ। इसमें सुपर मिश्रधातु, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्रधातु, कोटेड स्टील और अन्य विशेष इस्पात शामिल हैं।
- **सिंटेड दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना** (दिसंबर 2025) के तहत प्रतिवर्ष 6,000 टन ऐसे NdFeB चुंबक बनाने की क्षमता विकसित की जाएगी।
- **BHAVYA - भारत औद्योगिक विकास योजना** (मार्च 2026) के तहत अंतर्निहित अवसंरचना वाले 100 निवेश-तैयार औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।
- **मोबाइल फोन विनिर्माण योजना** (जुलाई 2026) का लक्ष्य 2026-27 से 2030-31 तक मोबाइल फोन उत्पादन और घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाना है।
- **सेमीकॉन 2.0** (जुलाई 2026) डिज़ाइन से लेकर विनिर्माण और पैकेजिंग तक संपूर्ण चिप पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक सहायता देता है।
- **BHAVYA रसायन** (24 जुलाई 2026) के तहत तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)

- NSWS एक डिजिटल मंच है, जहाँ निवेशक एक ही स्थान पर यह जान सकता है कि किसी व्यवसाय के लिए कौन-सी स्वीकृतियाँ आवश्यक हैं, उनके लिए आवेदन कर सकता है और उन पर नज़र रख सकता है।
- इसे 22 सितंबर 2021 को शुरू किया गया और इसका संचालन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाता है।
- यह 32 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्वीकृतियों को एक ही मंच पर लाता है।
- NSWS पर पंजीकरण निःशुल्क है। आवेदक केवल प्रत्येक स्वीकृति के लिए विधि द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करता है।

उदाहरण - एक छोटा कारखाना खोलना

मान लीजिए कोई व्यक्ति एक छोटा कारखाना खोलना चाहता है। एकल खिड़की के बिना उसे प्रदूषण बोर्ड, अग्निशमन विभाग और श्रम विभाग में अलग-अलग आवेदन करना पड़ता और हर बार वही दस्तावेज़ देने पड़ते।

NSWS पर वह व्यक्ति एक फ़ॉर्म भरता है, दस्तावेज़ एक बार अपलोड करता है, इन सभी के लिए आवेदन करता है और प्रत्येक आवेदन पर ऑनलाइन नज़र रखता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **Know Your Approvals (KYA)** टूल किसी व्यवसाय की प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर उसके लिए आवश्यक स्वीकृतियों की सूची देता है। इसका मार्गदर्शन केवल सलाहकारी है, कानूनी सलाह नहीं।
- **सामान्य पंजीकरण फ़ॉर्म** और दस्तावेज़ भंडार आवेदक को विवरण एक बार दर्ज करने और दस्तावेज़ एक बार अपलोड करने तथा उन्हें अनेक स्वीकृतियों के लिए पुनः उपयोग करने की सुविधा देते हैं। राज्य पंजीकरण फ़ॉर्म निवेशक को राज्य एकल खिड़की प्रणालियों से जोड़ता है।
- **आवेदक डैशबोर्ड** निवेशक को आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति पर वास्तविक समय में नज़र रखने की सुविधा देता है। ई-संचार मॉड्यूल निवेशक को मंत्रालयों और राज्यों के प्रश्नों का ऑनलाइन उत्तर देने की सुविधा देता है।
- **PAN** (स्थायी खाता संख्या) का उपयोग एकल व्यवसाय पहचान (Single Business ID) के रूप में किया जाता है। इस प्रकार एक ही संख्या किसी व्यवसाय की सभी स्वीकृतियों में उसकी पहचान करती है।
- **विदेशी निवेश सुविधा (FIF) पोर्टल** NSWS से जुड़ा है। यह सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता वाले FDI प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की है।
- औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन वे अनुमति और फाइलिंग हैं, जो कुछ उद्योग शुरू करने से पहले व्यवसायों के लिए आवश्यक हैं। दोनों अब NSWS पर पूरी तरह डिजिटल हैं।
- नवंबर 2025 में शुरू किया गया एक मॉड्यूल भारतीय कंपनियों को **e-B-4 (ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस) वीज़ा** पर विदेशी पेशेवरों को आमंत्रित करने में सहायता करता है।
- **पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO)** अपने सभी लाइसेंसिंग मॉड्यूलों को NSWS से पूरी तरह जोड़ने वाला पहला विभाग है।
- NSWS राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इथेनॉल नीति और वाहन स्कैपिंग नीति जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृतियों का साझा प्रवेश-द्वार भी है।

आगे की राह

- जैसे-जैसे अधिक मंत्रालय, राज्य और नियामक इससे जुड़ेंगे, NSWS व्यावसायिक स्वीकृतियों की एक एकीकृत प्रणाली का आधार बन सकता है।
- मेक इन इंडिया का लक्ष्य अब केवल अधिक वस्तुएँ बनाने से आगे है। यह इन वस्तुओं को भारत में बनाने के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Mains 2015, GS पेपर III (12.5 अंक, 200 शब्द): “‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की सफलता ‘स्केल इंडिया’ कार्यक्रम की सफलता और आमूल श्रम सुधारों पर निर्भर करती है।” तर्कसंगत युक्तियों के साथ चर्चा कीजिए।

UPSC Mains 2025, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के औचित्य की चर्चा कीजिए। इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं? इस योजना की कार्यप्रणाली और परिणामों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है?

विगत वर्षों के प्रश्न (जारी)**UPSC Prelims 2023:** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 3.2% है।

कथन-II: भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों और कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना का लाभ उठाया है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है

(d) कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है

Answer: (d). विश्व के वस्तु निर्यात में भारत का हिस्सा 3.2% नहीं, बल्कि 2% से कम है; किंतु अनेक भारतीय और विदेशी फर्मों ने PLI योजना का उपयोग किया है।**19 अंतरराष्ट्रीय संबंध • समूह**

BRICS और भारत की 2026 की अध्यक्षता

GS पेपर II: अंतरराष्ट्रीय संबंध – भारत से संबंधित समूह और समझौते | **स्रोत:** PIB PRISM, Sept 2026, pp. 263–277**चर्चा में क्यों?** भारत ने 1 जनवरी 2026 को **BRICS की अध्यक्षता** संभाली, जो चौथी बार है। इसके अंतर्गत 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 12–13 सितंबर 2026 को होना निर्धारित था।**BRICS क्या है?**

- BRICS प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसके सदस्य इसका उपयोग आर्थिक नीति के समन्वय और वैश्विक शासन-व्यवस्था पर साझा रुख अपनाने के लिए करते हैं।
- यह **ग्लोबल साउथ** अर्थात् एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की आवाज़ भी है। यह IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष), विश्व बैंक और WTO (विश्व व्यापार संगठन) जैसे निकायों में उनके लिए अधिक भागीदारी की माँग करता है।
- BRICS में अब **11 सदस्य** हैं: ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और UAE (संयुक्त अरब अमीरात)।
- सभी सदस्यों के पास मिलकर **विश्व की जनसंख्या का लगभग 49.5% और विश्व GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का 40%** है।
- BRICS सहयोग **तीन स्तंभों** पर टिका है: राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग; आर्थिक और वित्तीय सहयोग; तथा सांस्कृतिक और जन-जन के बीच आदान-प्रदान।

BRICS का विकास

- 2001:** "BRIC" शब्द गोल्डमैन सैक्स बैंक ने "The World Needs Better Economic BRICs" नामक शोधपत्र में गढ़ा। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे।
- 2006:** BRIC को ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के राजनीतिक सहयोग मंच के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया।
- 2008–09:** 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद BRIC ने IMF और विश्व बैंक में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक भागीदारी की माँग की। **पहला BRIC शिखर सम्मेलन 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित हुआ।**
- 2011:** दक्षिण अफ्रीका पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ और BRIC, BRICS बन गया।
- जनवरी 2024:** मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE पूर्ण सदस्य बने।

- जनवरी 2025:** इंडोनेशिया ग्यारहवाँ पूर्ण सदस्य बना।

- 2025:** दस देश नई **साझेदार देश** श्रेणी में शामिल हुए, जिसे अक्टूबर 2024 के कज़ान शिखर सम्मेलन में बनाया गया था। साझेदार देश BRICS के साथ काम करते हैं, किंतु पूर्ण सदस्य नहीं हैं। ये हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाखस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम।

अध्यक्षता कैसे काम करती है

- BRICS की अध्यक्षता (चेयरशिप) **प्रतिवर्ष संक्षिप्त नाम के अक्षरों के क्रम में बदलती है**। प्रत्येक कार्यकाल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है।
- अध्यक्ष देश एजेंडा तय करता है, वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करता है और मंत्रिस्तरीय बैठकों का मार्गदर्शन करता है। BRICS के विस्तार के कारण एक नए रोटेशन फ़ॉर्मूले पर चर्चा चल रही है।

BRICS की वित्तीय संस्थाएँ

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** का प्रस्ताव 2012 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में रखा गया था। यह BRICS और अन्य विकासशील देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। इसने 2016 तक अपने पहले ऋण दिए, जो मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा के लिए थे।
- आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA)** BRICS सदस्यों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा जाल है। इसकी नींव 2012 में रखी गई थी। यह वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे सदस्य को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता देती है।

उदाहरण – CRA कैसे मदद करती है

मान लीजिए विदेशी निवेशक किसी सदस्य देश से अचानक अपना धन निकाल लेते हैं। उस देश के पास अपने आयात का भुगतान करने के लिए डॉलर की कमी होने लगती है।

CRA के अंतर्गत अन्य सदस्य मुद्रा अदला-बदली (करेंसी स्विप) के माध्यम से अपने भंडार से उसे थोड़े समय के लिए डॉलर उधार देते हैं, ठीक उन मित्रों की तरह जिन्होंने आपातकाल में एक-दूसरे को धन उधार देने का

वचन दिया हो। इससे घबराहट शांत होती है और धन बाद में लौटा दिया जाता है।

भारत की चार अध्यक्षताएँ

वर्ष	शिखर सम्मेलन	प्रमुख परिणाम
2012	4वाँ शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली (29 मार्च)	दिल्ली घोषणापत्र; NDB का प्रस्ताव; CRA की नींव; सदस्यों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्राओं में ऋण पर समझौता
2016	8वाँ शिखर सम्मेलन, गोवा (अक्टूबर)	NDB के पहले ऋण; आतंकवाद और FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) मानकों पर अधिक सशक्त भाषा; BIMSTEC (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) के साथ आउटरीच शिखर सम्मेलन
2021	13वाँ शिखर सम्मेलन, वर्चुअल (9 सितंबर); BRICS@15	BRICS आतंकवाद-रोधी कार्य योजना; आपदाओं और जलवायु के लिए उपग्रह डेटा साझा करने हेतु BRICS रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह (Remote Sensing Satellite Constellation) पर समझौता
2026	18वाँ शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली (12-13 सितंबर)	थीम: "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" (सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण)

2026 की थीम के अंग्रेजी शब्दों के प्रथम अक्षर मिलकर BRICS बनाते हैं।

2026 की अध्यक्षता के प्रमुख परिणाम

- **कृषि-पारिस्थितिकी पर BRICS उत्कृष्टता केंद्र** प्राकृतिक, जैविक और पुनर्योजी खेती पर संयुक्त अनुसंधान को सहयोग देंगे। प्रारंभ में इनका

समन्वय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधीन भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम द्वारा किया जाएगा।

- **डिजिटल कृषि पर BRICS नेटवर्क**, जिसका समन्वय प्रारंभ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली करेगा, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रह डेटा और सेंसरों का उपयोग करेगा।
- **BRICS AGRIN** (कृषि-आदान, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क) बीज, जर्मप्लाज़्म और कृषि आदानों पर BRICS देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु एक स्वैच्छिक, किसान-केंद्रित ढाँचा है। जर्मप्लाज़्म पौधों की वह आनुवंशिक सामग्री है जिसका उपयोग नई किस्में विकसित करने में किया जाता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य** पर एक BRICS नेटवर्क स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा, जिसका समन्वय केंद्र NIMHANS (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान) होगा।
- **पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा** पर एक विशेषज्ञ कार्य समूह गठित किया गया। यह पारंपरिक और देशज ज्ञान के संरक्षण के लिए भी कार्य करेगा।
- सदस्य देश एक **BRICS स्टार्टअप नवाचार कोष**, एक वैश्विक मूल्य शृंखला कार्य योजना 2026-2030 तथा, सैद्धांतिक रूप से, सीमा-शुल्क मामलों में सहयोग संबंधी एक समझौते पर भी सहमत हुए।

आगे की राह

- विश्व आर्थिक विखंडन, नई प्रौद्योगिकियों, भू-राजनीतिक तनाव और जलवायु दबाव का सामना कर रहा है।
- भारत का लक्ष्य BRICS की विस्तारित सदस्यता को वास्तविक सहयोग और दृश्यमान परिणामों में बदलना है। यह अत्यंत भिन्न सदस्यों के बीच सहमति बनाकर ऐसा करना चाहता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2016: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई है।
 2. न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Answer: (b). NDB की स्थापना BRICS ने की थी, APEC ने नहीं; इसका मुख्यालय शंघाई में है।

UPSC Mains 2026, GS पेपर II (10 अंक, 150 शब्द): "BRICS वैश्विक शासन में एक सशक्त प्रतिस्तुलन के रूप में कार्य करता है और ग्लोबल साउथ की आवाज़ तथा प्रभाव को सक्रिय रूप से बढ़ाता है।" अन्य समूहों के विकल्प के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने में BRICS की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

20 सामाजिक न्याय • कौशल और रोज़गार

DDU-GKY 2.0: ग्रामीण युवाओं के लिए रोज़गार-संबद्ध कौशल

GS पेपर II: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; **GS पेपर III:** समावेशी विकास और रोज़गार | **स्रोत:** PIB PRISM, Sept 2026, pp. 293-303 और 311-317 (लेख 22 और 24)

चर्चा में क्यों? 25 सितंबर 2026 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) ने 12 वर्ष पूरे किए। PIB ने इसके उन्नत संस्करण DDU-GKY 2.0 की व्याख्या की, जिसके दिशानिर्देश मई 2025 में अधिसूचित किए गए थे।

DDU-GKY क्या है?

- DDU-GKY को **ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत संचालित होती है।
- यह **प्लेसमेंट-संबद्ध कौशल प्रशिक्षण** निर्धन परिवारों के 15-35 वर्ष आयु के ग्रामीण युवाओं को प्रदान करती है। "प्लेसमेंट-संबद्ध" का अर्थ

है कि प्रशिक्षण को तभी सफल माना जाता है जब प्रशिक्षित युवा को रोज़गार मिल जाए।

- प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता अभ्यर्थी के लिए निःशुल्क है।
- योजना में कुछ समूहों को अनिवार्यतः शामिल करना होता है: कुल अभ्यर्थियों में **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) 50%**, महिलाएँ 33% और दिव्यांगजन 5%।

- यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2036 तक भारत की युवा जनसंख्या लगभग 345 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

DDU-GKY 2.0 में नया क्या है?

DDU-GKY 2.0 युवाओं को प्रशिक्षण से प्लेसमेंट तक, और फिर रोज़गार बनाए रखने तथा करियर में आगे बढ़ने तक साथ देती है।

1. एक निश्चित प्रशिक्षण संरचना

- न्यूनतम प्रशिक्षण **576 घंटे** ही रहता है। तीन माह के पाठ्यक्रम में 396 घंटे का डोमेन प्रशिक्षण होता है, जिसमें स्वयं उस कार्य के कौशल सिखाए जाते हैं।
- शेष 180 घंटे अनिवार्य **गैर-डोमेन प्रशिक्षण** के होते हैं: अंग्रेज़ी संप्रेषण (60 घंटे), रोज़गार-योग्यता और जीवन कौशल (60 घंटे), कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता (30 घंटे) तथा उद्यमिता (30 घंटे)।
- पाठ्यक्रम उद्योग की माँग के अनुरूप होते हैं, जैसे एयरोस्पेस और विमानन, कृषि, हरित रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और वस्त्र क्षेत्र।

2. लंबी प्लेसमेंट अवधि

- पहले, **तीन माह** के निरंतर कार्य के बाद अभ्यर्थी को “प्लेसड” माना जाता था। DDU-GKY 2.0 के अंतर्गत न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि छह माह है।
- ये छह माह निरंतर या अंतराल सहित हो सकते हैं। कार्य वेतनभोगी नौकरी, स्वरोज़गार या **गिग कार्य** हो सकता है, जिसका अर्थ है ऐप-आधारित डिलीवरी जैसे अल्पकालिक, कार्य-आधारित रोज़गार।

3. प्लेसमेंट के बाद सहायता

- प्रत्येक प्लेसड अभ्यर्थी पर प्लेसमेंट के बाद **12 माह** तक नज़र रखी जाती है।
- प्लेसड अभ्यर्थी को संक्रमण सहायता के रूप में **₹7,620** मिलते हैं, जो छह माह तक ₹1,270 प्रति माह की दर से दिए जाते हैं।
- जिस अभ्यर्थी के पहली प्लेसमेंट के बाद के **365 दिनों** में बेरोज़गार रहने की कुल अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होती, उसे प्रतिधारण सहायता के रूप में **₹5,000** और मिलते हैं।
- 12 माह के बाद प्लेसड अभ्यर्थी कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग) और पुनःकौशल (रीस्किलिंग) प्राप्त कर सकते हैं।

उदाहरण – मीना की यात्रा

मान लीजिए, एक निर्धन ग्रामीण परिवार की 20 वर्षीय मीना अस्पताल सहायक का तीन माह का पाठ्यक्रम पूरा करती है और उसे एक शहर में नौकरी मिल जाती है।

उसे पहले छह माह तक ₹1,270 प्रति माह मिलते हैं। वर्ष भर में वह एक बार नौकरी बदलती है, जिसके बीच 40 दिन का अंतराल रहता है। उसके बेरोज़गार रहने की कुल अवधि 60 दिन से कम है, इसलिए पूरे एक वर्ष के बाद उसे ₹5,000 भी मिलते हैं।

4. प्रवासियों और रोज़गार-चाहने वालों के लिए सहायता

- **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM)** गृह राज्य और उन राज्यों, दोनों में प्रवासन सहायता केंद्र स्थापित करते हैं जहाँ अभ्यर्थी कार्य करते हैं। ये आवास, परामर्श, रोज़गार संबंधी जानकारी और पूर्व-प्रशिक्षार्थी नेटवर्क में सहायता करते हैं।

- SRLM स्थानीय युवाओं को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर **रोज़गार मेले** भी आयोजित करते हैं। इन मेलों से हुई प्लेसमेंट पर कौशल पंजी के माध्यम से एक वर्ष तक नज़र रखी जाती है, जो कौशल प्रशिक्षण चाहने वाले ग्रामीण युवाओं का ग्रामीण विकास मंत्रालय का ऑनलाइन रजिस्टर है।

5. प्रौद्योगिकी का उपयोग

- उपस्थिति और मूल्यांकन की जाँच **चेहरा प्रमाणीकरण** के माध्यम से की जाती है, और रियल-टाइम डैशबोर्ड कार्यक्रम की निगरानी करते हैं।
- एक सार्वजनिक पोर्टल अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम खोजने और **परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों (PIA)** कहलाने वाले प्रशिक्षण भागीदारों की प्रदर्शन रेटिंग देखने की सुविधा देता है।
- पाठ्यक्रम विवरणों की स्वचालित जाँच के लिए यह प्रणाली **स्किल इंडिया डिजिटल हब** से जुड़ी है।

कठिन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

- **रोशनी** गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित ज़िलों के लिए है। प्रशिक्षण आवासीय होता है और 40% अभ्यर्थी महिलाएँ होनी चाहिए। अब इसमें आकांक्षी ज़िले भी शामिल हैं, जो केंद्रित विकास के लिए चुने गए पिछड़े ज़िले हैं।
- **हिमायत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख** के लिए DDU-GKY की एक विशेष योजना है। इसमें BPL (गरीबी रेखा से नीचे) और APL (गरीबी रेखा से ऊपर), दोनों प्रकार के परिवारों के ग्रामीण और शहरी युवा शामिल हैं। यह 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित है।
- कुल DDU-GKY आवंटन का **10% पूर्वोत्तर राज्यों** के लिए आरक्षित है।
- दुर्गम क्षेत्रों में प्रशिक्षण एजेंसियों को प्रति अभ्यर्थी आधार प्रशिक्षण लागत का अतिरिक्त 10% **विशेष क्षेत्र भत्ता** मिलता है।

RSETI: स्वरोज़गार के लिए प्रशिक्षण

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) DDU-GKY के साथ-साथ कार्य करते हैं। इनका लक्ष्य प्रत्येक ज़िले में एक समर्पित कौशल केंद्र स्थापित करना है। ये BPL और DAY-NRLM परिवारों के ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

विशेषता	DDU-GKY	RSETI
मुख्य उद्देश्य	मुख्यतः वेतनभोगी नौकरी (प्लेसमेंट)	स्वरोज़गार और स्वयं का उद्यम
आयु वर्ग	15-35 वर्ष	18-50 वर्ष
प्रशिक्षण	निःशुल्क, रोज़गार-संबद्ध	निःशुल्क, आवासीय, प्रशिक्षण के बाद हैंडहोल्डिंग सहायता सहित

कौशल से उद्यम तक: एक उदाहरण

- असम के चराइदेव की रूपाली हसदा ने DDU-GKY के अंतर्गत सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने तिरुपुर, तमिलनाडु की एक वस्त्र मिल में काम किया और फिर घर लौटकर अपना सिलाई-कटाई केंद्र शुरू किया।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक DDU-GKY पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। निकटतम प्रश्न यह है:

UPSC Prelims 2018: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह श्रम और रोज़गार मंत्रालय की प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना है।
2. यह अन्य बातों के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी।
3. इसका उद्देश्य देश के अनियमित कार्यबल की दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के अनुरूप बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Answer: (c). कथन 1 गलत है क्योंकि PMKVY का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय करता है, श्रम और रोज़गार मंत्रालय नहीं।

21 अवसंरचना • ऊर्जा

घरों के लिए पाइप से गैस: PNG प्रोत्साहन योजना

GS पेपर III: अवसंरचना – ऊर्जा (प्राकृतिक गैस) | स्रोत: PIB PRISM, Sept 2026, pp. 305–309

चर्चा में क्यों? 18 अगस्त 2026 को घरेलू PNG कनेक्शनों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। यह 1 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई।

मूल शब्दावली

- **PNG** (पाइप नेचुरल गैस) पाइपलाइनों के माध्यम से घरों तक पहुँचाई जाने वाली रसोई गैस है, लगभग नल के पानी की तरह।
- **सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क** पाइपलाइनों और सुविधाओं का वह समूह है जो किसी क्षेत्र के घरों, दुकानों और उद्योगों को गैस की आपूर्ति करता है।
- CGD नेटवर्क **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)** द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। PNGRB ने 309 भौगोलिक क्षेत्रों (GA) में कंपनियों को प्राधिकृत किया है, जो मिलकर भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि को कवर करते हैं।
- **APM गैस** भारत के भीतर उत्पादित प्राकृतिक गैस है, जिसे प्रशासित मूल्य तंत्र के अंतर्गत कम कीमत पर बेचा जाता है, जिसमें सरकार कीमत तय करती है।
- **LNG** (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) वह प्राकृतिक गैस है जिसे ठंडा करके तरल में बदला जाता है ताकि उसे जहाज़ से भेजा जा सके। यह APM गैस से महँगी होती है।

योजना

- यह योजना **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य परिवारों को स्वच्छ, सुरक्षित और किफ़ायती रसोई गैस उपलब्ध कराना है।
- यह **CGD कंपनियों को पुरस्कृत करती है, परिवारों को नहीं।** उन्हें बिना बिल वाले कनेक्शनों (जहाँ पाइप बिछ चुके हैं पर गैस का उपयोग और बिलिंग नहीं हो रही) को सक्रिय, बिल वाले कनेक्शनों में बदलने तथा नए क्षेत्रों तक पाइपलाइन ले जाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है।
- प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के लिए कनेक्शनों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या तय है। इस संख्या से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त बिल वाले घरेलू कनेक्शन के लिए कंपनी को **200 SCM (मानक घन मीटर) अतिरिक्त APM गैस** मिलती है। एक SCM गैस की वह मात्रा है जो मानक तापमान और दाब पर एक घन मीटर को भरती है।
- योजना **छह माह में दो किश्तों** (ट्रांच) में चलती है।

- कंपनियाँ इस सस्ती APM गैस का उपयोग उस महँगी LNG के स्थान पर करेंगी जो वे अभी वाहनों के लिए CNG (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) बनाने हेतु खरीदती हैं। इससे उनकी गैस लागत घटती है।

उदाहरण – कंपनियाँ तेज़ी से कनेक्शन क्यों देंगी

एक गैस कंपनी किसी घर तक पाइप बिछाने में धन खर्च करती है। यह धन वापस कमाने में लगने वाला समय **पेबैक अवधि** कहलाता है। अब तक यह लगभग दस वर्ष रही है।

अतिरिक्त सस्ती गैस के साथ कंपनी द्वारा यह धन लगभग **तीन वर्ष** में वापस कमा लेने की अपेक्षा है। इसलिए घरों को जोड़ना एक अच्छा व्यवसाय बन जाता है।

PNG परिवारों के लिए बेहतर क्यों है

- यह **अधिक सुरक्षित** है, क्योंकि गैस भूमिगत पाइपों से कम दाब पर बहती है और घर में कोई सिलेंडर नहीं रखा जाता। प्राकृतिक गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए रिसाव की दुर्लभ स्थिति में यह ऊपर उठकर शीघ्र फैल जाती है।
- इसमें सिलेंडर बुकिंग की आवश्यकता नहीं होती, बिल मीटर से मापे गए उपयोग पर बनता है और प्रति इकाई ऊर्जा की लागत प्रायः **LPG (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) से कम** होती है। यह अधिक स्वच्छ रूप से जलती भी है।

PNG के विस्तार के अन्य कदम

- गैस पाइपलाइनों पर 2026 के एक आदेश के अंतर्गत एक **त्वरित अनुमोदन ढाँचा** जारी किया गया है। यह आदेश एकसमान राइट-ऑफ़-वे शुल्क भी निर्धारित करता है, जो पाइपलाइन बिछाने हेतु भूमि या सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के लिए दिए जाने वाले शुल्क हैं। आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
- राज्यों को **प्राकृतिक गैस पर VAT (मूल्य वर्धित कर) घटाकर 5%** करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- भौगोलिक क्षेत्रों में घरेलू PNG कनेक्शनों में तेज़ी लाने के लिए जनवरी से जून 2026 तक **राष्ट्रीय PNG अभियान 2.0** चलाया गया।

- एक एकीकृत PNG पंजीकरण पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने और उसकी स्थिति जानने की एकल ऑनलाइन खिड़की होगी।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2025: निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए:

- I. कच्चे तेल का उत्पादन
 - II. पेट्रोलियम का शोधन, भंडारण और वितरण
 - III. पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और बिक्री
 - IV. प्राकृतिक गैस का उत्पादन
- उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

Answer: (b). PNGRB डाउनस्ट्रीम गतिविधियों (II और III) को विनियमित करता है; कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन इसके दायरे से बाहर है।

UPSC Prelims 2019: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला नियामक निकाय है।
2. PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना है।
3. PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Answer: (b). कथन 1 गलत है क्योंकि PNGRB (2006 के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित) भारत का पहला नियामक नहीं था; TRAI इससे पहले बना था।

22 अर्थव्यवस्था • खनन और समावेशी विकास

PMKKKY और ज़िला खनिज फाउंडेशन

GS पेपर III: खनिज संसाधन, खनन और समावेशी विकास; GS पेपर II: कमज़ोर वर्गों का कल्याण | स्रोत: PIB PRISM, Sept 2026, pp. 319-325

चर्चा में क्यों? 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) ने 11 वर्ष पूरे किए। PIB ने बताया कि यह खनन से प्राप्त धन का एक हिस्सा खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कैसे उपयोग करती है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- खनिज सरकार के लिए राजस्व अर्जित करते हैं, उद्योगों को सहारा देते हैं और रोज़गार सृजित करते हैं। किंतु जिन ज़िलों में खनन होता है, वे इसकी लागत वहन करते हैं।
- इन लागतों में लोगों का अपने घर खोना, प्रदूषण और पारंपरिक आजीविका की हानि शामिल हैं।
- खनन अधिकतर कम विकसित और दूरदराज़ के क्षेत्रों तथा कमज़ोर समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करता है।
- भारत ज़िला खनिज फाउंडेशनों (DMF) के माध्यम से खनन राजस्व का एक हिस्सा इन लोगों को लौटाता है।

मूल शब्दावली

- **खनन पट्टा** सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी को भूमि के किसी टुकड़े से खनिज निकालने के लिए दी गई अनुमति है।
- **रॉयल्टी** वह राशि है जो पट्टाधारक निकाले गए खनिज के लिए चुकाता है। यह निकाली गई मात्रा के साथ बढ़ती है।

ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF)

- DMF का सृजन 2015 के संशोधन द्वारा किया गया, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) में किया गया था।
- DMF एक गैर-लाभकारी न्यास है। यह खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित में कार्य करता है।
- खनन से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में एक DMF स्थापित किया जाता है, और इसका धन ज़िला स्तर पर एकत्र किया जाता है।

- DMF राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। प्रत्येक राज्य ने अपने DMF नियम बनाए हैं।

DMF को धन कैसे मिलता है

खनन पट्टाधारकों को रॉयल्टी के अतिरिक्त, अपनी रॉयल्टी के एक हिस्से के बराबर राशि DMF को देनी होती है। यह हिस्सा इस पर निर्भर करता है कि पट्टा कब दिया गया।

पट्टा कब दिया

गया	DMF में अंशदान
12 जनवरी 2015 से पहले	रॉयल्टी का 30%
12 जनवरी 2015 को या उसके बाद	रॉयल्टी का 10% (इसमें पूर्वोक्त लाइसेंस-सह-खनन पट्टा भी शामिल है, जो किसी कंपनी को पहले अन्वेषण और फिर खनन की अनुमति देता है)

उदाहरण – DMF अंशदान

मान लीजिए, दो कंपनियाँ किसी ज़िले में खोदें गए लौह अयस्क के लिए प्रत्येक ₹100 की रॉयल्टी चुकाती हैं।

कंपनी A को पट्टा 2010 में मिला, इसलिए वह रॉयल्टी के अतिरिक्त ज़िले के DMF को ₹30 देती है। कंपनी B को पट्टा 2020 में मिला, इसलिए वह ₹10 देती है। यह धन खदानों के आसपास के लोगों और गाँवों पर खर्च किया जाता है।

PMKKKY क्या है?

- PMKKKY को 17 सितंबर 2015 को खान मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह DMF के धन को ज़मीनी स्तर पर कल्याण और विकास परियोजनाओं की ओर निर्देशित करती है।

- इसका विचार यह है कि प्रत्येक खनन-प्रभावित क्षेत्र सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के एक न्यूनतम मानक का हकदार है।
- योजना का क्रियान्वयन DMF द्वारा MMDR अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग करते हुए किया जाता है।
- MMDR अधिनियम प्रत्येक राज्य से अपने DMF नियमों में PMKKKY को शामिल करने की अपेक्षा करता है।
- योजना के संशोधित दिशानिर्देश जनवरी 2024 में जारी किए गए। ये परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक अद्यतन ढाँचा देते हैं।

उद्देश्य

- यह खनन-प्रभावित क्षेत्रों में मौजूदा राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अतिरिक्त विकास और कल्याण परियोजनाएँ क्रियान्वित करती है।
- यह खनन से स्थानीय लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और रहन-सहन की स्थितियों को होने वाली हानि को कम करती है - खनन के दौरान भी और उसके समाप्त होने के बाद भी।
- यह प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक, सतत आजीविका सुनिश्चित करती है।

धन कहाँ जाता है

क्षेत्र का प्रकार	निधि का हिस्सा	क्षेत्र
उच्च-प्राथमिकता	कम से कम 70%	पेयजल; पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण; स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा; महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगजनों का कल्याण; कौशल और आजीविका; स्वच्छता और आवास; कृषि और पशुपालन

क्षेत्र का प्रकार	निधि का हिस्सा	क्षेत्र
अन्य प्राथमिकता	अधिकतम 30%	भौतिक अवसंरचना; सिंचाई; ऊर्जा और जलसंभर विकास; खनन ज़िलों में पर्यावरण सुधारने वाले अन्य कदम

जनजातीय क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपाय

खनन मुख्यतः कम विकसित और दूरदराज़ के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह कमज़ोर समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों को भी प्रभावित करता है, इसलिए विशेष सावधानी आवश्यक है। DMF नियम बनाते समय राज्य सरकार को प्रावधानों के तीन समूहों का पालन करना होता है।

- उसे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी संविधान के प्रावधानों (पाँचवीं और छठी अनुसूची) का पालन करना होता है।
- उसे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) का पालन करना होता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों पर अधिकार देता है।
- उसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन करना होता है, जो वन भूमि और संसाधनों पर वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।

आगे की राह

- PIB इस विचार को “खनिज राष्ट्र के हैं” के रूप में सारांशित करता है। अतः खनन की लागत वहन करने वाले लोगों को बेहतर विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और रोज़गार के माध्यम से इसके लाभों में हिस्सा मिलना चाहिए।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2016: भारत में ‘ज़िला खनिज फाउंडेशन’ का/के उद्देश्य क्या है/हैं?

- खनिज-समृद्ध ज़िलों में खनिज अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना
 - खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना
 - राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत करना
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Answer: (b). DMF गैर-लाभकारी न्यास हैं जो खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लिए कार्य करते हैं; ये न तो अन्वेषण को बढ़ावा देते हैं और न ही लाइसेंस जारी करते हैं।

UPSC Mains 2025, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत हैं और इनका दोहन खनन द्वारा किया जाता है। खनन को पर्यावरणीय संकट क्यों माना जाता है? खनन के कारण होने वाले पर्यावरणीय संकट को कम करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए।

23 भारतीय अर्थव्यवस्था • बैंकिंग और MSME

ECLGS 5.0: व्यवसायों के लिए आपातकालीन ऋण

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था – संसाधनों का जुटाव; बैंकिंग; MSME | **स्रोत:** PIB PRISM, Sept 2026, pp. 327–335

चर्चा में क्यों? भू-राजनीतिक घटनाएँ आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकती हैं, परिवहन लागत बढ़ा सकती हैं और व्यवसायों के सामने नकदी की कमी खड़ी कर सकती हैं। ऐसे झटकों से व्यवसायों को उबारने के लिए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को 5 मई 2026 को मंजूरी दी।

ऋण गारंटी क्या है?

ऋण गारंटी किसी तीसरे पक्ष का यह वचन है कि यदि उधारकर्ता ऋण नहीं चुका पाता तो वह उसे चुकाएगा। ECLGS के अंतर्गत सरकार ऋणदाता को यह वचन देती है, जिससे बैंक व्यवसायों को अधिक ऋण देने में सुरक्षित महसूस करते हैं।

उदाहरण – 100% गारंटी

मान लीजिए, एक छोटी शर्ट फैक्ट्री कपड़ा खरीदने के लिए बैंक से ₹10 लाख माँगती है। 100% सरकारी गारंटी के साथ, यदि फैक्ट्री चूक करती है तो बैंक योजना के नियमों और शर्तों के अधीन, बकाया पूरी ₹10 लाख तक की राशि का दावा कर सकता है।

इस प्रकार गारंटी बैंक के ऋण जोखिम को कम करती है और उसे व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पृष्ठभूमि: ECLGS 1.0 से 4.0

- ECLGS को COVID-19 से प्रभावित व्यवसायों की सहायता के लिए 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। इसने अतिरिक्त ऋणों पर ऋणदाताओं को 100% सरकारी गारंटी दी।
- प्रत्येक नए चरण में अधिक क्षेत्रों को शामिल किया गया, और चारों चरण (1.0 से 4.0) 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गए।

ECLGS 5.0 की प्रमुख विशेषताएँ

- इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा किया जाता है।
- यह 31 मार्च 2027 तक, या इसकी समग्र गारंटी सीमा समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, चलती है।
- यह अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देती है, जो कच्चे माल और मज़दूरी जैसे दैनिक खर्चों के लिए किसी व्यवसाय को आवश्यक धन है।
- इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को चालू रखना, रोज़गार की रक्षा करना और व्यवसायों को अपने अल्पकालिक भुगतान पूरे करने में सहायता देना है।
- किसी MSME या अन्य पात्र व्यवसाय के पास 31 मार्च 2026 को कार्यशील-पूंजी ऋण होना चाहिए, और उसकी चुकौती 60 दिन से अधिक बकाया नहीं होनी चाहिए।
- किसी अनुसूचित यात्री एयरलाइन के पास 31 मार्च 2026 को ऋणदाताओं से लिए गए ऐसे ऋण होने चाहिए जो उस तिथि को 'मानक (Standard)' के रूप में वर्गीकृत थे, किंतु विशेष उल्लेख खाता-2 (SMA-2) के रूप में नहीं, जो 61 से 90 दिन तक बकाया ऋण होता है।
- जिन उधारकर्ताओं को निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSE) के अंतर्गत पहले ही अतिरिक्त ऋण मिल चुका है, वे वह राशि ECLGS 5.0 के अंतर्गत दोबारा नहीं पा सकते।
- सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLI) कहलाने वाले ऋणदाताओं में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। वे कोई गारंटी शुल्क नहीं देते।
- उधारकर्ता जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

- यह तीन प्रकार के उधारकर्ताओं को कवर करती है: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), अन्य पात्र व्यवसाय, और अनुसूचित यात्री एयरलाइनें।

उधारकर्ता	गारंटी	अतिरिक्त ऋण	ऋण अवधि
MSME (सभी क्षेत्र)	100%	जनवरी-मार्च 2026 में बकाया उच्चतम कार्यशील-पूंजी ऋण का 20% तक; अधिकतम ₹100 करोड़	5 वर्ष, जिसमें 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है
अन्य व्यवसाय (पात्र क्षेत्र)	90%	MSME के समान	5 वर्ष, जिसमें 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है
अनुसूचित यात्री एयरलाइनें	90%	प्रति एयरलाइन अधिकतम ₹1,500 करोड़	7 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है

- अधिस्थगन (मोरेटोरियम) ऋण के प्रारंभ की वह अवधि है जिसमें उधारकर्ता को मूलधन, अर्थात् उधार ली गई राशि, नहीं चुकानी होती। ECLGS 5.0 के अंतर्गत इस अवधि में ब्याज फिर भी चुकाना होता है।

ब्याज दर

- MSME के लिए दर बाह्य बेंचमार्क ऋण दर (EBLR) पर आधारित है। बैंक इसका उपयोग खुदरा और लघु-व्यवसाय ऋणों पर परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) दरें तय करने के लिए करते हैं, और यह किसी बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ऐसे चार बेंचमार्क की अनुमति देता है: RBI रेपो दर, 91-दिवसीय ट्रेज़री बिल प्रतिफल, 182-दिवसीय ट्रेज़री बिल प्रतिफल, या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (FBIL) द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाज़ार ब्याज दर।
- अन्य व्यवसायों के लिए यह निधियों की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (MCLR) पर आधारित है। यह किसी बैंक की अपनी न्यूनतम ऋण दर है, जिसकी गणना RBI की पद्धति से उसकी निधि लागत के आधार पर की जाती है।
- ऋणदाता बेंचमार्क से अधिकतम 0.75% ऊपर तक शुल्क ले सकते हैं, जिसकी ऊपरी सीमा 9% प्रति वर्ष है। पात्र NBFC के ऋणों के लिए यह ऊपरी सीमा 13% प्रति वर्ष है।
- एयरलाइनों के लिए प्रत्येक ऋणदाता अपनी बोर्ड-अनुमोदित नीति के अंतर्गत दर तय करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक ECLGS पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इससे निकटतम प्रश्न है:

UPSC Prelims 2016: RBI द्वारा घोषित 'निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर (MCLR)' का/के उद्देश्य क्या है/हैं?

- ये दिशानिर्देश अग्रिमों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक हैं।
- ये दिशानिर्देश ऐसी ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक हैं, जो उधारकर्ताओं और बैंकों, दोनों के लिए उचित हों।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Answer: (c). MCLR एक स्पष्ट पद्धति के माध्यम से उधार दरों को बैंक की निधियों की वास्तविक लागत से जोड़ता है, जो दोनों पक्षों के लिए उचित है।

24 शिक्षा • विद्यालय और साक्षरता

स्कूली शिक्षा और साक्षरता: PM SHRI, ULLAS और NIPUN भारत

GS पेपर II: सामाजिक क्षेत्र - शिक्षा; सरकारी योजनाएँ | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 337-347 और 539-547 (लेख 27 और 47)

चर्चा में क्यों? 7 सितंबर 2026 को PM SHRI योजना ने चार वर्ष पूरे किए और अब यह अपने अंतिम वर्ष में है। PIB ने साक्षरता में भारत की प्रगति की भी व्याख्या की, जिसमें सरकार की ओर से साक्षरता की पहली आधिकारिक परिभाषा और दस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) का पूर्ण साक्षर घोषित होना शामिल है।

PM SHRI: यह क्या है?

- PM SHRI (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को की गई थी।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात् इसकी लागत केंद्र और राज्य मिलकर वहन करते हैं। इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य 14,500 से अधिक मौजूदा विद्यालयों को अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में उन्नत करना है। अनुकरणीय विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को व्यवहार में किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए।
- यह योजना 2022-23 से 2026-27 तक पाँच वर्षों के लिए चलेगी। इससे 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने की आशा है।
- चयनित विद्यालयों में राज्य और UT के विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिति (NVS) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के विद्यालय शामिल हैं।
- प्रत्येक PM SHRI विद्यालय से अपेक्षा है कि वह अपने आसपास के विद्यालयों का मार्गदर्शन करे और उन्हें सहयोग दे। PIB इसे “तरंग प्रभाव” (ripple effect) कहता है, क्योंकि अच्छी पद्धतियाँ एक विद्यालय से अनेक विद्यालयों तक फैलती हैं।

PM SHRI विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएँ

- यह योजना NEP 2020 से लिए गए छह स्तंभों पर आधारित है।
- ये छह स्तंभ हैं: पाठ्यचर्या, शिक्षण-पद्धति और मूल्यांकन; पहुँच और अवसर; मानव संसाधन और विद्यालय नेतृत्व; प्रबंधन, निगरानी और शासन; समावेशी पद्धतियाँ और लैंगिक समता; तथा लाभार्थी संतुष्टि।
- PM SHRI विद्यालयों की गुणवत्ता की जाँच और निगरानी के लिए विद्यालय गुणवत्ता मूल्यांकन ढाँचे (SQA) का उपयोग किया जाता है।
- पाठ्यचर्या NEP 2020 की 5+3+3+4 संरचना पर आधारित राष्ट्रीय या राज्य पाठ्यचर्या ढाँचे का अनुसरण करती है।
- बच्चे बस्ता-रहित दिवसों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटरैक्शन और स्थानीय कला एवं शिल्प के अध्ययन के माध्यम से करके सीखते हैं।
- ये विद्यालय, विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं में, शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को बढ़ावा देते हैं।
- हरित विद्यालय पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियाँ अपनाते हैं, और इसे विद्यालय की गुणवत्ता का एक मानक माना जाता है।
- विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाएँ, इंटरनेट और STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित) कार्यक्रम मिलते हैं। DIKSHA (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) वह ऑनलाइन मंच है, जिस पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध है।

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। शिक्षकों को समग्र प्रगति कार्ड के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें केवल अंक ही नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास का लेखा-जोखा रखा जाता है।

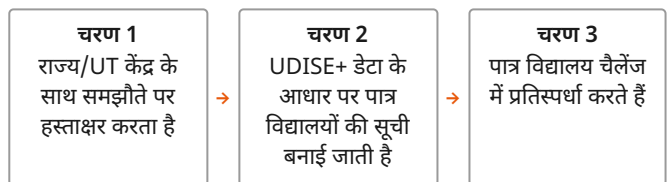
व्याख्या - 5+3+3+4 संरचना

NEP 2020 स्कूली शिक्षा के 15 वर्षों को चार चरणों में बाँटती है। बुनियादी चरण 5 वर्ष (आयु 3-8 वर्ष) का है, और प्रारंभिक चरण 3 वर्ष (आयु 8-11 वर्ष) का है।

मध्य चरण 3 वर्ष (आयु 11-14 वर्ष) का है, और माध्यमिक चरण 4 वर्ष (आयु 14-18 वर्ष) का है।

विद्यालयों का चयन कैसे होता है: चैलेंज मोड

चैलेंज मोड में विद्यालय एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और केवल वही विद्यालय चुने जाते हैं जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं। चयन तीन चरणों में होता है।



- चरण 1 में राज्य या UT एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें वह विद्यालयों को PM SHRI मानकों तक पहुँचाने में सहायता करने का वचन देता है।
- चरण 2 में, न्यूनतम मानक पूरे करने वाले विद्यालयों की सूची UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) के आधार पर बनाई जाती है, जो सभी विद्यालयों का शिक्षा मंत्रालय का डेटाबेस है।
- न्यूनतम मानकों में पक्का (स्थायी) भवन, दिव्यांग बच्चों के लिए बाधारहित पहुँच, अलग-अलग शौचालय, पेयजल, बिजली और पुस्तकालय या खेल सुविधाएँ शामिल हैं।
- चरण 3 में शहरी विद्यालयों को कम से कम 70% और ग्रामीण विद्यालयों को कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होते हैं।
- राज्य/UT, KVS या NVS के अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं। अंतिम चयन सचिव (स्कूली शिक्षा और साक्षरता) की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति करती है।

साक्षरता क्या है?

- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पहली बार साक्षरता को परिभाषित किया है। यह है “समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता, अर्थात् पहचानना, समझना, व्याख्या करना और सृजन करना, साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन-कौशल।”

- **95% साक्षरता** वाले राज्य या UT को पूर्ण साक्षर माना जाता है।
- **UNESCO** (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) साक्षरता को पढ़ने, लिखने और संख्याओं का उपयोग करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल सामग्री का उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। यह साक्षरता को एक मूल मानवाधिकार मानता है।
- भारत की साक्षरता दर **2011 में 74.04%** थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के सर्वेक्षण आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 के अनुसार यह **81.1%** है।
- NEP 2020 का लक्ष्य **2035 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात (GER)** प्राप्त करना है। GER किसी स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है, जिसे उस स्तर के आयु-वर्ग की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

- **ULLAS** (अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) को न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) भी कहा जाता है। यह NEP 2020 के अनुरूप एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह **15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों** के लिए है, जो विद्यालय नहीं जा सके। यह कार्यात्मक साक्षरता, संख्या-ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन-कौशल प्रदान करता है तथा आजीवन सीखने के अवसर खोलता है।
- इसका लक्ष्य **2022-27 के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों** को कवर करना है।
- इसका विज़न **“जन जन साक्षर”** (प्रत्येक व्यक्ति के लिए साक्षरता) है। यह “कर्तव्य बोध” की भावना से संचालित है और स्वयंसेवकों तथा जनभागीदारी पर निर्भर है।
- शिक्षक, ASHA (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ता और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे सर्वेक्षक घर-घर जाकर निरक्षर वयस्कों की पहचान करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को एक स्वयंसेवी शिक्षक से जोड़ा जाता है।
- शिक्षार्थी **ULLAS ऐप** के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसमें 27 भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। अंत में वे बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) देते हैं और प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं।

- 2024 और 2026 के बीच **दस राज्यों/UTs** ने स्वयं को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। ये हैं लद्दाख, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर।

NIPUN भारत

- **NIPUN भारत** (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी) की शुरुआत जुलाई 2021 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत की गई थी।
- इसका लक्ष्य **2026-27 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करना** है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 तक समझ के साथ पढ़ सके और बुनियादी गणित कर सके।
- यह बुनियादी चरण, अर्थात् **3 से 8 वर्ष** की आयु के बच्चों पर केंद्रित है।

शिक्षा के लिए सरकार के अन्य कदम

- **समग्र शिक्षा** का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4 के अनुरूप विद्यालयों को अधिक प्रभावी बनाना और प्रत्येक बच्चे को स्कूली शिक्षा का समान अवसर देना है। इसमें तीन पुरानी योजनाओं का विलय किया गया: सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE)।
- **PM e-VIDYA** डिजिटल, ऑनलाइन और प्रसारण-आधारित (टीवी और रेडियो) शिक्षा को एक साथ जोड़ता है, ताकि बच्चे अनेक माध्यमों से सीख सकें।
- **PM POSHAN** (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की बाल वाटिकाओं (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं) और कक्षा I से VIII तक के बच्चों को विद्यालय के दिनों में एक गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।

आगे की राह

- साक्षरता **SDG 4** को सहयोग देती है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आजीवन सीखने के अवसर हैं।
- भारत को इन योजनाओं को निरंतर जारी रखना चाहिए और क्षेत्रों के बीच तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता के अंतर को पाटना चाहिए।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Mains 2020, GS पेपर II (15 अंक, 250 शब्द): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य-4 (2030) के अनुरूप है। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन और पुनर्अभिविन्यास करना है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

UPSC Mains 2026, GS पेपर II (15 अंक, 250 शब्द): क्या शिक्षा को मुख्यतः राज्य के कल्याणकारी दायित्व के रूप में देखा जाना चाहिए या वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, ज्ञान-आधारित राष्ट्र के निर्माण हेतु एक रणनीतिक निवेश के रूप में? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

स्वच्छ वायु: NCAP, AQI, GRAP और संस्थाएँ

GS पेपर III: पर्यावरण – प्रदूषण, संरक्षण; सांविधिक निकाय | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 349–363

चर्चा में क्यों? गत 7 सितंबर 2026 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर PIB ने भारत के स्वच्छ-वायु प्रयासों की समीक्षा की। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 130 में से 108 शहरों में 2025–26 में PM10 का स्तर 2017–18 की तुलना में कम रहा।

मूल शब्दावली

- नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में घोषित किया गया था। भारत इसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाता है।
- वायु प्रदूषण तब होता है, जब हानिकारक गैसों, तरल बूँदों या ठोस कण वायु में इतनी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं कि वे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके स्रोतों में वाहन, उद्योग, निर्माण कार्य और दहन शामिल हैं।
- कणिकीय पदार्थ (PM) का अर्थ है वायु में तैरते सूक्ष्म ठोस या तरल कण। यह प्रमुख वायु प्रदूषक है।
- PM10 का अर्थ है 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण। PM2.5 का अर्थ है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले और भी सूक्ष्म कण। एक माइक्रोमीटर एक मिलीमीटर का हज़ारवाँ भाग होता है।
- मानव बाल की मोटाई लगभग 100 माइक्रोमीटर होती है, अतः उसकी चौड़ाई में लगभग 40 PM2.5 कण समा सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं, और कुछ तो रक्त में भी प्रवेश कर जाते हैं।

वायु गुणवत्ता कैसे मापी जाती है

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) चलाता है। इसे पहले राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (NAAQM) कार्यक्रम कहा जाता था।
- NAMP शहरों में वायु गुणवत्ता पर नज़र रखता है और यह पता लगाता है कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS), अर्थात् बाहरी वायु में प्रदूषकों की कानूनी सीमाओं, का उल्लंघन कहाँ हो रहा है।
- SAMEER ऐप और वेब पोर्टल शहरों का लगभग वास्तविक समय का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) जनता को दिखाते हैं।

प्रणाली	यह क्या करती है
CAAQMS (सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली)	बाहरी वायु को स्वचालित रूप से, वास्तविक समय में मापती है
AAQMS (परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली)	मैनुअल और स्वचालित, दोनों प्रकार के स्टेशनों को कवर करती है; मैनुअल नमूने 24 घंटे की अवधि में एकत्र किए जाते हैं और प्रयोगशाला में उनकी जाँच की जाती है
OCEMS (ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली)	कारखाने में ही उत्सर्जन और बहिःस्राव (अपशिष्ट जल) निर्वहन को मापती है और डेटा CPCB सर्वर को भेजती है; अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए इसे लगाना अनिवार्य है

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

- AQI एक सरल संख्या है, जो नागरिकों को बताती है कि वायु कितनी स्वच्छ या प्रदूषित है। इसकी छह श्रेणियाँ हैं, 'अच्छा' से लेकर 'गंभीर' तक।
- इसकी गणना आठ प्रदूषकों के आधार पर की जाती है: PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओज़ोन (O₃), अमोनिया (NH₃) और सीसा (Pb)।
- सबसे खराब प्रदूषक ही समग्र AQI तय करता है।

AQI	श्रेणी	AQI	श्रेणी
0–50	अच्छा	201–300	खराब
51–100	संतोषजनक	301–400	बहुत खराब
101–200	मध्यम	401–500	गंभीर

उदाहरण – सबसे खराब प्रदूषक ही निर्णायक होता है

मान लीजिए कि किसी शहर में PM2.5 का स्कोर 250 है और अन्य सभी प्रदूषकों का स्कोर 100 से कम है। उस शहर का AQI 250 ("खराब") होगा, क्योंकि AQI प्रदूषकों का औसत नहीं होता।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

- NCAP की शुरुआत 2019 में 130 शहरों में मिशन मोड में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए की गई थी।
- अधिकांश NCAP शहर गैर-अनुपालन शहर (non-attainment cities) हैं, अर्थात् ऐसे शहर जो लगातार पाँच वर्षों तक NAAQS को पूरा नहीं कर सके।
- केंद्र, राज्य और शहरी निकाय मिलकर काम करते हैं। NCAP के अंतर्गत 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) तथा 130 शहरों ने स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की हैं, जो उनके प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को लक्षित करती हैं।
- शहरों को प्रदर्शन-संबद्ध अनुदान मिलता है। इसका अर्थ है कि किसी शहर को उसकी वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के अनुसार धन मिलता है।
- PRANA (पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर-पॉल्यूशन इन नॉन-अटेनमेंट सिटीज़) वह ऑनलाइन पोर्टल है, जो NCAP के अंतर्गत हुए कार्य और व्यय पर नज़र रखता है और उसे जनता के साथ साझा करता है।
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 130 NCAP शहरों की वार्षिक रैंकिंग है। इसकी शुरुआत 2022–23 में हुई। शहर जनसंख्या के आधार पर तीन समूहों में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- 2026 में एक वार्ड-स्तरीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण भी कराया गया, ताकि स्वच्छ-वायु कार्रवाई का आकलन नीचे से ऊपर की ओर किया जा सके।

प्रत्येक क्षेत्र में उठाए गए कदम

वाहन

- **BS-VI** वाहन अप्रैल 2020 से पूरे भारत में लागू किए गए। BS (भारत स्टेज) मानक इस बात की कानूनी सीमा तय करते हैं कि किसी वाहन के निकास से क्या-क्या उत्सर्जित हो सकता है।
- भारी उद्योग मंत्रालय की **PM E-DRIVE** और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की PM ई-बस सेवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती हैं।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने **वाहन स्क्रेपिंग नीति** के अंतर्गत स्क्रेपिंग केंद्रों और स्वचालित फिटनेस परीक्षण के नियम अधिसूचित किए हैं।
- **PARIVARTAN** (प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूअल एंड इन्सेंटीवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन) को जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लागू करता है, और इसकी निधियाँ MoHUA के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से भेजी जाती हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के वाहन-स्वामियों को BS-IV और उससे पुराने ट्रकों तथा बसों के स्थान पर BS-VI डीज़ल या CNG (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) वाहन अथवा इलेक्ट्रिक वाहन लेने में सहायता करता है। प्रोत्साहनों में मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट और पंजीकरण शुल्क की माफ़ी, वाहन ऋण पर 5% ब्याज सहायता, निर्माता की ओर से 8% तक की छूट, और पाँच वर्षों तक मासिक ईंधन वाउचर शामिल हैं; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वाउचर के स्थान पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है। दिल्ली में प्रतिस्थापन के रूप में लिए गए हल्के माल वाहन इलेक्ट्रिक ही होने चाहिए। वाहन-स्वामी परिवहन PARIVARTAN पोर्टल पर आवेदन करते हैं।
- NCR के लिए जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, **1 नवंबर 2026** से दिल्ली में केवल BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बसों, जिनमें पर्यटक बसें भी शामिल हैं, को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

उद्योग

- CPCB ने औद्योगिक क्षेत्रों को उनके प्रदूषण के स्तर के आधार पर पाँच रंग-समूहों में रखा है: **लाल, नारंगी, हरा, सफ़ेद और नीला**। लाल सबसे अधिक प्रदूषणकारी है और सफ़ेद व्यावहारिक रूप से गैर-प्रदूषणकारी। नीले में अपशिष्ट-प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएँ आती हैं।
- **1 अक्टूबर 2026** से NCR के बड़े और प्रदूषणकारी उद्योगों को कणिकीय उत्सर्जन 50 mg/Nm^3 के भीतर रखना होगा, अर्थात् निकास गैस के प्रत्येक सामान्य घन मीटर में 50 मिलीग्राम। सामान्य घन मीटर मानक ताप और दाब पर मापी गई गैस का आयतन है।
- औद्योगिक समूहों को **CEPI** (समग्र पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक) के आधार पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र या अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और प्रत्येक के लिए कार्य योजना होना आवश्यक है।

धूल, अपशिष्ट और पराली दहन

- NCAP के अंतर्गत हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिकांश शहरों में सड़क और निर्माण की धूल PM10 का लगभग **40-50%** हिस्सा है। 20,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन का उपयोग अनिवार्य है, जो धूल को बैठाने के लिए पानी की महीन फुहार छोड़ती हैं।

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)** उत्पादकों को उपयोग के बाद अपने उत्पादों के संग्रहण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरियाँ, टायर और प्रयुक्त तेल शामिल हैं।
- चिह्नित **एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं**, जैसे प्लास्टिक की कटलरी, स्ट्रॉ और थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध है।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली के 300 किमी के दायरे के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ **5-10% बायोमास** जलाने का निर्देश दिया है। इससे फसल अवशेषों का उपयोग हो जाता है, जिससे किसानों को उन्हें जलाने की आवश्यकता नहीं रहती।

हरित आवरण

- **नगर वन योजना (2020)** का लक्ष्य 2026-27 तक 1,000 नगर वन (शहरी वन) और वाटिकाएँ विकसित करना है।
- **अरावली ग्रीन वॉल** का लक्ष्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में 6.31 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार करना है।
- **हरित भारत मिशन** वन गुणवत्ता और कार्बन भंडारण में सुधार करता है। CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) परियोजनाओं में उपयोग की गई वन भूमि की भरपाई के लिए वृक्षारोपण का वित्तपोषण करता है। एक पेड़ माँ के नाम एक जन वृक्षारोपण अभियान है।

संस्थाएँ

निकाय	कानूनी आधार और भूमिका
CPCB	जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकाय; वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्राप्त; MoEFCC को तकनीकी सहायता देता है
CAQM	CAQM (NCR और निकटवर्ती क्षेत्र) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत सांविधिक निकाय; NCR के समूचे वायु-क्षेत्र (airshed) में वायु प्रदूषण का प्रबंधन करता है और GRAP का समन्वय करता है
SPCBs (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	राज्यों में जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों को लागू करते हैं; ध्वनि और अपशिष्ट से जुड़े मामले भी देखते हैं

- **श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP)** NCR के लिए एक आपातकालीन योजना है। यह तब लागू होती है, जब दिल्ली का AQI निर्धारित स्तरों तक पहुँच जाता है या पहुँचने की आशंका होती है। इसके चार चरण "खराब" (AQI 201-300) से "गंभीर+" (AQI 450 से अधिक) तक हैं, और प्रत्येक चरण में प्रतिबंध कड़े होते जाते हैं।
- जनवरी 2025 में, वायु और जल अधिनियमों के अंतर्गत उद्योगों को **सहमति** (अनुमति) देने के लिए एकसमान राष्ट्रीय दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए। CPCB का UCAMS (यूनिफाइड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम) सभी SPCBs को ये आवेदन ऑनलाइन निपटाने की सुविधा देता है।

आगे की राह

- भारत को प्रदूषण के प्रत्येक स्रोत के विरुद्ध विज्ञान-आधारित कार्रवाई, बेहतर निगरानी और पूर्वानुमान, स्वच्छ परिवहन, हरित शहरों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2016: हमारे देश के शहरों में, वायु गुणवत्ता सूचकांक के मान की गणना में निम्नलिखित में से किन वायुमंडलीय गैसों पर सामान्यतः विचार किया जाता है?

1. कार्बन डाइऑक्साइड
2. कार्बन मोनोऑक्साइड
3. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
4. सल्फर डाइऑक्साइड
5. मीथेन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4 (c) केवल 1, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

Answer: (b). कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन AQI के आठ प्रदूषकों में शामिल नहीं हैं।

UPSC Mains 2020, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

UPSC Mains 2021, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (AQGs) के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये 2005 के इसके पिछले अद्यतन से किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है?

26 पर्यावरण • जल संसाधन

जल सुरक्षा: जल संचय जन भागीदारी, जन गंगा और IIWW 2026

GS पेपर III: जल संसाधन, संरक्षण; **GS पेपर II:** सरकारी योजनाएँ | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 377–385, 467–473 और 529–537 (लेख 30, 39 और 46)

चर्चा में क्यों? जल शक्ति मंत्रालय ने 1–2 सितंबर 2026 को अपना **पहला विभागीय शिखर सम्मेलन** आयोजित किया, जिसके चार स्तंभों में से एक जल संचय जन भागीदारी था। 9वाँ भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह (IIWW) 22–26 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

मूल शब्दावली

- **भूजल** वह जल है, जो ज़मीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों के बीच के रिक्त स्थानों में संचित रहता है। कुएँ और बोरवेल इसी जल को निकालते हैं।
- **जलभृत (aquifer)** ज़मीन के नीचे चट्टान या मिट्टी की वह परत है, जो भूजल को संचित रखती है और उसे प्रवाहित होने देती है।
- **भूजल पुनर्भरण** का अर्थ है सतह से जल का नीचे जाकर जलभृत को पुनः भरना। गड्ढों, तालाबों और पुनर्भरण शापटों जैसी पुनर्भरण संरचनाएँ वर्षा जल को रोकती हैं, ताकि वह ज़मीन में रिस सके।
- **वर्षा जल संचयन** का अर्थ है वर्षा जल को, उदाहरण के लिए छतों से, एकत्र करना और उसे संग्रहित करना या ज़मीन में भेजना।

उदाहरण – जलभृत एक बैंक खाते की तरह है

ज़मीन में रिसने वाली वर्षा जमा राशि है। बोरवेल से निकाला गया पानी निकासी है।

यदि कोई गाँव हर वर्ष वर्षा से वापस भरने वाले जल से अधिक जल निकालता है, तो शेष राशि घटती जाती है और बोरवेल सूख जाते हैं। पुनर्भरण संरचनाएँ जमा राशि बढ़ाती हैं, जिससे शेष राशि फिर से बढ़ सकती है।

जल संचय जन भागीदारी (JSJB)

अतीत में भारतीय समुदाय बावड़ियों, तालाबों, पोखरों और जोहड़ों (वर्षा जल संचित करने वाले छोटे मिट्टी के बाँध) के माध्यम से मिलकर जल का प्रबंधन करते थे। JSJB साझा उत्तरदायित्व के इसी विचार को आगे बढ़ाता है। “जल संचय जन भागीदारी” का अर्थ है जन-भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण।

- JSJB की शुरुआत **6 सितंबर 2024** को की गई थी। यह सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व को जल संरक्षण के केंद्र में रखता है।
- यह **कम लागत वाली भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाओं** के निर्माण और निष्क्रिय बोरवेलों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है; निष्क्रिय बोरवेल वे हैं जो सूख गए हैं या काम करना बंद कर चुके हैं।

- यह **संपूर्ण-सरकार और संपूर्ण-समाज** दृष्टिकोण अपनाता है। इसका अर्थ है कि सभी सरकारी विभाग लोगों, पंचायतों, कंपनियों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं।
- JSJB **3C – समुदाय (Community), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और लागत (Cost)** – से निर्देशित है। CSR वह धन है, जिसे बड़ी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सामाजिक कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य है।
- पहले चरण को JSJB 1.0 कहा जाता है। दूसरा चरण, JSJB 2.0, जून 2025 में शुरू किया गया।
- **जून 2026** में JSJB का जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (JSA: CTR) अभियान में विलय कर दिया गया। संयुक्त अभियान को जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन (JSJB: CTR) कहा जाता है।

विभागीय शिखर सम्मेलन से निकले विचार

- यह शिखर सम्मेलन **सहकारी संघवाद**, अर्थात् केंद्र और राज्यों के मिलकर काम करने, को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलनों की शृंखला का पहला सम्मेलन था।
- इसके चार स्तंभ थे: JSJB: कैच द रेन, जल अवसंरचना परियोजनाएँ, पेयजल प्रणालियों की स्रोत संधारणीयता, और **जल जीवन मिशन 2.0** के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति।
- प्रधानमंत्री ने जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए “**जल उत्सव**” का सुझाव दिया।
- उन्होंने विश्वविद्यालयों में जल प्रबंधन की शिक्षा, अधिकारियों और किसानों के लिए अंतर-राज्यीय अध्ययन दौरों तथा सुदृढ़ **जल डेटा अभिशासन** का भी आह्वान किया, ताकि जल संबंधी डेटा का संग्रह, प्रबंधन और उपयोग समुचित ढंग से हो।

JSJB के अंतर्गत स्थानीय मॉडल

- कोरिया ज़िले (छत्तीसगढ़) के **आवा पानी झोकी** आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि का 5% पुनर्भरण तालाबों और

सीढ़ीदार गड्ढों के लिए दिया। यह दर्शाता है कि जल संरक्षण के लिए भारी खर्च से अधिक सामूहिक संकल्प की आवश्यकता होती है।

- प्रकाशम ज़िले (आंध्र प्रदेश) के गाँवों ने **रिज-टू-वैली दृष्टिकोण** अपनाया। इस दृष्टिकोण में वर्षा जल को ऊँची कटक (ridge) से घाटी की ओर बहते समय चरणबद्ध रूप से रोका और संचित किया जाता है, जिससे निचले क्षेत्रों की मिट्टी और जल की रक्षा होती है।
- ओडिशा की **CHHATA योजना** छत्तों से वर्षा जल एकत्र करती है। इसकी ARUA योजना तालाबों और अन्य जल निकायों के जल से भूमिगत जलभृतों के पुनर्भरण में सहायता करती है।

नमामि गंगे और जन गंगा

- **नमामि गंगे कार्यक्रम (NGP)** की शुरुआत 2014 में की गई थी। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें प्रदूषण न्यूनीकरण, संरक्षण और नदी पुनर्जीवन का समन्वय है।
- इसके कार्यों में सीवेज उपचार, नदी-तट विकास और वनीकरण शामिल हैं, जिन्हें वैज्ञानिक निगरानी और जन-जागरूकता का सहयोग प्राप्त है।
- **जन गंगा** नमामि गंगे का जन-भागीदारी स्तंभ है। जन भागीदारी के विचार से प्रेरित इसका उद्देश्य लोगों को जागरूकता से भागीदारी और अंततः नदी के प्रति स्वामित्व-भाव तक ले जाना है।
- **गंगा स्वच्छता पखवाड़ा** प्रतिवर्ष 16 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाला स्वच्छता पखवाड़ा है। इसमें गंगा की मुख्य धारा वाले पाँच बेसिन राज्य (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल), दिल्ली और सहायक नदियों के किनारे बसे नगर शामिल हैं।
- नदी किनारे वृक्षारोपण जन गंगा का हिस्सा है, क्योंकि पौधे नदी-तटों को थामे रखते हैं और मृदा अपरदन को कम करते हैं। **‘एक पेड़ माँ के नाम’** अभियान, जिसमें लोग अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाते हैं, ने इस प्रयास को और बल दिया है।
- विद्यार्थी **विश्वविद्यालय गंगा क्लबों**, इको-क्लबों और राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) इकाइयों के माध्यम से इसमें भाग लेते हैं।

- **गंगा उत्सव** इस कार्यक्रम का प्रमुख सामुदायिक आयोजन है। यह गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता मिलने का प्रतीक है।
- **गंगा प्रहरी** गंगा बेसिन के सामुदायिक स्वयंसेवक हैं, जो जागरूकता फैलाते हैं और स्थानीय जैव विविधता की रक्षा करते हैं। गंगा सेवा दूत इस संदेश को विद्यालयों, संस्थाओं और मोहल्लों तक पहुँचाते हैं।

भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह (IIWW) 2026

- IIWW की परिकल्पना 2012 में की गई थी। यह अब एक द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार) मंच है, जहाँ नीति-निर्माता, शोधकर्ता, उद्योग और समुदाय सतत और जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन पर चर्चा करते हैं।
- इसका आयोजन **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।
- **9वाँ संस्करण** 22-26 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय था “जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन”।
- भारत का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 2017 के 432 अरब घन मीटर (BCM) से बढ़कर **2025 में 448.52 BCM** हो गया।

जल सुरक्षा के लिए सरकार के कदम

- **जल शक्ति अभियान** जल संरक्षण का एक राष्ट्रीय अभियान है। इसका कैच द रेन संस्करण लोगों से आह्वान करता है कि वर्षा जल को वहीं रोकें जहाँ वह गिरे और तभी रोकें जब वह गिरे।
- **अटल भूजल योजना** जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल के समुदाय-नेतृत्व वाले प्रबंधन को सहयोग देती है।
- **मिशन अमृत सरोवर** प्रत्येक ज़िले में अमृत सरोवर नामक तालाबों का निर्माण और पुनरुद्धार करता है।
- **NAQUIM 2.0** (राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम) क्षेत्र-विशिष्ट भूजल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करता है।
- **जल जीवन मिशन** का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल का कनेक्शन देना है। इसका दूसरा चरण, जल जीवन मिशन 2.0, विभागीय शिखर सम्मेलन के स्तंभों में से एक था।
- **जल अर्पण** पूर्ण हो चुकी ग्रामीण जल-आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों को सौंपना है, ताकि गाँव स्वयं उनका संचालन करें।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Mains 2020, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

UPSC Mains 2025, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): भारत में भूजल के हास के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल के इस हास को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

UPSC Mains 2015, GS पेपर III (12.5 अंक, 200 शब्द): नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) कार्यक्रमों तथा पिछली योजनाओं के मिश्रित परिणामों के कारणों की विवेचना कीजिए। वृद्धिशील प्रयासों की तुलना में कौन-सी बड़ी छलाँगें गंगा नदी को बेहतर ढंग से संरक्षित करने में सहायक हो सकती हैं?

फिनटेक: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026, UPI और नियम

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था – बैंकिंग, वित्तीय समावेशन; IT | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 397-407

चर्चा में क्यों? मुंबई में 7वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) का आयोजन 8 से 11 सितंबर 2026 तक किया गया। इसकी थीम थी “Potential to Impact: Agentic AI | Tokenisation | Quantum: Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance.”

फिनटेक क्या है?

फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) का अर्थ है वित्तीय सेवाओं को तेज़, सस्ता और सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। PIB इसे “प्रौद्योगिकी-सक्षम वित्तीय नवाचार” बताता है, जिससे नए व्यवसाय मॉडल, एप्लिकेशन, प्रक्रियाएँ या उत्पाद सामने आ सकते हैं।

प्रौद्योगिकी	इसका अर्थ
API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस)	नियमों का एक समूह, जिसके माध्यम से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दूसरे से संवाद कर पाता है, जिससे पुराने एप्लिकेशनों के ऊपर नए एप्लिकेशन बनाए जा सकते हैं
क्लाउड कंप्यूटिंग	अपने कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटरों के नेटवर्क (“क्लाउड”) का उपयोग, जिससे लागत बचती है
बायोमेट्रिक्स	शारीरिक विशेषताओं, जैसे उँगलियों के निशान, से किसी व्यक्ति की पहचान
DLT (डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी)	लेन-देन का ऐसा अभिलेख जो एक ही समय में अनेक स्थानों पर रखा जाता है
बिग डेटा	डेटा की अत्यंत विशाल मात्रा, जिसका विश्लेषण डिजिटल उपकरण कर सकते हैं
AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और ML (मशीन लर्निंग)	ऐसी प्रणालियाँ जो मानव बुद्धि की अपेक्षा रखने वाले कार्य करती हैं; ML में कंप्यूटर स्वयं डेटा से सीखते हैं

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026

- GFF की शुरुआत 2020 में हुई। PIB इसे विश्व का सबसे बड़ा फिनटेक उत्सव बताता है।
- इसके मुख्य आयोजक **पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI)**, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) हैं।
- इसे समर्थन देने वाली सरकारी संस्थाओं में MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), वित्तीय सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय का NEST (न्यू, इमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी) प्रभाग और NITI Aayog शामिल हैं।
- चार नियामक भी इसे समर्थन देते हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।

थीम की तीन प्रौद्योगिकियाँ

- एजेंटिक AI** ऐसी AI है जो निर्धारित नियमों के भीतर स्वयं परिस्थिति को भाँप सकती है, निर्णय ले सकती है और कार्य कर सकती है। वित्त में यह पूरी प्रक्रियाएँ चला सकती है, धोखाधड़ी पकड़ सकती है और प्रत्येक ग्राहक के अनुरूप सेवाएँ ढाल सकती है।
- टोकनीकरण** किसी परिसंपत्ति को टोकन कहलाने वाली छोटी डिजिटल इकाइयों में बदल देता है, जिन्हें खरीदा-बेचा जा सकता है। इससे आंशिक स्वामित्व और तत्काल निपटान संभव होता है।

- क्वांटम** प्रौद्योगिकियाँ क्वांटम भौतिकी का उपयोग कर संगणना और डेटा सुरक्षा के तरीके को बदल देती हैं। ये क्वांटम-सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से वित्त को अधिक सुरक्षित बना सकती हैं, जो डेटा को लॉक करने का ऐसा तरीका है जिसे क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं तोड़ सकता।

उदाहरण – टोकनीकरण

मान लीजिए किसी कार्यालय भवन का मूल्य ₹100 करोड़ है। इसे पूरा खरीदना बहुत कम लोगों के वश में है। यदि इसे ₹10 के 10 करोड़ डिजिटल टोकनों में बाँट दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति कुछ टोकन खरीदकर भवन के एक छोटे-से हिस्से का स्वामी बन सकता है।

फिनटेक क्यों महत्वपूर्ण है

- यह लोगों को कम कीमत पर अधिक विकल्प देता है और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अधिक कुशलता से काम करने में सहायता करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस)** को विश्व की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता देता है। विश्व के लगभग 50% रियल-टाइम डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से होते हैं।
- भारतीय DPI की वैश्विक पहुँच:** UPI अब भुगतान या धन-प्रेषण के लिए 11 देशों में चालू है, जिनमें भूटान, नेपाल, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरीशस और कतर शामिल हैं। ये संपर्क NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करती है।
- फिनटेक **सूचना विषमता** को कम करता है, जिसका अर्थ है एक पक्ष (जैसे ऋणदाता) को दूसरे पक्ष (जैसे उधारकर्ता) की तुलना में बहुत कम जानकारी होना। यह लेन-देन की लागत भी घटाता है। इन दोनों से अधिक लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ पाते हैं।
- भारत का **वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) मार्च 2017 के 43.4 से बढ़कर मार्च 2026 में 70.0** हो गया। RBI यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर तीन उप-सूचकांकों – पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता – के आधार पर प्रकाशित करता है।
- फिनटेक ऋणदाता बैंकों से परे ऋण उपलब्ध कराते हैं। इससे वित्तीय प्रणाली की कुछ बैंकों पर निर्भरता घटती है, जिससे प्रणालीगत जोखिम, अर्थात् कुछ संस्थाओं की समस्या के पूरी प्रणाली में फैलने का जोखिम, कम हो सकता है।

आधार: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का अर्थ है ऐसी साझा डिजिटल प्रणालियाँ जिनका उपयोग हर कोई कर सकता है, जैसे आधार और UPI। PIB के अनुसार भारत की फिनटेक सफलता डिजिटल इंडिया और DPI के एक दशक पर टिकी है।

- JAM त्रयी** (जन धन-आधार-मोबाइल) बैंक खातों, डिजिटल पहचान और मोबाइल फोन को आपस में जोड़ती है। यह डिजिटल वित्तीय समावेशन का आधार है।

- **आधार e-KYC** (इलेक्ट्रॉनिक 'अपने ग्राहक को जानिए') ग्राहक की पहचान ऑनलाइन सत्यापित करता है, जिससे खाता खोलने में कम कागज़ी कार्रवाई लगती है। DigiLocker आधिकारिक दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में संग्रहीत करता है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** सरकारी लाभ सीधे बैंक खातों में भेजता है, जिससे बिचौलिये कम होते हैं।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** UPI के खुले दृष्टिकोण को ऑनलाइन व्यापार तक ले जाता है। कोई भी क्रेता ऐप नेटवर्क पर किसी भी विक्रेता तक पहुँच सकता है, और इसमें एक वित्तीय सेवा श्रेणी भी है।
- RBI के नियमों के तहत स्थापित और 2021 से चालू **अकाउंट एग्रीगेटर (AA)** ढाँचा किसी व्यक्ति को सहमति के साथ अपने बैंक, कर और अन्य वित्तीय अभिलेख ऋणदाता से डिजिटल रूप में साझा करने की सुविधा देता है। इससे नकदी-प्रवाह आधारित ऋण संभव होता है: एक छोटा व्यवसाय अपनी नियमित प्राप्तियों के बल पर ऋण पाता है, न कि पारंपरिक ऋण की तरह संपार्श्विक (प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी संपत्ति) के आधार पर।

DPI का घटक	यह क्या करता है	इसे कौन चलाता है
आधार / e-KYC	व्यक्ति की पहचान ऑनलाइन प्रमाणित करता है	UIDAI
UPI	बैंक खातों के बीच तत्काल धन अंतरण करता है	NPCI
DBT	सरकारी लाभ सीधे बैंक खातों में भेजता है	भारत सरकार
अकाउंट एग्रीगेटर	सहमति के साथ व्यक्ति का वित्तीय डेटा साझा करता है, जिससे ऋणदाता नकदी-प्रवाह का आकलन कर सकें	RBI-लाइसेंस प्राप्त NBFC-AA
ONDC	ऑनलाइन व्यापार को किसी भी क्रेता ऐप और किसी भी विक्रेता के लिए खोलता है	ONDC (DPIIT के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी)

नियम और सुरक्षा उपाय

- RBI का **फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-नियामक संगठन(नों) की मान्यता हेतु ढाँचा (SRO-FT) मई 2024** में आया। स्व-नियामक संगठन एक ऐसा उद्योग निकाय है जो अपने सदस्यों के लिए स्वयं नियम बनाता और लागू करता है।

- RBI के **डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश (2021)** इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक निर्धारित करते हैं। NPCI UPI भुगतानों में धोखाधड़ी पकड़ने के लिए AI-आधारित जाँच का उपयोग करता है।
- MeitY ने लोगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए **2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम** और 2025 में DPDP नियम अधिसूचित किए।
- RBI ने अपना **नियामक सैंडबॉक्स** ढाँचा अगस्त 2019 में शुरू किया। यह संस्थाओं को नियंत्रित परिवेश में, कुछ नियमों में छूट के साथ या बिना छूट के, नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण करने की अनुमति देता है।
- फर्जी ऋण ऐप से निपटने के लिए एक **डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLA) निर्देशिका** है, जो RBI-विनियमित ऋणदाताओं द्वारा सूचित ऋण ऐप की सार्वजनिक सूची है, जिससे लोग जाँच सकते हैं कि कोई ऐप किसी विनियमित ऋणदाता से जुड़ा है या नहीं। लोग धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन 1930 का उपयोग भी कर सकते हैं।
- **SACHET** पोर्टल जमा राशियों के अवैध संग्रह के बारे में जनता की शिकायतें लेता है।

फोकस में - UPI पर MDR

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क है जो कोई दुकान अपने यहाँ प्राप्त डिजिटल भुगतान पर अपने बैंक को देती है। जनवरी 2020 से UPI भुगतानों पर MDR शून्य था।

15 अक्टूबर 2026 से, वित्तीय सेवा विभाग के एक ढाँचे के तहत, बड़े व्यापारी ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतानों पर 0.4% का MDR देंगे, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 है। व्यक्ति-से-व्यक्ति अंतरण, ₹2,000 तक के भुगतान और UPI के माध्यम से महीने में ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी निःशुल्क बने रहेंगे, और ग्राहक को कुछ नहीं देना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि UPI प्रणाली सरकारी सहायता पर निर्भर रहने के बजाय अपने संचालन की लागत स्वयं वहन करे।

आगे की राह

- भारत को अपनी प्रौद्योगिकी स्वयं विकसित करनी चाहिए, डेटा और उपभोक्ताओं की रक्षा करनी चाहिए, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ रखना चाहिए और अपना अनुभव ग्लोबल साउथ के साथ साझा करना चाहिए।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2026: निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) के तीन प्रमुख उप-सूचकांकों को सही रूप में दर्शाता है?

- ऋण पहुँच, बीमा गहनता और पेंशन कवरेज
- बैंकिंग पहुँच, GDP योगदान और वित्तीय साक्षरता
- पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता
- पहुँच, वहनीयता और पारदर्शिता

Answer: (c). RBI का FI-Index तीन उप-सूचकांकों - पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता - से बनता है।

UPSC Prelims 2017: 'एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)' को लागू करने का निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे संभावित परिणाम है?

- ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं रहेंगे।

(b) लगभग दो दशकों में डिजिटल मुद्रा भौतिक मुद्रा का पूरी तरह स्थान ले लेगी।

(c) FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी।

(d) गरीबों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण अत्यंत प्रभावी हो जाएगा।

Answer: (a). UPI से व्यक्ति एक ही ऐप के माध्यम से सीधे बैंक खाते से भुगतान कर सकता है, इसलिए अलग वॉलेट की आवश्यकता नहीं रहती।

UPSC Mains 2026, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): इस मत का परीक्षण कीजिए कि भारत जैसे देश में वित्तीय समावेशन सामाजिक और आर्थिक समावेशन का अभिन्न अंग है। साथ ही R.B.I. के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

28 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र • मत्स्य पालन

PMMSY के छह वर्ष: मत्स्य पालन और नीली अर्थव्यवस्था

GS पेपर III: कृषि और संबद्ध क्षेत्र; नीली अर्थव्यवस्था | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 409-419

चर्चा में क्यों? 10 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ने छह वर्ष पूरे किए। 2024-25 में भारत का मत्स्य उत्पादन रिकॉर्ड 197.75 लाख टन तक पहुँच गया।

मूल शब्दावली

- नीली अर्थव्यवस्था** का अर्थ है महासागरीय पारिस्थितिक तंत्रों को स्वस्थ रखते हुए विकास, आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय और तटीय संसाधनों, जैसे मत्स्यन, नौवहन और पर्यटन, का सतत उपयोग।
- प्रग्रहण मत्स्यन** (कैप्चर फिशरीज़) का अर्थ है समुद्रों, नदियों और झीलों से मछली पकड़ना। जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) का अर्थ है खेत में फसल की तरह तालाबों, टैंकों या पिंजरो में मछली, अन्य जलीय जीवों और समुद्री शैवाल जैसे जलीय पौधों को पालना।
- समुद्री कृषि** (मैरीकल्चर) समुद्र में की जाने वाली जलीय कृषि है। सजावटी मत्स्य पालन का अर्थ है एक्वेरियम के लिए रंग-बिरंगी मछलियों का प्रजनन।
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन** का अर्थ है नदियों, झीलों, जलाशयों, तालाबों और टैंकों में मछली पकड़ना और पालना। समुद्री मत्स्यन का अर्थ है समुद्र में मछली पकड़ना। भारत के मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय मत्स्य पालन का योगदान अब लगभग 70% है।
- भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक** है, और जलीय कृषि तथा प्रग्रहण मत्स्यन दोनों में दूसरे स्थान पर है। यह झींगे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
- भारत मत्स्य पालन को **सनराइज़ सेक्टर** (उदीयमान क्षेत्र) मानता है, अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसके तेज़ी से बढ़ने की अपेक्षा है। यह लगभग तीन करोड़ लोगों की आजीविका का आधार है, विशेषकर हाशिये पर स्थित और तटीय समुदायों में।

PMMSY क्या है?

PMMSY एक नज़र में

नोडल मंत्रालय	मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
शुभारंभ / अवधि	2020; 2020-21 से 2024-25 तक क्रियान्वित, PM-MKSSY 2026-27 तक जारी
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित घटकों वाली अम्ब्रेला योजना
लक्ष्य	2024-25 तक 22 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन
स्तंभ	उत्पादन और उत्पादकता; अवसंरचना और फसलोपरांत प्रबंधन; मत्स्य प्रबंधन और विनियमन; प्रौद्योगिकी (RAS, बायो-फ्लॉक, पिंजरा संवर्धन)

- यह पहले की **नीली क्रांति योजना** पर आधारित है। इसका उद्देश्य मत्स्य मूल्य शृंखला, अर्थात् मछली के उत्पादन से लेकर उसे पकड़ने, भंडारण, परिवहन और बिक्री तक के हर चरण, की कमियों को दूर करना है।
- इसके लक्ष्यों में अधिक मत्स्य उत्पादन, आधुनिक बंदरगाह और शीत शृंखलाएँ, अधिक आय और निर्यात, मछुआरों की सुरक्षा और कल्याण, तथा बेहतर मत्स्य प्रबंधन शामिल हैं।

संरचना: एक अम्ब्रेला योजना

PMMSY एक **अम्ब्रेला योजना** है, अर्थात् एक बड़ी योजना जिसके अंतर्गत कई भाग समाहित हैं। इसके दो प्रकार के घटक हैं।

घटक	वित्तपोषण और क्रियान्वयन	यह किसे सहायता देता है
केंद्रीय क्षेत्र (CS)	केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित और क्रियान्वित	आनुवंशिक सुधार (मछली की बेहतर नस्लें), नई प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, बंदरगाह आधुनिकीकरण, रोग निगरानी, मत्स्य डेटा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), मछुआरों की सुरक्षा, सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह (SHG), प्रमाणन और अनुरेखणीयता
केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)	केंद्र द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित; राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (UT) द्वारा क्रियान्वित	(1) मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता; (2) अवसंरचना और फसलोपरांत प्रबंधन; (3) मत्स्य प्रबंधन और विनियमन

- CSS के तहत **उत्पादन** में अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्यन, समुद्री कृषि, समुद्री शैवाल की खेती, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में मत्स्य पालन, तथा सजावटी मत्स्य पालन शामिल हैं।
- अवसंरचना** में मत्स्य बंदरगाह, मत्स्य अवतरण केंद्र, शीत शृंखलाएँ, गहरे समुद्र में मत्स्यन और मछली बाज़ार शामिल हैं।
- प्रबंधन** में मत्स्यन की निगरानी, नौकाओं और मछुआरों का बीमा, तथा समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा शामिल है।

PM-MKSSY: एक उप-योजना

- प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)** PMMSY के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना है। यह सभी राज्यों और UT में चार वर्षों के लिए, 2023-24 से 2026-27 तक, चल रही है।
- इसका लक्ष्य क्षेत्र का **औपचारिकीकरण** है, अर्थात् मछुआरों को आधिकारिक अभिलेखों में लाना ताकि वे बैंक ऋण, बीमा और सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें।
- यह **अनुरेखणीयता (Traceability)** को भी बढ़ावा देती है, अर्थात् किसी मछली के स्रोत का क्रेता से पीछे फार्म या नौका तक पता लगाया जा सकता है।

अन्य प्रमुख विशेषताएँ

- PMMSY **मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (FFPO)** की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देती है। ये मछुआरों और मत्स्य कृषकों के ऐसे समूह हैं जो मिलकर खरीद-बिक्री करते हैं, जिससे बाज़ार में उनकी मोलभाव की शक्ति बढ़ती है।

- **जलवायु-अनुकूल तटीय मछुआरा गाँव (CRCFV):** 100 तटीय मछुआरा गाँवों को जलवायु-अनुकूल और आर्थिक रूप से सक्रिय बनाने के लिए चिह्नित किया गया है। यह कार्य CS घटक के तहत केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है।
- **पुनःसंचारी जलीय कृषि प्रणाली (RAS)** पानी को छानती है, अपशिष्ट हटाती है और उसी पानी का बार-बार पुनः उपयोग करती है। इससे कम भूमि और पानी में सघन मत्स्य पालन संभव होता है।
- **बायो-फ्लॉक प्रौद्योगिकी** में उपयोगी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है, जो बायोफ्लॉक कहलाने वाले गुच्छे बनाते हैं। ये गुच्छे पानी को साफ़ करते हैं और मछली के चारे का भी काम करते हैं, जिससे पानी बहुत कम या बिल्कुल नहीं बदलना पड़ता। ऐसे तालाबों को “ग्रीन सूप” कहा जाता है।

उदाहरण – RAS और बायो-फ्लॉक

घर के एक्वेरियम में फिल्टर होता है, जो उसी पानी को साफ़ कर वापस टैंक में भेज देता है। RAS भी इसी तरह काम करती है, किंतु मत्स्य फार्म के पैमाने पर। बायो-फ्लॉक टैंक में मछली का अपशिष्ट बाहर नहीं फेंका जाता। सूक्ष्मजीव उसे भोजन के छोटे गुच्छों में बदल देते हैं, जिससे अपशिष्ट चारा बन जाता है और पानी साफ़ बना रहता है।

केस स्टडी – पोरबंदर में एक बर्फ़ संयंत्र

पोरबंदर, गुजरात के एक मछुआरे दो दशकों से मत्स्य व्यवसाय चला रहे थे, किंतु बर्फ़ संयंत्र लगाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। 2021-22 में उन्हें PMMSY के तहत सब्सिडी मिली और उन्होंने प्रतिदिन 30 टन बर्फ़ बनाने वाला संयंत्र स्थापित किया।

अब मछली पकड़ने वाली नौकाएँ पकड़ को ताज़ा रखने के लिए पर्याप्त बर्फ़ साथ ले जाती हैं, जिससे कम मछली खराब होती है। इससे पता चलता है कि यह योजना मछुआरों को अपनी ज़रूरत की अवसंरचना में निवेश करने में किस प्रकार सहायता करती है।

- **राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDPI) सितंबर 2024** में PM-MKSSY के तहत शुरू किया गया। यह कार्य-आधारित डिजिटल पहचान बनाता है और संस्थागत ऋण (बैंकों तथा अन्य औपचारिक ऋणदाताओं से ऋण), जलीय कृषि बीमा, अनुरेखणीयता और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करता है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 14 – जल के नीचे जीवन:** PMMSY उत्तरदायी मत्स्यन को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य में सहयोग करती है। यह बायो-फ्लॉक, RAS, समुद्री कृषि और पिंजरा संवर्धन जैसी आधुनिक विधियों को भी बढ़ावा देती है; पिंजरा संवर्धन का अर्थ है जलाशयों, झीलों या समुद्र जैसे खुले जल में रखे जाल के पिंजरों में मत्स्य पालन।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Mains 2018, GS पेपर I (15 अंक, 250 शब्द): नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन के विकास की समस्याओं और रणनीतियों की व्याख्या कीजिए।

29 पर्यावरण • शहरी अपशिष्ट प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0: अपशिष्ट से ऊर्जा, डंपसाइट, प्लास्टिक और उपयोग किया हुआ जल

GS पेपर III: पर्यावरण – प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन; **GS पेपर II:** शहरी शासन | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 421-429, 495-499, 565-571 और 621-627 (लेख 34, 42, 50 और 56)

चर्चा में क्यों? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2026 को बारह वर्ष पूरे कर रहा है। PIB ने बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत शहर किस प्रकार अपशिष्ट, पुराने डंपसाइटों, प्लास्टिक और उपयोग किए हुए जल को संसाधनों में बदल रहे हैं।

मूल शब्दावली

- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) 2 अक्टूबर 2014** को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। शहरी मिशन का संचालन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है।
- SBM का ध्यान **स्रोत पर पृथक्करण** (घर में ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना), घर-घर से संग्रहण, अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और उपयोगी सामग्री की पुनर्प्राप्ति पर है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था** वह है जिसमें अपशिष्ट को फेंका नहीं जाता, बल्कि वह उपयोगी सामग्री, ईंधन या उत्पाद के रूप में अर्थव्यवस्था में वापस लौटता है।
- इस कार्य का अधिकांश भाग **शहरी स्थानीय निकाय (ULB)**, जैसे नगर निगम और नगर परिषदें, करते हैं।
- **समस्या का आकार:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहर प्रतिदिन लगभग **1.7 लाख टन**

ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। इसमें से लगभग 54% का उपचार होता है, लगभग 24% लैंडफिल में जाता है और लगभग 22% का कोई हिसाब नहीं है। देश में 2,452 पुराने (लीगेसी) डंपसाइट थे।

1. अपशिष्ट से ऊर्जा

- **बायोगैस** जैविक अपशिष्ट के अवायवीय अपघटन, अर्थात् सूक्ष्मजीवों द्वारा बिना हवा के उसके विघटन, से बनती है। यह सस्ता और स्वच्छ रसोई ईंधन है।
- बची हुई **स्लरी** नाइट्रोजन से भरपूर होती है और जैविक उर्वरक का काम करती है। इस प्रकार एक संयंत्र से दो लाभ मिलते हैं: ईंधन और खाद।
- **संपीड़ित बायो-गैस (CBG)**, जिसे बायो-CNG भी कहते हैं, ऐसी बायोगैस है जिसे शुद्ध और संपीड़ित किया गया है, ताकि इसका उपयोग वाहनों और गैस पाइपलाइनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) की तरह किया जा सके।

- **CBG-सिटी गैस वितरण (CGD) समन्वयन योजना** बायो-CNG को शहरी गैस नेटवर्कों में बेचने का मार्ग उपलब्ध कराती है। प्रयागराज संयंत्र अपनी गैस इसी योजना के तहत बेचता है।

उदाहरण - एक संयंत्र, दो उत्पाद

एक सब्जी मंडी प्रतिदिन सड़ी हुई सब्जियाँ फेंकती है। एक बंद टैंक में सूक्ष्मजीव इस अपशिष्ट को बिना हवा के विघटित कर गैस छोड़ते हैं।

इस गैस से चूल्हा या जनरेटर चलाया जा सकता है। बचा हुआ अवपंक (स्लज) खाद के रूप में आसपास के खेतों में जाता है। जो अपशिष्ट कभी लैंडफिल में जाता था, वह अब ऊर्जा और उर्वरक दोनों देता है।

- गुजरात में राज्य की **संस्थागत बायोगैस संयंत्र योजना** और गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) ने गांधीनगर में अडालज के पास एक शैक्षणिक परिसर में बायोगैस संयंत्रों को सहायता दी। अब बायोगैस से परिसर की रसोई-ईंधन की पूरी आवश्यकता पूरी हो जाती है, इसलिए उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) की आवश्यकता नहीं रही।
- **प्रयागराज** (उत्तर प्रदेश) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) में संचालित एक बहु-फीडस्टॉक बायो-CNG संयंत्र है। यह गीले कचरे, धान की पराली, पशुओं के गोबर और मुर्गी अपशिष्ट का उपयोग करता है, इसलिए यह पराली जलाने को कम करने में भी सहायक है।

2. पुराने डंपसाइटों की सफ़ाई

- **लीगेसी अपशिष्ट** वह पुराना कचरा है जो शहर के डंपसाइटों पर कई वर्षों से जमा होता आया है।
- **बायोमाइनिंग** ऐसे डंप की वैज्ञानिक सफ़ाई है। पुराने कचरे को खोदकर निकाला जाता है और उसे अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन, काली मिट्टी, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री और पत्थर जैसी निष्क्रिय सामग्री में अलग किया जाता है।
- **अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (RDF)** अपशिष्ट का सूखा, जलने योग्य भाग है, जैसे प्लास्टिक और कपड़ा। बायोमाइनिंग से प्राप्त हर अंश का कोई न कोई उपयोग है।

प्राप्त अंश	कहाँ जाता है
RDF	सह-प्रसंस्करण (ईंधन के रूप में जलाने) के लिए सीमेंट भट्टियाँ और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र
मिट्टी और निष्क्रिय सामग्री (पत्थर, रेत)	निचली भूमि की भरई, राजमार्ग तटबंध (MoRTH दिशानिर्देशों के तहत अनुमत) और बायो-कैपिंग, अर्थात् साफ़ किए गए स्थल को मिट्टी और पौधों से ढकना
पुनर्चक्रण योग्य सामग्री (प्लास्टिक, धातु)	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ, जहाँ से पुनर्चक्रणकर्ता उन्हें ले जाते हैं

- SBM-U 2.0 के तहत **लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट** पहल राज्यों और ULB में डंपसाइटों की वैज्ञानिक सफ़ाई का एक समयबद्ध प्रयास है।
- **डंपसाइट उपचार त्वरक कार्यक्रम (DRAP) नवंबर 2025** में शुरू किया गया। यह शेष डंपसाइटों की सफ़ाई में तेज़ी लाने के लिए मिशन मोड में चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- **गोरखपुर** (उत्तर प्रदेश) में 40 एकड़ के डंपसाइट की बायोमाइनिंग कर उसे कचरे से कंचन राप्ती इको पार्क में बदल दिया गया। वहाँ एक महिला स्वयं सहायता समूह (SHG), शक्ति की रसोई, एक रेस्तराँ चलाता है।
- **दिल्ली के भलस्वा डंपसाइट** पर जुलाई 2022 से बायोमाइनिंग चल रही है। सितंबर 2025 में वहाँ वार्षिक स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ के बाद इस स्थल को DRAP के तहत तेज़ सफ़ाई के लिए लिया गया।
- **रायचूर** (कर्नाटक) में याकलासपुरा डंपसाइट पर अब तक पुनः प्राप्त भूमि के एक भाग को मियावाकी वन में बदला जा रहा है, जो देशी पौधों का

एक सघन लघु-वन है, जिसमें पौधे पास-पास लगाए जाते हैं ताकि वह तेज़ी से बढ़ें।

- प्रगति को शहर ठोस अपशिष्ट कार्य योजनाओं, SBM-U पोर्टल पर निगरानी और वार्षिक **स्वच्छ सर्वेक्षण**, अर्थात् शहरों की राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग, के माध्यम से बनाए रखा जाता है।

3. प्लास्टिक: कम करने से पुनर्निर्माण तक

चिह्नित **एकल-उपयोग प्लास्टिक** वस्तुएँ 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित हैं। PIB प्लास्टिक के जीवन के पाँच चरण दिखाता है, प्रत्येक के साथ एक शहर का उदाहरण।

चरण	शहर का उदाहरण
कम करना (Reduce)	त्रिची के “कपड़ा-थैला उत्सव” ने किसान बाज़ारों में एकल-उपयोग प्लास्टिक घटाया।
पुनः उपयोग (Reuse)	विटा (महाराष्ट्र) ने “थैला ATM” लगाए, जो SHG महिलाओं द्वारा सिले कपड़े के थैले बेचने वाली मशीनें हैं।
वापसी (Return)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने उपयोग किए हुए दूध के पाउच के बदले ताज़ा दूध दिया।
पुनर्प्राप्ति (Recover)	बेंगलुरु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के प्रोजेक्ट पृथ्वी के तहत प्लास्टिक की छँटाई और पुनर्चक्रण करता है।
पुनर्निर्माण (Recreate)	पटियाला (पंजाब) बहुपरतीय प्लास्टिक को चिपबोर्ड में बदलता है।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)** उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों को वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार बाज़ार में उतारी गई अपनी प्लास्टिक पैकेजिंग को वापस एकत्र करने और पुनर्चक्रित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। EPR वापसी और पुनर्प्राप्ति चरणों को बल देता है, क्योंकि कंपनियों को अपनी पैकेजिंग शहरों पर छोड़ने के बजाय स्वयं वापस लेकर पुनर्चक्रित करनी होती है।
- **बहुपरतीय प्लास्टिक (MLP)** प्लास्टिक, कागज़ और एल्युमिनियम की परतों से बने पैकेट हैं, जैसे चिप्स के पैकेट और शैम्पू के पाउच। इनकी परतों को अलग करना और पुनर्चक्रित करना कठिन है, इसलिए वर्षों तक अधिकांश MLP अपशिष्ट के लिए लैंडफिल के अलावा कोई ठिकाना नहीं था।
- **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा** एक ऐसा केंद्र है जहाँ अपशिष्ट की छँटाई, कतरन और गठ्ठर बनाने का काम होता है, ताकि पुनर्चक्रणकर्ता उसका उपयोग कर सकें। बेंगलुरु का “स्वच्छता केंद्र” सफ़ाई साधियों (कचरा बीनने वालों) को काम देता है।
- पुनर्प्राप्त प्लास्टिक का उपयोग सड़कें, खेतों के लिए पानी के पाइप और फर्नीचर बनाने में किया जाता है।

4. उपयोग किया हुआ जल एक संसाधन के रूप में

- SBM-U के तहत **उपयोग किए गए जल का प्रबंधन (UWM)** का अर्थ है उपयोग किए हुए जल का उपचार, अनुपचारित मल-जल को नदियों और झीलों तक पहुँचने से रोकना, और उपचारित जल का सुरक्षित पुनः उपयोग। मल-जल उपचार संयंत्र (STP) इसके केंद्र में हैं।
- SBM-U शहरों को **खुले में शौच से मुक्त (ODF)** से लेकर Water+ तक क्रमिक चरणों में प्रमाणित करता है। हर चरण में पिछले चरण समाहित होते हैं।

प्रमाणन	शहर को क्या दिखाना होगा
ODF	कोई भी खुले में शौच नहीं करता

प्रमाणन	शहर को क्या दिखाना होगा
ODF+	सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय चालू और सुव्यवस्थित हैं
ODF++	मल-कीचड़ और सेप्टेज (सेप्टिक टैंकों और गड्ढों में एकत्र अपशिष्ट) सहित समस्त मल-जल का सुरक्षित प्रबंधन और उपचार होता है, तथा नालियों या जल निकायों में कोई अनुपचारित निस्सरण नहीं होता
Water+	घरों और व्यवसायों से निकले समस्त उपयोग किए हुए जल का मानकों के अनुसार उपचार और यथासंभव पुनः उपयोग होता है, तथा कोई अनुपचारित निस्सरण नहीं होता

- ULB को अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए दीर्घकालिक, शहर-स्तरीय योजनाएँ बनाने हेतु सशक्त किया जा रहा है।
- **इंदौर (मध्य प्रदेश) Water+ प्रमाणन पाने वाला पहला शहर था।**
- **तिरुपति (आंध्र प्रदेश)** अपने उपचारित जल का एक भाग पाइप बनाने वाली कंपनी को बेचता है और एक भाग किसानों को निःशुल्क देता है। इससे पता चलता है कि कोई शहर उपयोग किए हुए जल से किस प्रकार आय अर्जित कर सकता है।
- उपचारित जल का उपयोग खेती, उद्यानों, उद्योग, सड़क सफ़ाई और झीलों के पुनर्जीवन में किया जाता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Mains 2026, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ क्या हैं? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीतिगत ढाँचे की विवेचना कीजिए। दिल्ली और इंदौर शहरों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहलों की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उनकी सफलता/विफलता के मामलों की विवेचना कीजिए।

30 सामाजिक न्याय • अनुसूचित जातियों का कल्याण

PM-AJAY: अनुसूचित जातियों का विकास

GS पेपर II: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ | **स्रोत:** PIB PRISM, Sept 2026, pp. 439-447

चर्चा में क्यों? PIB ने अनुसूचित जातियों के विकास की योजना **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)** की व्याख्या की है। सरकार ने योजना को डिजिटल रूप से संचालित करने के लिए PM-AJAY मोबाइल ऐप और पोर्टल भी लॉन्च किए हैं।

पृष्ठभूमि

- **अनुसूचित जातियाँ (SCs)** वे जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ (अथवा उनके भाग) हैं, जिन्हें राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिसूचित करते हैं। बाद में इस सूची में संशोधन केवल संसद कर सकती है। SCs को विशेष संरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि अतीत में उन्हें अस्पृश्यता और बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
- भारत की जनसंख्या में SCs का हिस्सा **16.6%** है। वे लंबे समय से आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधाओं का सामना करते रहे हैं।
- संविधान ऐसी योजनाओं का समर्थन करता है। नीति-निदेशक तत्त्व **अनुच्छेद 46** राज्य से SCs और STs के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) उनके लिए विशेष उपायों और आरक्षण की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 338 उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की स्थापना करता है।

PM-AJAY क्या है?

- PM-AJAY वित्त वर्ष **2021-22** में शुरू की गई थी। इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- यह केंद्र प्रायोजित योजना है, किंतु इसका **100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा** किया जाता है। आवश्यकता होने पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (UTs) अतिरिक्त संसाधनों से योजना को पूरक सहायता दे सकते हैं।
- इसका उद्देश्य SC समुदायों का समेकित रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण करना है।
- यह **तीन पुरानी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विलय** है: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए

विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)।

- **अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP)** विकास निधियों का वह हिस्सा है जो SCs के लिए अलग रखा जाता है और जो जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुपात से कम नहीं होता।

तीन उद्देश्य

- कौशल विकास और आय-सृजन योजनाओं के माध्यम से अधिक रोज़गार सृजित कर SCs में **निर्धनता कम करना**।
- SC-बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना और बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराकर **विकास संकेतकों में सुधार** करना।
- छात्रावास और आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराकर, विशेषकर आकांक्षी ज़िलों (केंद्रित विकास के लिए चुने गए सर्वाधिक पिछड़े ज़िले) और SC-बहुल ब्लॉकों में, SCs की **साक्षरता बढ़ाना** तथा स्कूल और कॉलेज में उनका नामांकन बढ़ाना।

तीन घटक

घटक	यह क्या करता है
आदर्श ग्राम (मॉडल गाँव)	अवसंरचना और सेवाओं की कमियों को पूरा कर SC-बहुल गाँवों को आदर्श गाँवों में बदलता है।
राज्यों और ज़िलों को सहायता अनुदान (GIA)	आजीविका और कौशल, SC-बहुल गाँवों में अवसंरचना तथा आवासीय विद्यालयों के लिए ज़िला और राज्य परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है।
छात्रावास	छात्रावासों का निर्माण और मरम्मत करता है, ताकि ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों के SC विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

आदर्श ग्राम वह गाँव है जहाँ सभी को बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध हों, सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी होती हों और असमानताएँ न्यूनतम स्तर तक कम हो गई हों।

पात्र कौन है?

- **ग्राम अवसंरचना:** कोई गाँव तभी पात्र है जब उसकी कम से कम 40% आबादी SC हो और उसकी कुल जनसंख्या 500 या अधिक हो।
- **GIA लाभार्थी:** उन परिवारों या व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है।

उदाहरण – कौन-सा गाँव पात्र है?

मान लीजिए गाँव A की जनसंख्या 1,000 है, जिनमें 450 SC (45%) हैं। यह दोनों शर्तें पूरी करता है, इसलिए पात्र है।

मान लीजिए गाँव B की जनसंख्या 400 है और सभी SC (100%) हैं। इसकी कुल जनसंख्या 500 से कम है, इसलिए यह पात्र नहीं है।

मान लीजिए गाँव C की जनसंख्या 2,000 है, जिनमें 600 SC (30%) हैं। इसमें SC का हिस्सा 40% से कम है, इसलिए यह पात्र नहीं है।

धनराशि का बँटवारा कैसे होता है

- निधियों का अधिकतम 50% चयनित आदर्श ग्राम गाँवों में कमियाँ पूरी करने के कार्यों पर जाता है।
- अधिकतम 5% सहायक इकाइयों पर जाता है: केंद्र में तकनीकी सहायता समूह (TSG) और परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ (PIUs),

तथा राज्यों और ज़िलों में PIUs। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये इकाइयाँ तकनीकी सहायता देती हैं और परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करती हैं।

- **अधिकतम 2%** केंद्रीय संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण और मरम्मत पर जाता है। मंत्रालय यह धनराशि सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करता है।
- **शेष राशि** राज्यों और ज़िलों को सहायता अनुदान के रूप में जाती है। इसका बँटवारा प्रत्येक राज्य की SC जनसंख्या तथा उसकी SC जनसंख्या की तुलना में उसकी वार्षिक योजना में SCSP के अनुपात के आधार पर किया जाता है।
- परियोजना पूरी होने के बाद उसका रखरखाव राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी को करना होता है।

डिजिटल शासन

- **PM-AJAY मोबाइल ऐप और पोर्टल** का उद्देश्य योजना को कागज़ी फ़ाइलों से हटाकर आद्योपांत (end-to-end) डिजिटल, वास्तविक समय (real-time) की कार्यप्रणाली पर ले जाना है।
- इनकी विशेषताओं में **जियो-टैगिंग** (कार्य की फोटो के साथ उसका सटीक मानचित्र-स्थान जोड़ना), मोबाइल निरीक्षण, डैशबोर्ड और अधिकारियों के लिए भूमिका-आधारित पहुँच शामिल हैं।
- PIB प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग, सुदृढ़ निगरानी और अंतिम छोर तक सेवा-वितरण (last-mile delivery) के माध्यम से इस योजना को **विकसित भारत @2047** से जोड़ता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक PM-AJAY पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2026, GS पेपर II (10 अंक, 150 शब्द): क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) जैसे संवैधानिक निकायों के पास सारभूत सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियाँ हैं? उनकी संस्थागत प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइए।

31 सामाजिक सुरक्षा • किसान कल्याण

PM किसान मानधन योजना: छोटे किसानों के लिए पेंशन

GS पेपर II: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; **GS पेपर III:** कृषि – किसान कल्याण | **स्रोत:** PIB PRISM, Sept 2026, pp. 455–465

चर्चा में क्यों? 12 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के सात वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में मासिक पेंशन देती है।

PM-KMY क्या है?

PM-KMY एक नज़र में

नोडल मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
योजना का प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% केंद्र)
निधि प्रबंधक	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
किसके लिए	18 से 40 वर्ष आयु के छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है
लाभ	60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन

- **PM-KMY 12 सितंबर 2019** को शुरू की गई थी। यह छोटे और सीमांत किसानों (SMFs), पुरुषों और महिलाओं दोनों, के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है।
- यह **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग संचालित करता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना की रूपरेखा और संचालन, राज्य की हिस्सेदारी के बिना, स्वयं केंद्र सरकार करती है।
- इसका कार्यान्वयन **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** के साथ मिलकर किया जाता है, जो पेंशन निधि का प्रबंधन करता है और पेंशन का भुगतान करता है।
- यह **स्वैच्छिक** है, अर्थात किसान स्वयं तय करता है कि वह इसमें शामिल हो या नहीं। यह अंशदायी भी है, अर्थात किसान हर महीने एक छोटी राशि जमा करता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **पेंशन:** प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
- **पारिवारिक पेंशन:** यदि पेंशन प्राप्त करते समय अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50% (₹1,500 प्रति माह) मिलता है। यह केवल पति/पत्नी को मिलती है, और तभी जब वह पहले से PM-KMY का लाभार्थी न हो।
- **60 से पहले मृत्यु:** यदि नियमित अंशदान कर रहे अभिदाता की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी नियमित अंशदान जमा करके योजना जारी रख सकता है, या निकास नियमों के तहत इससे बाहर निकल सकता है।
- **पात्रता:** किसान के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और प्रवेश के समय उसकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 1 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार किसान का नाम राज्य या UT के भूमि अभिलेखों में होना चाहिए।

कौन शामिल नहीं हो सकता?

- **पहले से अन्यत्र कवर:** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) योजना के सदस्य, तथा दो सहयोगी योजनाओं PM-SYM और PM-LVM (नीचे समझाई गई) के लाभार्थी।
- **बेहतर स्थिति वाले किसान:** संस्थागत भूमिधारक, आयकरदाता और डॉक्टर, वकील एवं इंजीनियर जैसे पंजीकृत पेशेवर।
- **सार्वजनिक पद धारक:** संवैधानिक पदों के वर्तमान और पूर्व धारक, मंत्री, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य, महापौर तथा जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
- **सरकारी कर्मचारी:** सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी, सिवाय मल्टी-टास्किंग स्टाफ, वर्ग IV और समूह D कर्मचारियों के, जो अब भी शामिल हो सकते हैं।
- **पात्रता की जाँच मुख्यतः** किसान की स्व-घोषणा से की जाती है। यदि यह झूठी पाई जाती है, तो सरकार का अंशदान रोक दिया जाता है और किसान की अपनी राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाती है।

अंशदान और नामांकन

- **अंशदान:** किसान प्रवेश के समय की आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रति माह जमा करता है। केंद्र सरकार भी अपनी ओर से उतनी ही राशि जोड़ती है।

प्रवेश आयु	किसान प्रति माह देता है	केंद्र जोड़ता है	निधि में जाता है
18 वर्ष	₹55	₹55	₹110
29 वर्ष	₹100	₹100	₹200
40 वर्ष	₹200	₹200	₹400

- **नियम सरल है:** हर महीने निधि में जाने वाली राशि = किसान का अंशदान × 2, जो 60 वर्ष की आयु तक जमा होती है। कम आयु में शामिल होने वाला किसान हर महीने कम देता है, किंतु अधिक वर्षों तक; 60 के बाद सभी को कम से कम ₹3,000 प्रति माह मिलते हैं।
- **PM-KISAN से जुड़ाव:** किसान चाहे तो अंशदान उस बैंक खाते से कटवा सकता है जिसमें PM-KISAN की राशि आती है। यह नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट अधिदेश (mandate) के माध्यम से किया जाता है।
- **नामांकन** निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर आधार, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर के साथ कागज़-रहित होता है। किसान को पेंशन खाता संख्या और पेंशन कार्ड मिलता है।

तीन मानधन पेंशन योजनाएँ

PM-KMY 2019 में एक ही डिज़ाइन पर शुरू की गई तीन सहयोगी योजनाओं में से एक है: केंद्र द्वारा बराबर अंशदान वाली अंशदायी पेंशन, जिसका प्रबंधन LIC करता है।

विशेषता	PM-KMY (किसान)	PM-SYM (श्रम योगी)	PM-LVM (लघु व्यापारी)
मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण	श्रम एवं रोज़गार	श्रम एवं रोज़गार
किसके लिए	2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान	₹15,000 प्रति माह तक कमाने वाले असंगठित श्रमिक	₹1.5 करोड़ तक वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारी और दुकानदार
प्रवेश आयु	18-40	18-40	18-40
अंशदान	₹55-₹200 प्रति माह, केंद्र द्वारा बराबर अंशदान	समान	समान
पेंशन	60 के बाद ₹3,000 प्रति माह; पति/पत्नी को 50%	समान	समान

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक PM किसान मानधन योजना पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। निकटतम प्रश्न है:

UPSC Prelims 2024: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है।
2. लाभार्थी द्वारा आयु-विशिष्ट अंशदान किया जाएगा।
3. योजना के तहत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
4. पारिवारिक पेंशन पति/पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1, 3 और 4 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 2 (d) 1, 2 और 4

Answer: (b). प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है, और पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी को मिलती है, ठीक PM-KMY की तरह।

सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण: PACS में गोदाम

GS पेपर III: कृषि – भंडारण, खाद्य सुरक्षा, PDS; GS पेपर II: सहकारिता | स्रोत: PIB PRISM, Sept 2026, pp. 483–493

चर्चा में क्यों? PIB ने सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना की व्याख्या की है, जिसके तहत ग्राम सहकारी समितियों में गोदाम बनाए जाते हैं। यह योजना मई 2023 में पायलट के रूप में शुरू हुई और अब पूरे देश में इसका विस्तार किया जा रहा है।

विकेंद्रीकृत भंडारण क्यों?

- अनाज भंडारण के पारंपरिक तरीके, जैसे मिट्टी की कोठियाँ, भूमिगत गड्ढे और मिट्टी से लिपी संरचनाएँ, आधुनिक गोदामों और साइलो के साथ आज भी उपयोग में हैं।
- बढ़ते कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा की ज़रूरतों के कारण अधिक आधुनिक भंडारण आवश्यक है। अकेले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के दायरे में लगभग 80 करोड़ लोग आते हैं।
- बड़े केंद्रीय गोदाम भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियाँ चलाती हैं। सहकारिता मंत्रालय ने अनाज उत्पादन स्थल के निकट भंडारण की आवश्यकता पर बल दिया है।
- विकेंद्रीकृत भंडारण का अर्थ है FCI और राज्य एजेंसियों के बड़े केंद्रीय गोदामों के साथ-साथ ग्राम सहकारी समितियों में, अनाज उत्पादन स्थल के निकट, अनेक छोटे गोदाम।

उदाहरण – संकटकालीन बिक्री से बचाव

फसल कटाई के समय अनेक किसान एक साथ अपनी उपज बेचते हैं, जिससे कीमतें गिर जाती हैं। जिस किसान के पास भंडारण की सुविधा नहीं है और नकदी की तत्काल ज़रूरत है, उसे इसी कम कीमत पर बेचना पड़ता है। इसे **संकटकालीन बिक्री** (distress sale) कहते हैं।

यदि ग्राम सहकारी समिति के पास गोदाम हो, तो किसान अनाज वहाँ रख सकता है, उसके एवज़ में अग्रिम ले सकता है और बाद में बेहतर कीमत पर बेच सकता है। PIB अमरावती (महाराष्ट्र) की नेरपिंगलाई PACS का उदाहरण देता है, जहाँ किसान सोयाबीन का भंडारण करते हैं और भंडारित फसल के एवज़ में अग्रिम प्राप्त करते हैं।

योजना क्या है?

- यह योजना 2023 में शुरू की गई और **31 मई 2023 को पायलट परियोजना** के रूप में लागू की गई। यह सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
- यह **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS)** के माध्यम से काम करती है। PACS ग्राम-स्तरीय सहकारी समितियाँ हैं जो ग्रामीण लोगों को अल्पकालिक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ देती हैं तथा ऋण की वसूली करती हैं।
- योजना का उद्देश्य अनाज की बर्बादी कम करना और किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाना है। इसका उद्देश्य खरीद केंद्रों, गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों के बीच परिवहन लागत घटाना, PACS की भूमिका का विस्तार करना और किसानों की आय बढ़ाना भी है।
- यह **अभिसरण** (convergence) के माध्यम से काम करती है, अर्थात् यह कई मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता को एक ही स्थान, PACS, पर संयोजित करती है।

प्रयुक्त योजना	PACS को क्या मिलता है
AIF – कृषि अवसंरचना कोष	फसल-कटाई उपरांत अवसंरचना के लिए ऋण और ब्याज अनुदान

प्रयुक्त योजना	PACS को क्या मिलता है
AMI – कृषि विपणन अवसंरचना योजना	अनाज गोदाम बनाने के लिए बैक-एंडेड पूंजीगत सब्सिडी
SMAM – कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन	कस्टम हायरिंग केंद्र और कृषि मशीनरी
PMFME – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना	छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता

- बैक-एंडेड सब्सिडी** परियोजना के निर्माण के बाद दी जाती है, प्रायः चुकाए जाने वाले ऋण को घटाकर।

ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में PACS

- योजना के तहत PACS गोदाम और साथ ही **50, 100 और 200 टन के साइलो** बना सकती है।
- यह **कस्टम हायरिंग केंद्र** भी चला सकती है, जो किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और टिलर किराये पर देता है, तथा राशन के अनाज और प्रसंस्कृत खाद्य के लिए उचित मूल्य की दुकान भी।
- यह अनाज की सफ़ाई, छँटाई और सुखाने के लिए **प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ** स्थापित कर सकती है और खरीद केंद्र के रूप में काम कर सकती है, जो FCI और राज्य एजेंसियों के लिए अनाज खरीदता है।

PACS का चयन और प्रबंधन

- PACS का चयन ज़िला सहकारी विकास समितियाँ योजना की मानक संचालन प्रक्रिया “**मार्गदर्शिका**” के अनुसार करती हैं। इनका चयन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ भंडारण की आवश्यकता है।
- भूमि अधिमानतः PACS की अपनी होनी चाहिए। वह जलभराव वाली या वन क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, उसके उपयोग पर PACS सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, और पट्टे की भूमि का पट्टा 20 वर्ष से अधिक का होना चाहिए।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** कार्यान्वयन एजेंसी है।
- राष्ट्रीय स्तर पर **अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC)** योजना की निगरानी करती है और राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति (NLCC) एजेंसियों के बीच समन्वय में सहयोग देती है। निचले स्तरों पर राज्य और ज़िला सहकारी विकास समितियाँ काम करती हैं।

गोदामों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना

- AMI के तहत सब्सिडी **25% से बढ़ाकर 33.33%** कर दी गई है। मार्जिन मनी, अर्थात् परियोजना लागत का वह हिस्सा जो PACS को अपनी निधि से देना होता है, 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। गोदाम निर्माण के लागत मानदंडों को भी संशोधित किया गया है।

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) AMI सब्सिडी को आगे पहुँचाता है। राज्य सहकारी बैंक और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक PACS को ऋण देते हैं।
- NABARD के विशेष पुनर्वित्त और AIF के तहत 3% ब्याज अनुदान (interest subvention) से PACS के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर 1% रह जाती है। ब्याज अनुदान का अर्थ है कि ऋण पर ब्याज का एक हिस्सा सरकार चुकाती है।
- FCI को निर्धारित शर्तों के अधीन पात्र गोदामों के लिए सुनिश्चित किराया-ग्रहण (assured hiring) की अनुमति है, अर्थात् FCI उन्हें किराये पर लेने का वचन देता है। इससे गोदामों की वित्तीय व्यवहार्यता बेहतर होती है।

गुणवत्ता और पारदर्शिता

- प्रत्येक गोदाम पर एक समान अनाज-भंडारण लोगो ("PM अन्न भंडारण") और निर्धारित रंग-योजना प्रदर्शित होनी चाहिए।
- गोदामों को भारत में गोदामों के नियामक **भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA)** के मानदंडों का पालन करना होगा। अनाज को खराब होने से बचाने के लिए उनमें टिकाऊ, जंग-रोधी सामग्री और उचित संवातन (ventilation) का उपयोग होना चाहिए।
- नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता लेखा-परीक्षा आवश्यक हैं। PACS सदस्य प्रगति पर नज़र रखते हैं, और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता निर्माण और व्यय की रिपोर्ट देते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Mains 2024, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): भारत में कृषि कीमतों को स्थिर करने में बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? विवेचना कीजिए।

UPSC Mains 2025, GS पेपर III (10 अंक, 150 शब्द): भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के क्षेत्र और महत्व को विस्तारपूर्वक समझाइए।

33 स्वास्थ्य • सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा: AB PM-JAY के आठ वर्ष और जन औषधि

GS पेपर II: स्वास्थ्य; कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ | **स्रोत:** PIB PRISM, Sept 2026, pp. 501–513 और pp. 587–591

चर्चा में क्यों? आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) ने सितंबर 2026 में अपनी आठवीं वर्षगांठ मनाई। PIB ने यह भी बताया कि जन औषधि केंद्र अब केवल दवाएँ ही नहीं, बल्कि कम लागत वाले स्वास्थ्य उत्पाद भी बेचते हैं।

मूल शब्दावली

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)** का अर्थ है कि सबसे निर्धन परिवारों सहित हर व्यक्ति को किफ़ायती, अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा मिल सके।
- प्राथमिक देखभाल** घर के निकट मिलने वाली बुनियादी देखभाल है। द्वितीयक देखभाल विशेषज्ञ देखभाल है, जो प्रायः ज़िला अस्पताल में मिलती है। तृतीयक देखभाल बड़े अस्पतालों में मिलने वाली उन्नत देखभाल है, जैसे हृदय शल्य-चिकित्सा।
- अपनी जेब से व्यय (OOPE)** वह राशि है जो परिवार उपचार के समय अपनी जेब से चुकाता है।

उदाहरण – ₹5 लाख का पारिवारिक कवर कैसे काम करता है

मान लीजिए पाँच सदस्यों का एक परिवार AB PM-JAY के तहत कवर है। पिता को एक सूचीबद्ध (empanelled) अस्पताल, अर्थात् योजना के तहत अनुमोदित अस्पताल, में ₹1.5 लाख की शल्य-चिकित्सा करानी है।

उपचार **कैशलेस** है, अर्थात् परिवार कुछ नहीं चुकाता क्योंकि योजना सीधे अस्पताल को भुगतान करती है। उस वर्ष के शेष समय के लिए किसी भी सदस्य हेतु परिवार के कवर में ₹3.5 लाख अब भी बचे रहते हैं।

आयुष्मान भारत: चार स्तंभ

AB PM-JAY आयुष्मान भारत के तहत चार योजनाओं में से एक है। ये मिलकर प्राथमिक देखभाल से अस्पताल में उपचार तक, देखभाल की पूरी शृंखला को कवर करती हैं।

स्तंभ	यह क्या करता है
AB PM-JAY	प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक अस्पताल देखभाल (द्वितीयक और तृतीयक) का भुगतान करती है
आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)	घर के निकट प्राथमिक देखभाल, निःशुल्क दवाओं, जाँचों और टेली-परामर्श के साथ
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)	स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल रूप से जोड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति को ABHA स्वास्थ्य ID देता है
PM-ABHIM (प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन)	स्वास्थ्य केंद्रों, प्रयोगशालाओं और क्रिटिकल केयर इकाइयों जैसी भौतिक अवसंरचना का निर्माण करता है

AB PM-JAY: प्रमुख विशेषताएँ

- AB PM-JAY 23 सितंबर 2018 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने के लिए शुरू की गई थी। यह द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसका अर्थ है कि सरकार अपने दायरे में आने वाले परिवारों के अस्पताल उपचार का भुगतान करने का वचन देती है।
- यह आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल कवर देती है। यह 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 प्रक्रियाओं को कवर करती है।
- कवर में दवाएँ, जाँचें, शल्य-चिकित्सा, ICU देखभाल, इम्प्लांट, ठहरना और भोजन शामिल हैं। यह अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का भुगतान भी करती है।

कौन कवर है?

- परिवारों का चयन **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011** के आधार पर किया जाता है, जो परिवारों की जीवन-दशाओं का सर्वेक्षण है। निर्धन परिवारों के लिए पुरानी स्वास्थ्य बीमा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के तहत पहले से कवर परिवार भी इसमें शामिल हैं।
- ग्रामीण परिवार** तब पात्र होते हैं जब वे D1 से D5 और D7 क्रमांकित छह “वंचना” मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं।

कोड	पात्र ग्रामीण परिवार
D1	केवल एक कमरा, जिसकी दीवारें और छत कच्ची हों
D2	16-59 वर्ष आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं
D3	महिला-मुखिया परिवार, जिसमें 16-59 वर्ष आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो
D4	दिव्यांग सदस्य वाला परिवार, जिसमें कोई सक्षम वयस्क सदस्य न हो
D5	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवार
D7	भूमिहीन परिवार, जिसकी आय मुख्यतः शारीरिक दिहाड़ी मज़दूरी से होती है

- शहरी परिवार** तब पात्र होते हैं, जब वे कामगारों के 11 समूहों में से किसी एक से संबंधित हों, जैसे कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी विक्रेता और निर्माण श्रमिक।
- मार्च 2024** में ASHA (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के परिवारों को जोड़ा गया।
- सितंबर 2024** में सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवर को मंजूरी दी। उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलते हैं।

अन्य योजनाओं के माध्यम से जोड़े गए समूह

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (BOCW) और उनके आश्रित कवर किए गए हैं।
- सड़क दुर्घटना पीड़ित **PM-RAHAT** के तहत कवर किए गए हैं।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति **SMILE** (सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज़्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज़) के तहत कवर किए गए हैं।
- COVID-19 के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो चुके बच्चे **PM CARES फॉर चिल्ड्रन योजना** के तहत कवर किए गए हैं।
- कूड़ा बीनने वाले और सफाई कर्मचारी **NAMASTE** (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम) के तहत कवर किए गए हैं।
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) **PM-JANMAN** (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत कवर किए गए हैं।

वित्तपोषण

- AB PM-JAY एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, अर्थात् इसकी लागत केंद्र और राज्य मिलकर वहन करते हैं।

कहाँ	केंद्र : राज्य हिस्सेदारी
सभी राज्य (सामान्य नियम)	60 : 40
पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर	90 : 10

कहाँ	केंद्र : राज्य हिस्सेदारी
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	60 : 40
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	100% केंद्र

जेब से किया जाने वाला व्यय घटा है

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, जो भारत के स्वास्थ्य व्यय के आधिकारिक अनुमान हैं, **OOPE 2014-15 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 62.6% से घटकर 2022-23 में 43.4% रह गया।** PIB इसे बढ़े हुए सरकारी व्यय और AB PM-JAY जैसी योजनाओं से जोड़ता है।

अन्य तीन स्तंभ

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)

- AAM चिकित्सा पेशेवरों द्वारा संचालित स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से अनेक को पुराने केंद्रों से उन्नत किया गया है, जो बुनियादी मातृ-शिशु देखभाल या अन्य सेवाएँ देते थे।
- ये रोगों की जाँच (स्क्रीनिंग) और प्रबंधन करते हैं। ये मुख (मुँह और दाँत), नेत्र, कान-नाक-गला (ENT), मानसिक स्वास्थ्य और प्रथम-स्तरीय आपातकालीन देखभाल भी देते हैं, साथ ही आवश्यक दवाएँ और जाँचें निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं।
- ASHA और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने और सामुदायिक स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए AAM को अपने आधार के रूप में उपयोग करते हैं।
- AYUSH AAM भी हैं, जो AYUSH (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) देखभाल देते हैं।
- AAM में लोग सरकार की टेलीमेडिसिन (वीडियो या फोन परामर्श) सेवा **ई-संजीवनी** के माध्यम से बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- ABDM की शुरुआत **सितंबर 2021** में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण हेतु की गई थी।
- यह प्रत्येक व्यक्ति को **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA)** देता है, जो आधार संख्या के समान एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड और बीमा दावे इससे जुड़े होते हैं, जिससे व्यक्ति का चिकित्सा इतिहास पूरे नेटवर्क में उपलब्ध रहता है।
- ABDM में स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री भी हैं, जो सत्यापित डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की राष्ट्रीय सूचियाँ हैं।
- इसके **यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस** को “स्वास्थ्य सेवा का UPI” कहा जाता है। आरोग्य सेतु 2.0 डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक ऐप है।

PM-ABHIM

- PM-ABHIM की शुरुआत COVID-19 के अनुभव के बाद, बजट 2021-22 के भाग के रूप में **25 अक्टूबर 2021** को की गई थी। यह स्वास्थ्य अवसंरचना, रोग निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान को सुदृढ़ करता है।
- इसका लक्ष्य सभी ज़िलों में **744 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ** और 5 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िलों में 631 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना है। यह ब्लॉक

सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को भी सहायता देता है।

जन औषधि: कम कीमत पर दवाएँ और भी बहुत कुछ

- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)** गुणवत्ता-आश्वस्त जेनेरिक दवाएँ कहीं कम कीमत पर जन औषधि केंद्रों (JAKs) के माध्यम से बेचती है।

उदाहरण – जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवा

ब्रांडेड पैरासिटामोल की एक पत्ती और जेनेरिक पैरासिटामोल की एक पत्ती में एक ही दवा होती है। जेनेरिक दवा मंहेंगे ब्रांड के बिना, दवा के अपने नाम से बेची जाती है, इसलिए वह कहीं सस्ती होती है।

- देश में **20,000 से अधिक जन औषधि केंद्र** हैं। इनकी दवाएँ और शल्य-चिकित्सा सामग्री हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसे सभी प्रमुख रोग समूहों को कवर करती हैं।
- अब यह उत्पाद-श्रृंखला दवाओं से आगे बढ़कर जीवन के हर चरण को कवर करती है। **जनऔषधि बचपन** डायपर, वाइप्स और फीडिंग बोतल जैसे कम लागत वाले शिशु-देखभाल उत्पादों की श्रृंखला है।
- जन औषधि स्वाभिमान** बुजुर्गों और बिस्तर पर पड़े रोगियों के लिए वयस्क डायपर की एक अलग श्रृंखला है।
- ये केंद्र नेब्युलाइज़र, ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप और पल्स ऑक्सीमीटर भी बेचते हैं, जो रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापते हैं। घुटने के ब्रेस और वॉकर जैसे चलने-फिरने और स्वास्थ्य-लाभ संबंधी उत्पाद तैयारी में हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2022: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. निजी और सार्वजनिक अस्पतालों को इसे अपना अनिवार्य है।
2. चूँकि इसका लक्ष्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है, अतः अंततः भारत के प्रत्येक नागरिक को इसका भाग होना चाहिए।
3. इसमें देश भर में निर्बाध पोर्टेबिलिटी है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 (c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Answer: (b). ABDM से जुड़ना अस्पतालों और नागरिकों, दोनों के लिए स्वैच्छिक है, किंतु ABHA से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग देश में कहीं भी किया जा सकता है।

UPSC Mains 2024, GS पेपर II (15 अंक, 250 शब्द): सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, प्रणाली के बाज़ारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए भारतीय राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए, जिनके माध्यम से राज्य ज़मीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ा सकता है।

UPSC Mains 2015, GS पेपर II (12.5 अंक, 200 शब्द): सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाएँ हैं। क्या आप मानते हैं कि निजी क्षेत्र इस अंतर को पाटने में सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन-से व्यवहार्य विकल्प सुझाएंगे?

34 आंतरिक सुरक्षा • दूरसंचार और साइबर सुरक्षा

IMEI से छेड़छाड़ और दूरसंचार अधिनियम, 2023

GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा – साइबर सुरक्षा, संचार नेटवर्क; **GS पेपर II:** शासन | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 515–521

चर्चा में क्यों? PIB ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन के **IMEI नंबर** से छेड़छाड़ सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है। इसने फोन निर्माताओं, विक्रेताओं और नागरिकों के कर्तव्य तथा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दंड भी बताए हैं।

IMEI क्या है?

- अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (IMEI)** एक विशिष्ट 15 अंकों की संख्या है, जो दूरसंचार नेटवर्क पर किसी मोबाइल उपकरण की पहचान करती है। यह वाहन के चेसिस नंबर की तरह काम करती है।
- पहले आठ अंक टाइप एलोकेशन कोड (TAC)** बनाते हैं, जो उपकरण का मॉडल या प्रकार बताता है।
- ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (GSMA)** विश्व भर में TAC के आवंटन की देखरेख करता है। यह निर्माताओं और ब्रांड स्वामियों को TAC देता है। इसके बाद निर्माता प्रत्येक उपकरण को एक विशिष्ट IMEI देते हैं।
- दोहरे सिम वाले फोन में प्रायः दो IMEI होते हैं, प्रत्येक सिम स्लॉट के लिए एक।

IMEI से छेड़छाड़ क्या है?

- किसी उपकरण की विशिष्ट पहचान संख्या को जानबूझकर हटाना या बदलना गैर-कानूनी है। यह जानते हुए कि कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया गया है, उसका जानबूझकर उपयोग, निर्माण, विक्रय या भंडारण करना भी गैर-कानूनी है।

- बदले हुए IMEI वाला फोन झूठी पहचान के साथ काम करता है, इसलिए उसका पता लगाना कठिन होता है। इससे कानून प्रवर्तन, उपभोक्ता संरक्षण और नेटवर्क सुरक्षा के लिए समस्याएँ पैदा होती हैं।

कर्तव्य और साधन

- निर्माताओं को पहली बिक्री या उपयोग से पहले अपने उपकरणों के **IMEI डिवाइस सेतु-इंडियन काउंटरफीटेड डिवाइस रिसट्रिक्शन (ICDR)** पोर्टल पर पंजीकृत करने होंगे। आयातकों को उपकरण भारत में लाने से पहले ऐसा करना होगा। ब्रांड स्वामियों को वहाँ अपने ब्रांड अपने GSMA TAC से जोड़कर पंजीकृत करने होंगे।
- पुराने फोन के विक्रेताओं को प्रत्येक IMEI की जाँच छेड़छाड़ किए गए और काली सूची में डाले गए उपकरणों के सरकारी केंद्रीय डेटाबेस से करनी चाहिए।
- दूरसंचार विभाग (DoT)** नागरिकों को सलाह देता है कि वे छेड़छाड़ किए गए IMEI वाले उपकरणों, जैसे सिम बॉक्स (जिनमें एक साथ अनेक सिम कार्ड लगते हैं), का उपयोग न करें। नागरिकों को फर्जी दस्तावेज़ों पर सिम नहीं लेना चाहिए और न ही अपने नाम का सिम दूसरों को सौंपना चाहिए।

- नागरिकों को अपनी कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (CLI), अर्थात कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिखने वाला नंबर, बदलने के लिए ऐप्स का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- **संचार साथी** नागरिकों के लिए सरकार का पोर्टल और ऐप है। यह IMEI से उपकरण का ब्रांड, मॉडल और निर्माता दिखाता है, जिससे खरीदार जाँच सकता है कि IMEI असली है या नहीं।
- खोए या चोरी हुए फोन को पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद संचार साथी पर **केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR)** के माध्यम से ब्लॉक किया जा सकता है। ब्लॉक किया गया फोन भारतीय नेटवर्क पर उपयोग नहीं किया जा सकता।

कानून: दूरसंचार अधिनियम, 2023

- **धारा 42(3)(c)** IMEI जैसे दूरसंचार पहचानकर्ताओं से छेड़छाड़ पर रोक लगाती है। धारा 42(3)(e) धोखाधड़ी, छल या प्रतिरूपण के माध्यम से सिम या दूरसंचार पहचानकर्ता प्राप्त करने पर रोक लगाती है।
- **दंड तीन वर्ष तक** का कारावास, ₹50 लाख तक का जुर्माना, या दोनों हैं।
- **धारा 42(7)** के तहत ये अपराध संज्ञेय हैं, अर्थात पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। ये गैर-ज़मानती भी हैं, अर्थात ज़मानत अधिकार के रूप में नहीं माँगी जा सकती। ज़मानत न्यायालय के, या सीमित मामलों में प्रभारी पुलिस अधिकारी के, विवेकाधिकार पर निर्भर है।
- **धारा 42(6)** के तहत ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण (सहायता या प्रोत्साहन) करने, प्रयास करने या षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति को भी वही दंड मिलता है। दुष्प्रेरण या षड्यंत्र के मामले में यह तब लागू होता है, जब उसके परिणामस्वरूप अपराध किया गया हो।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक IMEI से छेड़छाड़ या दूरसंचार अधिनियम, 2023 पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इसके निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2022, GS पेपर III (15 अंक, 250 शब्द): साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षण कीजिए कि भारत ने किस सीमा तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है।

35 कृषि • ग्रामीण आजीविका

बाँस: वनोपज से हरित उद्यम तक

GS पेपर III: कृषि; ग्रामीण अर्थव्यवस्था; पर्यावरण | स्रोत: PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 523-527

चर्चा में क्यों? PIB ने दिखाया है कि कभी वन नियमों से बँधा रहा बाँस अब किस प्रकार रोज़गार और छोटे व्यवसाय सृजित कर रहा है, विशेषकर पूर्वोत्तर में और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के बीच।

2017 का सुधार

- ब्रिटिश-कालीन कानून **भारतीय वन अधिनियम, 1927** के तहत बाँस को वृक्ष माना जाता था। इसलिए इसे काटने और ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी, जिससे बाँस का व्यापार कठिन हो गया था।
- **2017** में सरकार ने इस कानून में संशोधन किया। वन क्षेत्रों के बाहर उगाया गया बाँस अब वृक्ष नहीं माना जाता, इसलिए इसे काटने या ले जाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है।
- इस सुधार ने बाँस क्षेत्र में नए विचारों, नए व्यवसायों और अधिक मूल्यवर्धन का मार्ग खोला। इसका प्रभाव पूर्वोत्तर में सबसे अधिक दिखाई देता है।

सरकारी सहायता

- **राष्ट्रीय बाँस मिशन** बाँस किसानों, निर्माताओं और विक्रेताओं को खेती, प्रसंस्करण और बाज़ार तक पहुँच में सहायता देता है। यह अच्छी गुणवत्ता की रोपण सामग्री उपलब्ध कराने वाली नर्सरियों को भी सहायता देता है।
- बाँस **अंतरफल** की सुविधा देता है, अर्थात उसी खेत में मिर्च, अदरक और लहसुन जैसी अन्य फसलें उगाना। इस प्रकार किसान दोनों से कमाता है।
- **नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR)** ने खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, मशीनरी और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बाँस प्रौद्योगिकियों को सहायता दी है। इसने बाँस उत्पादों में मूल्यवर्धन को 10% से बढ़ाकर 70% तक पहुँचाया है।

उदाहरण - मूल्यवर्धन

मूल्यवर्धन वह अतिरिक्त मूल्य है, जो किसी कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर बेहतर उत्पाद बनाने पर सृजित होता है।

मान लीजिए बाँस की एक बल्ली ₹100 में बिकती है। यदि उसे काटकर, उपचारित कर ₹170 में बिकने वाला स्टूल बना दिया जाए, तो ₹70, अर्थात 70%, मूल्य जोड़ा गया है।

बाँस के नए उपयोग

- **इंजीनियर्ड बाँस** एक मिश्रित (कंपोज़िट) सामग्री है, जिसे बाँस के रेशों, पट्टियों या कणों को बाँधकर और दबाकर बनाया जाता है। अब इसका उपयोग फर्नीचर और भवनों में हो रहा है, जिनमें आपदा राहत के आश्रय और छत्तीसगढ़ में स्कूल के कमरे शामिल हैं।
- मिज़ोरम के ममित ज़िले में बाँस को **ऊतक संवर्धन** के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से उगाया जाता है, जिसमें प्रयोगशाला में एक पौधे के छोटे-छोटे भागों से अनेक नए पौधे तैयार किए जाते हैं।
- 2012 में शुरू हुई **गढ़चिरौली अगरबत्ती परियोजना** (महाराष्ट्र) में महिलाएँ बाँस से अगरबत्तियाँ बनाती हैं। इससे उन्हें घर के पास स्थायी काम मिलता है और आय के लिए वनों पर उनकी निर्भरता घटती है।

- जून 2026 में **CSIR-NEERI** (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान), नागपुर ने महिला SHGs को फ्लाई ऐश डंप पर उगाए गए बाँस से हस्तशिल्प बनाने

का प्रशिक्षण दिया। फ्लाई ऐश वह राख है, जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयला जलने के बाद बचती है। इस प्रशिक्षण ने दिखाया कि ऐसी बंजर भूमि को उत्पादक भूमि में बदला जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC Prelims 2019: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल के संशोधन के अनुसार, वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगे बाँस काटने का अधिकार है।
 2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक लघु वनोपज है।
 3. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन निवासियों को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान करता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

Answer: (b). कथन 1 गलत है, क्योंकि 2017 के संशोधन ने केवल वन क्षेत्रों के बाहर उगाए गए बाँस को मुक्त किया; 2006 के अधिनियम के तहत बाँस एक लघु वनोपज है, जिसका स्वामित्व वन निवासियों को मिल सकता है।

36 राजव्यवस्था • संवैधानिक निकाय

UPSC के 100 वर्ष: संवैधानिक भर्तीकर्ता

GS पेपर II: संवैधानिक निकाय; सिविल सेवाएँ | **GS पेपर I:** आधुनिक भारतीय इतिहास | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 593–611

चर्चा में क्यों? संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 1 अक्टूबर 2026 को अपने 100 वर्ष पूरे किए। भारत का पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था।

1926 तक की यात्रा

- 1855 में लंदन में भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा शुरू की गई। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नामांकन प्रणाली के स्थान पर खुली प्रतियोगिता स्थापित की।
- 1864 में रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई **सत्येंद्रनाथ टैगोर** ICS में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने।
- 1922 में ICS परीक्षा लंदन के साथ-साथ पहली बार भारत में, इलाहाबाद में, आयोजित की गई।
- **भारत शासन अधिनियम, 1919** में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। आर्थर हैमिल्टन ली की अध्यक्षता वाले ली आयोग (1924) ने सिफ़ारिश की कि एक सांविधिक आयोग, अर्थात् कानून के तहत गठित आयोग, तुरंत स्थापित किया जाए।
- ली आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा कि ICS में प्रत्येक दस नए प्रवेशकों में से चार ब्रिटिश, चार भारतीय और दो प्रांतीय सेवाओं से पदोन्नत भारतीय हों।
- आयोग की स्थापना 1926 में 1919 के अधिनियम की धारा 96C के तहत की गई। इसके कार्य लोक सेवा आयोग (कार्य) नियम, 1926 द्वारा निर्धारित किए गए। इसके पहले अध्यक्ष **सर रॉस बार्कर** थे।
- यह केवल एक **सलाहकारी निकाय** था: यह सरकार को सलाह दे सकता था, किंतु निर्णय नहीं ले सकता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति लंदन में भारत सचिव (Secretary of State) द्वारा की जाती थी।

संवैधानिक प्रावधान

लोक सेवा आयोगों का उल्लेख संविधान के **भाग XIV** (अनुच्छेद 315–323) में है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 22 और 23 अगस्त 1949 को संविधान सभा में ये अनुच्छेद प्रस्तुत किए।

अनुच्छेद	इसमें क्या प्रावधान है
315	संघ और राज्यों के लिए आयोग; दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग

अनुच्छेद	इसमें क्या प्रावधान है
316	अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
317	राष्ट्रपति किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद ही हटा सकते हैं, और जाँच के दौरान सदस्य को निलंबित कर सकते हैं
318	सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें
319	पद छोड़ने के बाद नौकरी पर प्रतिबंध; अध्यक्ष कोई अन्य सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता
320	कार्य: परीक्षाएँ आयोजित करना; भर्ती, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना
321	संसद या राज्य विधानमंडल इसके कार्यों में वृद्धि कर सकते हैं
322	व्यय भारत की संचित निधि पर भारत हैं
323	राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन; जिन मामलों में इसकी सलाह स्वीकार नहीं की गई, वे संसद के समक्ष रखे जाते हैं

उदाहरण – “भारित” व्यय

अधिकांश सरकारी व्यय के लिए हर वर्ष संसद के मतदान की आवश्यकता होती है, किंतु **भारित व्यय** के लिए नहीं। इसलिए UPSC से असंतुष्ट कोई सरकार मतदान के माध्यम से उसका धन नहीं काट सकती। इससे आयोग स्वतंत्र बना रहता है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था कि जाँबरी (निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग), भाई-भतीजावाद (रिश्तेदारों को लाभ पहुँचाना) और पक्षपात से बचाव के लिए स्वतंत्र आयोग आवश्यक हैं।

UPSC क्या करता है

- यह सिविल सेवा, भारतीय वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (NDA & NA) तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस

बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षाओं जैसी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करता है।

- मंत्रालयों के अनुरोध पर यह साक्षात्कार और परीक्षणों के माध्यम से विशेषज्ञ पदों पर भर्ती करता है।
- यह सरकार को भर्ती नियमों, पदोन्नति, अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश और अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देता है।
- 2012-13 से यह वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों का एक पैनल तैयार करता है, जिसमें से राज्य अपने पुलिस महानिदेशक (DGP) का चयन करते हैं। यह **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ** मामले में उच्चतम न्यायालय के 2006 के आदेश के अनुसरण में है।

प्रमुख पड़ाव

- **भारत शासन अधिनियम, 1935** में संघीय लोक सेवा आयोग (PSC) और प्रांतीय PSC का प्रावधान किया गया। इसने भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा नियमों पर आयोग से परामर्श अनिवार्य कर दिया। 1 अप्रैल 1937 को आयोग का नाम बदलकर संघीय PSC कर दिया गया।
- 1947 में एच.के. कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष बने, और ICS का स्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) ने ले लिया।
- संघीय PSC **26 जनवरी 1950 को UPSC** बन गया। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में पारित हुआ। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में सृजित किया गया।
- **डी.एस. कोठारी समिति (1976)** ने तीन-चरणीय परीक्षा का प्रस्ताव रखा: प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। यह 1979 में शुरू हुई।
- **सतीश चंद्र समिति (1988-89)** ने निबंध प्रश्नपत्र और प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंकन की सिफारिश की। निबंध प्रश्नपत्र 1993 में आया।
- सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा (CSAT) 2011 में शुरू हुई। 2015 से यह एक **अर्हक प्रश्नपत्र** है: उम्मीदवार को 33% अंक प्राप्त करने होते हैं, किंतु इसके अंक रैंक में नहीं गिने जाते।
- 2013 में मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के चार प्रश्नपत्र आए, जिनमें नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि शामिल है।

- महिलाओं ने 2021 में पहली बार NDA & NA परीक्षा दी।

समावेशन और अन्य तथ्य

- सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अनुशंसित उम्मीदवारों में महिलाएँ **31.2%** थीं।
- 1952 से UPSC का मुख्यालय दिल्ली में शाहजहाँ रोड स्थित **धौलपुर हाउस** है।
- **21 अप्रैल 1947** को सरदार पटेल ने सिविल सेवाओं को “भारत का इस्पाती ढाँचा” कहा था। यह तिथि सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाई जाती है।
- 32 वर्ष (सामान्य), 35 (अन्य पिछड़ा वर्ग) और 37 (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) की ऊपरी आयु सीमाएँ 2014 में तय की गईं।
- UPSC ने 2019 से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) श्रेणी और 2020 से अपने आवेदन पत्र में एक अलग ट्रांसजेंडर श्रेणी जोड़ी।

हाल के सुधार

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित चेहरा प्रमाणीकरण** उम्मीदवार की लाइव फोटो का मिलान आवेदन की फोटो से करता है। 24 मई 2026 को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में सभी उम्मीदवारों के लिए इसका उपयोग किया गया।
- **यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (मई 2025)** प्रत्येक उम्मीदवार को UPSC की सभी परीक्षाओं के लिए एक स्थायी पहचान देता है।
- 2026 से सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा की **अंतिम उत्तर कुंजी** परीक्षा के तुरंत बाद प्रकाशित की जाती है, और उम्मीदवार ऑनलाइन आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं।
- **प्रतिभा सेतु** (9 जून 2025 को पुनर्नामित) अंतिम सूची से थोड़े अंतर से चूक जाने वाले उम्मीदवारों को मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी नियोक्ताओं से जोड़ता है। यह पहले सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना (2018) थी।
- डॉ. अजय कुमार 15 मई 2025 से UPSC के अध्यक्ष हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक स्वयं UPSC पर सामान्य अध्ययन का कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इसके निकटतम प्रश्न है:

UPSC Mains 2026, GS पेपर II (10 अंक, 150 शब्द): समकालीन शासन में भारतीय सिविल सेवाओं की सामान्यज्ञ (जनरलिस्ट) संरचना के लाभों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।

37 कानून • बैंकिंग

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 2026

GS पेपर II: महत्वपूर्ण कानून; न्यायपालिका | **GS पेपर III:** बैंकिंग सुधार | **स्रोत:** PIB PRISM, सितंबर 2026, pp. 629–633

चर्चा में क्यों? दिनांक **1 अक्टूबर 2026** से बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 2026 लागू हो गया। यह बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का स्थान लेता है और बैंक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के नए नियम निर्धारित करता है।

मूल शब्दावली

- **बैंककार बहियाँ** बैंक के खाता-बही (लेजर), रोज़नामचे, रोकड़-बही, लेखा-पुस्तकें और उसके सामान्य कारोबार में रखे जाने वाले अन्य सभी रिकॉर्ड हैं। ये कागज़ पर हो सकते हैं या किसी भी प्रकार के डेटा भंडारण में संग्रहीत हो सकते हैं।

- **“बैंक” या “बैंककार”** का अर्थ है बैंकिंग कारोबार करने वाली कोई भी कंपनी या निगम तथा कोई भी डाकघर बचत बैंक या मनीऑर्डर कार्यालय। इसमें वित्तीय क्षेत्र का कोई भी ऐसा निकाय भी शामिल है, जिस पर यह अधिनियम विस्तारित किया गया हो।

- यह अधिनियम न्यायालयी मामलों, **मध्यस्थता** तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 या किसी अन्य कानून के तहत जाँच या पूछताछ पर लागू होता है। मध्यस्थता का अर्थ है नियमित न्यायालय के बजाय किसी तटस्थ व्यक्ति के माध्यम से विवाद का निपटारा। BNSS आपराधिक प्रक्रिया पर भारत का नया कानून है।

नया कानून क्यों?

1891 का अधिनियम तब बना था, जब समूची बैंकिंग कागज़ पर होती थी। आज अधिकांश बैंकिंग डिजिटल है, इसलिए समय के साथ चलने के लिए कानून में बदलाव आवश्यक था।

मुख्य विशेषताएँ

- **प्रौद्योगिकी-तटस्थ:** यह अधिनियम कागज़ी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एक ही ढाँचे के तहत कवर करता है, जिसमें उन्हें प्रमाणित करने के मानक नियम हैं। यह किसी एक प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं है।
- **प्रमाणित प्रति पर्याप्त है:** 1891 के अधिनियम की तरह, बैंक रिकॉर्ड को मूल बही प्रस्तुत किए बिना प्रमाणित प्रति के माध्यम से न्यायालय में सिद्ध किया जा सकता है। प्रमाणित प्रति वह प्रति है, जिसके सही होने की बैंक औपचारिक रूप से पुष्टि करता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड:** डिजिटल प्रति केवल तभी वैध साक्ष्य है, जब वह अधिनियम में दी गई शर्तों को पूरा करती हो। इनमें शामिल है कि वह सही प्रति हो, डेटा में कोई अनधिकृत परिवर्तन न पाया गया हो और सिस्टम से कोई छेड़छाड़ न पाई गई हो।

- प्रमाणित प्रति पर प्रमाणपत्र हस्तालिखित रूप से अथवा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित किया जा सकता है।
- **बैंक अधिकारियों को संरक्षण:** जिस मामले में बैंक पक्षकार नहीं है, उसमें सामान्यतः किसी अधिकारी को बहियाँ लाने या गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- न्यायालय अधिकारी को केवल **“विशेष कारण” दर्ज करने वाले लिखित आदेश** द्वारा ही बुला सकता है। अधिनियम में तीन विशेष कारण सूचीबद्ध हैं। ये हैं: (i) प्रविष्टि की सटीकता या प्रामाणिकता संदिग्ध हो; (ii) किसी घटना से सामान्य रिकॉर्ड-रखरखाव बाधित हुआ हो; तथा (iii) बैंक ने प्रमाणित प्रति संबंधी न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन न किया हो।
- **विस्तार:** सरकार अधिसूचना द्वारा, शर्तों या अपवादों के साथ, इस अधिनियम को वित्तीय क्षेत्र की किसी भी इकाई या इकाइयों के वर्ग पर विस्तारित कर सकती है।

उदाहरण - अधिनियम कैसे सहायक है

दो व्यक्ति एक ऋण को लेकर न्यायालय जाते हैं। न्यायालय को एक व्यक्ति के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है, किंतु बैंक मामले में पक्षकार नहीं है।

बैंक केवल स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति भेज देता है। जब तक न्यायाधीश कोई विशेष कारण दर्ज न करे, किसी बैंक अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए काम छोड़कर नहीं जाना पड़ता।

सरकार इस अधिनियम को बैंकिंग कानूनों के आधुनिकीकरण और कारोबार में सुगमता बढ़ाने के अपने सुधारों का हिस्सा मानती है।

विगत वर्षों के प्रश्न

UPSC ने अभी तक बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इसके निकटतम प्रश्न है:

UPSC Prelims 2019: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

डिजिटल हस्ताक्षर

1. एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो उसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है
2. इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुँच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है
3. किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने और यह सुनिश्चित करने की इलेक्ट्रॉनिक विधि है कि मूल विषय-वस्तु अपरिवर्तित है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

Answer: (c). डिजिटल हस्ताक्षर केवल किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करता है और दर्शाता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करना डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का कार्य है।

नोट्स



VAJIRAM & RAVI
Institute for IAS Examination

50+ वर्षों से

सिविल सेवा अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन

स्टेपअप

मेंटरशिप प्रोग्राम 2027

टेस्ट, एनालिसिस और मेंटरशिप – सफलता का पूरा पैकेज!



हिंदी माध्यम



बैच प्रारंभ
28 अक्टूबर 2026



मोड:
ऑफलाइन और ऑनलाइन



तीन-स्तरीय मेंटरशिप



व्यक्तिगत अध्ययन योजना



समूह परामर्श सत्र



परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विषयगत वीडियो



निबंध मॉड्यूल कोर्स



प्रीलिम्स कैम्प एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़



साप्ताहिक करेंट अफेयर सत्र



उत्तर लेखन संदर्भ पर रिकॉर्ड किए गए 10 व्याख्यान



प्रीलिम्स और मेन्स वर्कबुक

श्योर शॉट मुख्य परीक्षा 2027

(रैंकर्स नेतृत्व टेस्ट सीरीज़)



माध्यम:
English | हिंदी



बैच प्रारंभ
1 नवंबर 2026



मोड:
ऑफलाइन और ऑनलाइन

विशेषताएँ



36 टेस्ट्स
(20 सेक्शनल टेस्ट्स +
16 फुल-लेंथ टेस्ट्स)



UPSC-स्तरीय मूल्यांकन
एवं 7-दिवसीय फीडबैक



पोस्ट-टेस्ट फ्रेमवर्क और
हाई-यिल्ड टेम्पलेट



रैंकर्स एवं सीनियर मेंटर्स द्वारा
व्यक्तिगत असीमित मेंटरशिप



PYQ आधारित थीम
पहचान एवं प्रश्न विश्लेषण



विशेष IAS/IPS
रणनीति सत्र